

LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Tenth Session
(Seventeenth Lok Sabha)



(Vol. XXI contains Nos. 1 to 13)

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh

Secretary-General

Lok Sabha

Vinay Kumar Mohan

Joint Secretary

Jai Mukesh Shukla

Director

Narad Prasad Kimothi

Sunita Thapliyal

Joint Director

Meenakshi Rawat

Maneesha Bhushan

Editor

© 2022 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

C O N T E N T S

**Seventeenth Series, Vol. XXI, Tenth Session, 2022/1944 (Saka)
No. 9, Monday, December 19, 2022/Agrahayana 28, 1944 (Saka)**

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
* Starred Question Nos. 161 to 168	11-38
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 169 to 180	39-103
Unstarred Question Nos. 1841 to 2070	104-692

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE	693-754
MESSAGE FROM RAJYA SABHA	755
COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES	
18 th and 19 th Reports	756
STANDING COMMITTEE ON EDUCATION, WOMEN, CHILDREN, YOUTH AND SPORTS	
342 nd to 347 th Reports	757
STATEMENTS BY MINISTERS	758-760
(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 41 st Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2022-23) pertaining to the Department of Revenue, Ministry of Finance.	
Shri Pankaj Chaudhary	758
(ii) (a) Status of implementation of the recommendations contained in the 32 nd Report of the Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development on Demands for Grants (2022-23) pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.	758
(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 33 rd Report of the Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development on 'Implementation of National Apprenticeship Promotion Scheme (NAPS)/National Apprenticeship Training Scheme (NATS)' pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.	
Shri Rajeev Chandrasekhar	759

- (iii) Status of implementation of the recommendations contained in the 30th Report of the Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development on Demands for Grants (2022-23) pertaining to the Ministry of Labour and Employment.

Shri Rameshwar Teli

759

- (iv) Status of implementation of the recommendations contained in the 318th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Demands for Grants (2022-23) pertaining to the Ministry of Tourism.

Adv. Ajay Bhatt

760

REPEALING AND AMENDING BILL, 2022

761

MATTERS UNDER RULE 377

790-815

- (i) Need to construct a road from Panchkula to Shaheed Bhagat Singh Airport, Chandigarh

Shri Nayab Singh Saini

790

- (ii) Need to sanction funds for construction of a railway line from Dehradun to Kalsi in Uttarakhand

Shrimati Mala Rajya Laxmi Shah

791

- (iii) Need to set up Fast Track Child Rescue Cells all over the country for tracking and rescue of missing children

Shri Tirath Singh Rawat

792-793

- (iv) Need to develop Madhoganj in Hardoi district, Uttar Pradesh as an industrial area

Shri Ashok Kumar Rawat

794

- (v) Regarding approval of two Kendriya Vidyalayas in Patnagarh and Titlagarh in Bolangir Parliamentary Constituency
Shrimati Sangeeta Kumari Singh Deo 795
- (vi) Need to observe 3rd January, the birth anniversary of Savitribai Phule as Women Teachers' Day
Dr. Sanghamitra Maurya 796-797
- (vii) Need to take measures to protect agriculture crops from wild animals in Dhar Parliamentary Constituency
Shri Chattar Singh Darbar 798
- (viii) Need to declare Eastern Rajasthan Canal Project as a National Project
Shri Dushyant Singh 799
- (ix) Need to include Kushi Nagar Parliamentary Constituency under Swadesh Darshan Scheme
Shri Vijay Kumar Dubey 800
- (x) Need to construct ROB, VUP and CUP on National Highway No. 52 in Churu Parliamentary Constituency
Shri Rahul Kaswan 801
- (xi) Regarding construction of bridge and new national highway in Raiganj Parliamentary Constituency
Sushri Debasree Chaudhuri 802
- (xii) Need to include and develop Bhoramdev Temple in Rajnandgaon Parliamentary Constituency under PRASAD Scheme
Shri Santosh Pandey 803

- (xiii) Regarding benefits of Fasal Bima Yojana in Ganganagar Parliamentary Constituency
Shri Nihal Chand Chouhan 804
- (xiv) Regarding construction of national highways in Karimganj Parliamentary Constituency
Shri Kripanath Mallah 805
- (xv) Regarding welfare measures for persons with disabilities
Shri Benny Behanan 806
- (xvi) Regarding construction of highways in the state of Meghalaya
Shri Vincent H. Pala 807
- (xvii) Need for new passenger and express trains in Tamil Nadu
Dr. Kalanidhi Veeraswamy 808
- (xviii) Regarding establishment of a National Forensic Sciences University (NFSU) at Tirupati
Shri Maddila Gurumoorthy 809
- (xix) Regarding death of an alleged prime accused in the Bogtui arson case
Prof. Sougata Ray 810
- (xx) Need to attract investment and set up industries in Bihar
Dr. Alok Kumar Suman 811

- (xxi) Need to take necessary measures for ensuring mental health of students

Shrimati Sarmistha Sethi

812

- (xxii) Need to build a bird sanctuary at the site of Devhat Talaab in Uttar Pradesh

Shri Ritesh Pandey

813

- (xxiii) Regarding construction of railway line from Maheshkhunt to Narayanpur in Bihar

Choudhary Mehboob Ali Kaiser

814

- (xxiv) Regarding development of a vaccine for Lumpy disease.

Shrimati Supriya Sadanand Sule

815

ANTI-MARITIME PIRACY BILL, 2019

816-862

Shri Adhir Ranjan Chowdhury

816-825

Dr. Subrahmanyam Jaishankar

825-841

Clauses 2 to 15 and 1

843-859

Motion to Pass

862

CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) ORDER (FOURTH AMENDMENT) BILL, 2022

863-934

Motion to Consider

863

Shri Arjun Munda

863, 928-934

Shri Kodikunnil Suresh

863-868

Dr. Umesh G. Jadav

869-871

Shrimati Pratima Mondal

872-874

Shrimati Chinta Anuradha	875-877
Shri Rahul Ramesh Shewale	878-882
Prof. Achyutananda Samanta	883-884
Shri Dileshwar Kamait	885
Kunwar Danish Ali	886-892
Shrimati Supriya Sadanand Sule	893-895
Shri Tapir Gao	896-898
Adv. A.M. Ariff	899-901
Shri Hasnain Masoodi	902-904
Shri E.T. Mohammed Basheer	905-906
Shri S.C. Udasi	907-909
Shri N.K. Premachandran	910-912
Shri Saptagiri Sankar Ulaka	913-915
Shri Hanuman Beniwal	916-918
Shri Jual Oram	919-921
Shri Arvind Sawant	922-923
Shri Naba Kumar Sarania	924-925
Shri Saumitra Khan	926
Shri Raghu Rama Krishna Raju	927
Clauses 2 and 1	934
Motion to Pass	934

***ANNEXURE – I**

Member-wise Index to Starred Questions	855
Member-wise Index to Unstarred Questions	856-862

***ANNEXURE – II**

Ministry-wise Index to Starred Questions	863
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	864

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Monday, December 19, 2022/Agrahayana 28, 1944 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON.SPEAKER : Now Question hour, Question No. 161,

Shri T. R. Baalu

(Q.161)

SHRI T. R. BAALU: Hon. Speaker Sir, I think the entire House will agree with me that there is no economic development in the North-East. Only negligible economic development has taken place there. The main reason for the migration of people from the North-East to other States is to seek employment opportunities. More than 1.48 crore people have gone out of the North-East to seek employment opportunity and win their daily bread.

Moreover, skilled manpower is not available there. Why is skilled manpower not available there? It is because there is no higher education. Totally, there is negligible level of higher education infrastructure. So, what is the exact plan on how the Government is going to help the people living in the North-East? The people there speak loudly. Even yesterday, there was a lot of hue and cry in the North-East but no development is happening there.

श्री जी. किशन रेड्डी: अध्यक्ष जी, वर्ष 2014 के बाद एवं आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के प्रधान मंत्री बनने के बाद नॉर्थ ईस्ट में विकास के रूप में बहुत कुछ काम किया गया है। हमारे पास वर्ष 2011 सेंसस का डेटा है। हमने स्टेट गवर्नमेंट से और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज से भी पूछा है, लेकिन लेटेस्ट सेंसस के अनुसार कितने परसेंट माइग्रेशन है, उसकी हमारे पास रिपोर्ट नहीं है। जैसा कि आदरणीय सांसद जी पूछ रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट के विषय में नॉर्थ ईस्ट के जितने भी माइग्रेंट्स जाते हैं, चूँकि अगर हम अदर स्टेट्स से तुलना करें जैसे बिहार, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों से तुलना करें, तो नॉर्थ ईस्ट में माइग्रेशन बहुत कम है। आदरणीय सांसद जी ने एजुकेशन इंस्टिट्यूट्स में स्किल

डेवलपमेंट के बारे में पूछा है तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल करियर सर्विस के द्वारा काम होता है। स्किल इंडिया पोर्टल के द्वारा काम होता है। उसमें मेरे पास नम्बर बहुत हैं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत लेबर डिपार्टमेंट का काम होता है। शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स डिपार्टमेंट का नेशनल करियर सर्विस सेन्टर के तहत काम होता है। नेशनल करियर सर्विस सेन्टर के तहत डिसेबिलिटीज के लिए काम होता है। प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत हम अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देते हैं।

SHRI T. R. BAALU: Sir, I have understood whatever he has said. The hon. Minister has given some statistics. When has the Government taken these statistics? I am asking this question because people have migrated from the North-East.

Now, if you go and search for people who are not having any employment opportunities, definitely, the number will be only very small. People have already migrated from there. What are the ways and means to get them back to their State and seek employment there?

This is the most important question. The hon. Minister is talking about some portals. The Ministry has created a portal, 'Advancing North East' to improve the conditions of North East. In that portal, there is a mention of 'One Stop Solution'. What is meant by One Stop Solution? Nobody knows about it. What are the solutions to be made? What are the achievements that have been made? The Minister has to give State-specific answers. Seven sisters are there. There are seven States plus Sikkim. So, eight States are there. So, State-specific answers should be given. Otherwise, there will be no meaning and you will be wasting the time.

श्री जी. किशन रेड्डी: अध्यक्ष जी, मैं फिर एक बार दोहराना चाहता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट का विकास भारत सरकार के और प्रधानमंत्री जी के एजेंडे में नम्बर वन पर है। हम नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की 50 ईयर्स की गोल्डन जुबली सेलेब्रेशन में कल गए थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद आदरणीय मोदी जी ने 50 टाइम्स नॉर्थ ईस्ट की विजिट की है। ... (व्यवधान) अभी तक इतनी बार वहां कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं गए हैं। जो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की मीटिंग थी... (व्यवधान) आप नॉर्थ ईस्ट की इम्पोर्टेंस पूछ रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ... (व्यवधान) मैं आपको बताना चाहता हूँ।... (व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU: Not even a single employment opportunity is there....
(Interruptions)

श्री जी. किशन रेड्डी: मैं बताना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल एसिस्टेंस प्रोवाइडेड बाई स्टेट इन समग्र शिक्षा, एजुकेशन के बारे में हम फाइनेंशियल एसिस्टेंस अपटू 2000 रुपये पर-एनम हम रेगुलरली दे रहे हैं। उसके साथ-साथ, भारत सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के लिए नए 177 रेजिडेंशियल्स सैंक्शन किए हैं, उनमें से 166 स्कूल सक्सेसफुली ऑपरेट हो रहे हैं। ... (व्यवधान) सब कुछ बताना पड़ेगा। I am talking about the schools, universities and IIITs.... (Interruptions)

SHRI T. R. BAALU: What about higher education?

SHRI G. KISHAN REDDY: I will also talk about higher education. आप थोड़ा सुनिए। प्राइमरी एजुकेशन का बताऊंगा, हायर एजुकेशन का बताऊंगा। आपने जो क्वेश्चन पूछा है, वह बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप आधे दिन का समय दीजिए, हर फील्ड का जवाब देने को भारत सरकार तैयार है। ... (व्यवधान) वहां पीपीपी मोड में भारत सरकार ने तीन आईआईआईटी इंस्टीट्यूट्स खोले हैं – एक इंस्टीट्यूट गुवाहाटी, असम में खोला गया है। दूसरा इंस्टीट्यूट अगरतला, त्रिपुरा में खोला गया है और तीसरा इंस्टीट्यूट सेनापति, मणिपुर में खोला गया है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री विनसेंट एच. पाला ।

SHRI T. R. BAALU: Sir, migrant labourers are exploited by the employers. There should be a full-fledged discussion on the North East. This is not fair.

अध्यक्ष महोदय: आप लिखकर दीजिए, हम उस पर विचार करेंगे। आप हाफ-एन-ऑवर की चर्चा के लिए लिखकर दीजिए, हम उस पर विचार करेंगे।

श्री जी. किशन रेड्डी: जितने भी माइग्रेंट लेबरर्स हैं, उनको सेफगार्ड करने के लिए समय-समय पर भारत सरकार के द्वारा, होम मिनिस्ट्री के द्वारा गाइडलाइंस भेजी जाती हैं और हम उनसे बातचीत करते हैं। दिल्ली में दिल्ली पुलिस में एक सेपरेट सेल फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन बनी हुई है और उसमें एक सेपरेट टोल फ्री नम्बर भी लगाया गया है। उसके साथ-साथ एक श्री मेंबर्स कमेटी है, जो भी कम्प्लेंट्स आती हैं, उनकी देखभाल करके, उनको इन्फार्मेशन देने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए दिल्ली पुलिस के अंदर व्यवस्था है। लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी स्टेट्स के अंडर आती है, उसके लिए होम मिनिस्ट्री के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा लगातार हम इंस्ट्रक्शन्स देते रहते हैं।

SHRI VINCENT H. PALA: Sir, as far as the visits of the hon. Prime Minister and other Ministers to the North East are concerned, I do agree that they visit frequently. But as far as the service to the North East by this Government is concerned, I think it is only a lip service. We, from the North East, know better about it. It is only a lip service. Why am I saying so?

If you look in terms of investment in industries and disbursement of industries in the North East, it used to be 12 per cent. But today, the growth of the North East is just only one per cent. I think Kiranji also witnessed it that in every meeting, the Finance Minister said that they will rework the policy of investment in the North East. But this is a boast; and it is one of the reasons for migration of the youth from the North-East.

I would, therefore, like to know from the hon. Minister: what new initiative are being taken by his Ministry so that more and more employment opportunities are created and provided to the youth of the North-East?

श्री जी. किशन रेड्डी: भारत सरकार इन्वेस्टमेंट के लिए काम कर रही है, मगर नॉर्थ-ईस्ट में जो लैण्ड इश्यूज हैं, चूंकि आपके कारण हैं, नरेन्द्र मोदी जी के सत्ता में आने से पहले वहां लॉ एण्ड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी। वहां 15-20 दिन ब्लॉकेड होता था, धरना होता था, इनसरजेंट की एक्टिविटी होती थी। ... (व्यवधान) मैं बताना चाहता हूं कि इन आठ सालों में नार्थ ईस्ट में पीस आई है।

अभी नार्थ ईस्ट में जो इनसरजेंसी ग्रुप्स की एक्टिविटी है, वह आपके कारण है, आपकी राजनीति के कारण है। ... (व्यवधान) वहां अनस्टेबल सरकार थी। नार्थ-ईस्ट में कभी भी किसी चीफ मिनिस्टर ने पांच साल काम नहीं किया। मैं गौरव के साथ बता सकता हूं कि मोदी जी के राज्य में नार्थ ईस्ट में एक पॉलिटिकल स्टैबिलिटी आई है। वहां पर सभी लोग इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय वित्त मंत्री जी का नाम लिया है तो वह बताना चाहती हैं।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, हाउस में क्या चल रहा है? वह सवाल का जवाब दें। ... (व्यवधान)

श्री बी. मणिकम टैगोर: सर, जवाब देने के लिए बोलिए। ... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, क्या मोदी जी जादूगर हैं?

माननीय अध्यक्ष: ऑनरेबल मैम्बर ने वित्त मंत्री जी का हवाला दिया है तो वित्त मंत्री जी खुद जवाब देना चाहती हैं।

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS

(SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Thank you, Sir, obviously some words can weigh a bit of worry. Certainly, there is no lip service. I will want to give just one example which pertains to the Finance Ministry. Before the last Budget, I had held consultations with all the Chief Ministers and Finance Ministers of the North-Eastern States. The hon. Member, Vincent Pala, referred to livelihood – it is a very genuine question – for which a special programme from 2022 Budget PM-DevINE

for the development of North-East, had been launched, and a separate allocation has been made which is going through the North-East Council. That is exactly designed as per the requirements of the Chief Ministers of the North-Eastern States, who met me, purely for livelihood improvement. One such example is the bamboo connecting roads, which the Chief Minister of Mizoram wanted; and we have given that. That will bring all the small farmers, who come with the bamboo products, onto the highways. It is because connectivity is an issue, and with this, we are able to aggregate better. So, that programme was exclusively designed for the North-East with specific allocation of funds for livelihood. Thank you.

SHRI PRADYUT BORDOLOI: Sir, because of the geographical remoteness and lack of employment-generating economic activities like manufacturing and service sector, yes, it is true that a large number of youth from the North-East go out to the rest of the country looking for employment opportunities. But all these youth also have domain expertise in certain sectors like hospitality, healthcare, IT or even security. There is a demand also of such sectors elsewhere in the country.

Sir, despite these, youth of the North-East being very hard-working and inherently disciplined, at times, are subjected to indignity and insults in certain parts of the country. That is why, the Government of India formed the Bezbaruah Committee in 2014 to address this issue.

Now, I would like to ask the hon. Minister what is the Government of India doing for upskilling the youth of the North-East and what is the Government of India doing to implement the recommendations of the Bezbaruah Committee?

श्री जी. किशन रेड्डी: मैं अपस्किलिंग के बारे में एक बार फिर लिस्ट दोहराना चाहता हूँ। अलग-अलग और एक-एक डिपार्टमेंट द्वारा, एक-एक स्कीम के द्वारा कितने हजार और कितने लाख लोगों की हम अपस्किलिंग कर रहे हैं। मैं आदरणीय स्पीकर महोदय जी की अनुमति से बताना चाहता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल करियर सर्विस में हमने 65 हजार वर्कर्स को रीस्टोर किया है।

ऑलरेडी, उसमें 8,100 इम्प्लॉयज रजिस्टर्ड हो गए हैं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंदर 47 लाख नौजवानों को रोजगार मिला है। इसके साथ-साथ नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आने के बाद हम ने नॉर्थ-ईस्ट में सेवेन लाख करोड़ रुपये इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए हैं। जब आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो वह जीबीएस के अंदर 36 हजार करोड़ रुपये खर्च करती थी।... (व्यवधान) अभी नरेन्द्र मोदी सरकार फाइनेंस में जीबीएस के द्वारा 76 हजार करोड़ रुपये नॉर्थ-ईस्ट के लिए खर्च कर रही है।... (व्यवधान) इसके साथ-साथ पहले नौ एयरपोर्ट्स थे। नॉर्थ-ईस्ट के विकास के बारे में ये लिप-सिम्पैथी बता रहे हैं।... (व्यवधान) यह लिप-सिम्पैथी नहीं है। हम प्रैक्टिकली डेवलपमेंट करके, आज हम संसद के सामने बता रहे हैं। जब आपकी सरकार वर्ष 2014 तक थी, तो नौ एयरपोर्ट्स थे। मोदी जी के आने के बाद आठ सालों में 16 एयरपोर्ट्स आए हैं।... (व्यवधान) ऑप्टिकल फाइबर केबल, क्योंकि नॉर्थ-ईस्ट में केबल ऑपरेटर्स हैं, तो न्यू एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन होता है।... (व्यवधान) इसके साथ-साथ डिजिटल कनेक्टिविटी, टूरिज्म, टेक्निकल एजुकेशन और हेल्थ में भी नए-नए अवसर नौजवानों को मिल रहे हैं। इसके साथ-साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 7,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स डायबिटीज और कैंसर के लिए भारत सरकार ने खोले हैं।... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है?... (व्यवधान)

तवांग में कितने चीनी फौजी घुसे हैं, यह बताइए।... (व्यवधान)

श्री जी. किशन रेड्डी: अभी अरुणाचल प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आईआईटी इंस्टिट्यूट है, असम में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, गुवाहाटी में आईआईटी है, सिल्चर में नीट है।... (व्यवधान) नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आने के बाद नॉर्थ-ईस्ट को हम विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं।... (व्यवधान) पहली बार नॉर्थ-ईस्ट में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए भारत सरकार प्रयास कर रही है।... (व्यवधान) आपके

राज में जो बच्चे बंदूक पकड़ते थे, कफरू लगता था, लॉ ऑर्डर की समस्या उत्पन्न होती थी, उन नौवजवानों के हाथ में आज हम कंप्यूटर्स दे रहे हैं। मोदी सरकार, भारत सरकार उनको विकास के रास्ते पर ले जा रही है।... (व्यवधान) आपकी सरकार और हमारी सरकार का कोई कम्पैरिजन नहीं है।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 162,

श्री संजय सेठ ।

(Q.162)

श्री संजय सेठ: अध्यक्ष महोदय, हाथियों से संबंधित मेरे प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। हम जानते हैं कि हाथी मेरे साथी होते हैं। हमारा लोक सभा क्षेत्र, रांची हाथियों के उत्पात से बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। चाहे ईचागढ़, सोनाहातु, ओरमांझी, उमेडंडा, बरानंदा, आदि ऐसे दर्जन भर क्षेत्र हैं, जहां सालों भर हाथी उत्पात मचाते हैं। वे मिड-डे मिल खा जाते हैं, फसल को रौंद देते हैं। वर्ष 2021-22 में 133 लोगों को हाथियों ने उत्पात मचा कर मार दिया। हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि क्या ऐसी कोई तकनीक पर विचार हो रहा है कि हाथियों के मूवमेंट को ट्रैक कर पूर्व में ही गांव वालों को सूचना दे दी जाए कि हाथी इधर से गुजर रहे हैं, ताकि ग्रामीण जनता सचेत हो जाए और उन पर कोई प्रकोप न आए, क्या ऐसी कोई योजना है?

श्री अश्विनी कुमार चौबे: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह विषय उठाया है, तो सचमुच में झारखंड के लिए थोड़ी चिंताजनक स्थिति है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए पहले क्या संकेत दिए जाते हैं, तो महोदय झारखंड में और देश के विभिन्न जंगलों में रहने वाले हाथी मस्त जानवर हैं। यह आप जानते हैं। हाथी बहुत ही संवेदनशील जानवर भी है। लेकिन उनके जाने का जो कॉरिडोर होता है, जब वे उस कॉरिडोर से गुजरते हैं, तो वहाँ पर जो वार्डन या प्रहरी होते हैं, उन लोगों के द्वारा संकेत दिया जाता है, आजकल तो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, सभी जगहों पर गांवों के लोगों के टेलीफोन नम्बर्स वगैरह भी रखते हैं, वे तुरन्त उनको खबर करते हैं।

हाथियों में नानी-दादी की परम्परा है। जैसे नानी-दादी बच्चों को साथ रखते हैं, उसी तरह से हाथी प्रजाति में भी नानी और दादी अपने बच्चों को लेकर झुण्ड में चलती हैं।

श्री संजय सेठ: महोदय, क्या मधुमक्खी पालन से हाथियों के प्रकोप को रोका जा सकता है? क्या इस पर कोई शोध हुआ है?

श्री अश्विनी कुमार चौबे: महोदय, हमारी जानकारी में तो इस प्रकार का कोई शोध नहीं हुआ है।

श्री विष्णु दयाल राम: माननीय अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र पलामू में हाथियों का प्रकोप इतना बढ़ गया है कि चार दिन पहले ही हाथियों के द्वारा दो व्यक्तियों की हत्या हो गई है। जहाँ तक सरकार के

द्वारा कम्पेनसेशन देने का प्रश्न है, इसके लिए प्रावधान जरूर है। मृत्यु की स्थिति में 25 हजार रुपए तत्काल दिए जाते हैं और 3 लाख 75 हजार रुपए बाद में दिए जाते हैं। लेकिन राशि देने में बहुत ज्यादा विलम्ब होता है। इसके साथ-साथ हाथियों के द्वारा जिन फसलों को नष्ट किया जाता है, उसके लिए जो कम्पेनसेशन की राशि है, इसकी जानकारी तो बहुत-से रेंजर्स को भी नहीं है। पत्र लिखने के बहुत महीनों के बाद कुछ कम्पेनसेशन मिलता है।

आपके माध्यम से, सरकार से मेरी मांग है कि क्या कम्पेनसेशन की राशि बढ़ायी जाएगी? क्या हत्या की स्थिति में मुआवजे की राशि बढ़ायी जाएगी?

धन्यवाद।

श्री अश्विनी कुमार चौबे: महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, निश्चित रूप से झारखण्ड के संबंध में इन्होंने राशि की बात बताई। झारखण्ड में हाथियों के द्वारा मानवों की जो मृत्यु हुई है, उसमें विशेष करके इनके क्षेत्र में जो मृत्यु हुई हैं, उनमें कुछ ट्रेन दुर्घटनाएं भी हैं और कुछ अन्य घटनाएं भी हैं, जैसे कभी-कभी बिजली के कारण दुर्घटनाएं हो जाती हैं, कुछ जहरीली चीजें लगाकर उनको खिला देते हैं, जिससे हाथियों में रिएक्शन होता है। विशेष करके पलामू में इस प्रकार की स्थिति पायी गई है।

जहाँ तक इन्होंने मुआवजे की बात कही, तो भारत सरकार अलग से मुआवजा देती है, लेकिन राज्यों के द्वारा, हर राज्य सरकारों के द्वारा दिये जाने वाले मुआवजे की राशि अलग-अलग है, कहीं दस लाख रुपए, कहीं बीस लाख रुपए और कहीं पाँच लाख रुपए आदि हैं। इन्होंने यह बात भी ठीक कही कि समय पर मुआवजा मिलना चाहिए। चूंकि यह राज्य का विषय है, इसलिए राज्य सरकार को समय पर मुआवजा देना चाहिए। इसके साथ-साथ फसलों का जो नुकसान होता है, उसका भी मुआवजा समय पर मिल जाए तो किसानों को संतुष्टि होती है। इसलिए मैं इस बात को मानता हूँ कि इन्होंने जो कहा है, हमने झारखण्ड सरकार को एडवाइजरी भी जारी की है कि आप समय पर भुगतान करें।

SHRI DAYANIDHI MARAN: Sir, while this House is discussing regarding compensation for the people, I would like to know from the Government about the situation of the poor elephants. Throughout the country, wherever we see,

elephants are being killed by the greedy people and also by trains. Also, the elephant corridors, especially in my State, which were occupied illegally by the people have now been legalised with the permission of the Union Government. Also, loud music is played by the people there ... (*Interruptions*) So many train accidents take place in which whole families of elephants are killed when they try to cross the path. Has the Ministry of Environment, Forest and Climate Change come up with a plan to ensure that there is an elevated way for trains so that elephants can pass through without being hit?

Also, why is the Union Government, especially the Ministry of Environment, Forest and Climate Change so relaxed when it comes to illegal occupancy of elephant corridors, especially in Velliangiri Hills in Tamil Nadu where huge construction is being done illegally? You have been authorising it. Also, people play loud music and disturb the forest life. There should be the same set of rules throughout the country. You cannot relax the rules for your friends because they are close to you. ... (*Interruptions*) So, I think, you should come forward with some set of rules.

श्री अश्विनी कुमार चौबे: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है, सचमुच में हमारी सरकार ने वर्ष 2014 के बाद, आप देखेंगे कि एनएच में, सड़कों में और रेल में, खासकर रेल के द्वारा ज्यादा दुर्घटनाएं होती रही हैं, इसलिए हमारे मंत्रालय और रेल मंत्रालय के बीच लगातार कई बैठकें हुई हैं, जिनसे हम कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर पहुंचे हैं।

महोदय, माननीय सदस्य ने सड़कों की जो बात कही है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने एलिवेटेड रोड्स ही नहीं, बल्कि सड़कों के नीचे अंडरपास की व्यवस्था भी की है। एक नहीं, सैकड़ों अंडरपासेज की सहमति बन गई है।

महोदय, मैं यह आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। उदाहरण के लिए हरिद्वार के निकट जो चीला-मोतीचूर क्षेत्र है ... (व्यवधान) हरिद्वार के बगल में ही चीला-मोतीचूर क्षेत्र है, वहां बना हुआ अंडरपास हाथियों के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे द्वारा मिटिगेशन के अनेक मेजर्स अपनाए गए हैं। मंत्रालय द्वारा, खासकर guidelines, eco-friendly measures to mitigate the impacts from linear infrastructure और यह पूरी तरह वाइल्डलाइफ के लिए बनाया गया है। ... (व्यवधान)

SHRI DAYANIDHI MARAN: What about Tamil Nadu? ... (*Interruptions*)

श्री अश्विनी कुमार चौबे: निश्चित रूप से मैं आपको तमिलनाडु के बारे में बता दूंगा। ... (व्यवधान) अगर तमिलनाडु के बारे में अलग से क्वेश्चन होगा, तो मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा कि तमिलनाडु में एक नहीं, बल्कि दर्जनों जगहों पर, एनएच और रेलवे में भी हमने वर्ष 2014 के बाद क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। ... (व्यवधान) आप अलग से प्रश्न करेंगे, तो मैं आपको उसकी जानकारी दे दूंगा। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: क्वेश्चन नंबर – 163,

श्री संजय जाधव जी ।

(Q.163)

श्री संजय जाधव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से खेतिहर मजदूरों के हालात के बारे में जानना चाहूंगा। आज पूरे हिन्दुस्तान में किसान इतने बेहाल हैं, तो मजदूरों के हालात क्या होंगे, यह आप जान नहीं सकते हैं।

मैं आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहूंगा। खेतिहर मजदूर निरक्षर हैं। उन योजनाओं का लाभ किस प्रकार इन लोगों को दिया जा रहा है, इसकी जानकारी मंत्री जी के जवाब में नहीं मिली है। अतः मैं आपसे इसके बारे में पूछना चाहूंगा।

श्री रामेश्वर तेली: अध्यक्ष महोदय, हमारे संजय जी बहुत अनुभवी सांसद हैं। उन्होंने खेतिहर मजदूरों के जीवन सुधार और उनके कल्याण के बारे में एक क्वेश्चन किया था। उसका जवाब दे दिया गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि खेतिहर मजदूरों के जीवन सुधार के लिए कौन-कौन सी योजनाएं लागू की गई हैं?

मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि खेतिहर मजदूर एवं अन्य असंगठित मजदूरों के कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए हमारी सरकार, आदरणीय प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कई कदम उठा रही है। आप लोगों को मालूम है कि हम अभी 'ई-श्रम' बना रहे हैं। करीब 38 करोड़ लोगों के 'ई-श्रम' कार्ड बनाने का हमारा टारगेट था और करीब 29 करोड़ लोगों के हम अभी तक कार्ड बना चुके हैं। ... (व्यवधान) इनमें 15 करोड़ खेतिहर मजदूरों का पंजीकरण हुआ है। इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं।

आप लोगों को मालूम है कि हमारे जो सांसद जी हैं, वे महाराष्ट्र के परभणी जिले से आते हैं। परभणी जिले में अभी तक हम लगभग 1 लाख 70 हजार से ज्यादा कामगारों का पंजीकरण करा चुके हैं। खेतिहर मजदूर लगभग 90 हजार हैं। ऐसी ही भारत सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, जिनमें हम मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं।

अगर मैं विस्तार से बोलूं, तो बहुत समय लगेगा, लेकिन ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं, जैसे ई-श्रम पोर्टल और प्रधान मंत्री श्रमयोगी मानधन योजना। ऐसी अनेक योजनाएं हम चला रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष: ऑनरेबल मेंबर, क्या आप सप्लिमेंट्री प्रश्न पूछना चाहते हैं?

श्री संजय जाधव: अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगा कि जो मजदूर हैं, क्या उन लोगों को आप मनरेगा के तहत लाएंगे और उनके भुगतान में वृद्धि करके उसे दोगुना करेंगे? यह मैं आपसे पूछना चाहूंगा।

श्री रामेश्वर तेली: अध्यक्ष जी, मनरेगा हमारे विभाग से संबंधित नहीं है, फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था है कि मनरेगा के मजदूर ई-श्रम कार्ड बना सकते हैं। हम अपने मंत्रालय की तरफ से भी कहेंगे कि जितने भी मनरेगा के मजदूर हैं, उनके ई-श्रम कार्ड बनाए जाएं। यदि किसी कारण किसी मजदूर का एक्सीडेंट हो जाता है और मजदूर का ई-श्रम कार्ड बना हुआ है, तो उन्हें दो लाख रुपये की सहायता राशि मिलती है। हमने पूरा जोर दिया है कि मनरेगा के श्रमिकों का ई-श्रम कार्ड बनाया जाए।

PROF. ACHYUTANANDA SAMANTA: Thank you, hon. Speaker, Sir, for giving me this opportunity. As we all know that women form a major percentage among the farm labourers, I would like to know from the hon. Minister the details with regard to the welfare schemes for women farm labourers, especially in terms of their healthcare, and education of their children.

श्री रामेश्वर तेली: अध्यक्ष जी, श्रमिकों को श्रमिक ही माना जाता है, उसमें महिला या पुरुष नहीं देखा जाता है। सम्माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, उसके उत्तर में मैं बताना चाहता हूं कि हम महिलाओं के लिए भी काम कर रहे हैं। ईंट, भट्टे पर जो महिला मजदूर हैं, उनके लिए योजना बनाने के बारे में हम सोच रहे हैं।

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र में साखर संचालक के लिए मैंने काम किया है। गन्ना काटने वाले मजदूर बीड, परभनी आदि एरिया से आते हैं। महाराष्ट्र में 200 से ऊपर कॉआपरेटिव शुगर फैक्ट्रियां हैं। गन्ना काटने के लिए 120 या 150 दिनों के बाद वे लोग वापस अपने गांव जाते हैं। उनके साथ जो बच्चे, महिलाएं या बच्चियां आती हैं, उनकी शिक्षा की समस्या रहती है इसलिए साखर शाला या स्कूल फैक्ट्रियों के परिसर में जिला परिषद या सरकार की मार्फत स्कूल

चलाए जाएं, जैसे एनजीओ द्वारा स्कूल चलाए जाते हैं। यदि उन बच्चों को स्कूल में पढ़ाने की कोई योजना निकाली जाए, तो यह एक बहुत अच्छा प्रयोग होगा।

श्री रामेश्वर तेली: अध्यक्ष जी, मुझे जो जानकारी है, महाराष्ट्र के परभनी एरिया में काफी संख्या में शुगर फैक्ट्रियों में काम करने वाले किसान हैं। हमारे जो ई-श्रम पोर्टल बन रहा है, उसमें उनका पंजीयन हो और हमारे मंत्रालय की बहुत सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के तहत हम काम कर रहे हैं लेकिन विशेषकर हमारी दो ही योजनाएं चल रही हैं।... (व्यवधान) मैं माननीय सदस्य को जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 164,

श्री दीपक बैज ।

(Q.164)

श्री दीपक बैज: अध्यक्ष जी, यह देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और माननीय मंत्री जी का उत्तर आ भी गया है कि पिछले पांच साल में सरकार द्वारा 10,09,511 करोड़ रुपये बट्टे खाते में डाला गया है और इसे सरकार ने स्वीकार भी कर लिया है। यह देश की गरीब जनता का पैसा है, नौकरी वाले, किसान और व्यापारियों का पैसा है। लगभग 80 बैंकों से कर्ज लिया गया है।

मेरा केंद्र सरकार से प्रश्न है कि जो 10,09,511 करोड़ रुपये बट्टे खाते में डाले गये हैं, यह कितने उद्योगपतियों का कर्ज है और कितने लोग देश छोड़कर भाग गए हैं? क्या सरकार इन लोगों के नाम सार्वजनिक करेगी?

डॉ. भागवत कराड़: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि जो केसेस राइट ऑफ हो गए हैं, आरबीआई की गाइड लाइन्स 45 रूल (ई) के मुताबिक नेम्स डिक्लेयर नहीं किए जाते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर एक्शन होता है चाहे सिविल रिटायजेशन एक्ट हो या एनसीएलटी में हो, तब उनकी प्रापर्टी का ऑक्शन हो जाता है, तब उनका नाम डिक्लेयर किया जाता है।... (व्यवधान)

श्री दीपक बैज: माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बोल रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम-1934 की धारा 45 (ड) के उपबंध के अनुसार नाम सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं। हम गांवों में देखते हैं कि छोटे बैंकों के द्वारा किसानों के नाम सार्वजनिक किए जाते हैं। सरकार की ऐसी कौन-सी मजबूरी है कि इन लोगों के नाम सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि लगभग 10 लाख 9 हजार 500 करोड़ रुपये, जो बट्टे खाते में डाले गए हैं, यदि हम लोग उसका आकलन करें, तो देश के लगभग 15 छोटे-छोटे राज्यों के बजट से भी बड़ा है, जिसकी सरकार वसूली नहीं कर पायी है। क्या सरकार बताएगी कि कितने लोगों पर कार्रवाई चल रही है? कितने लोगों को जेल हुई है? क्या माननीय मंत्री जी इसका जवाब देंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम- 45(ड) के अंतर्गत जो कार्रवाई नहीं कर पाया है, उसके कारण कितने लोग देश छोड़कर भाग गए हैं?

डॉ. भागवत कराड़: अध्यक्ष महोदय, शिड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स के जो टॉप-20 विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, उनकी डिटेल् मेरे पास है, जिसे मैं टेबल पर रखता हूँ। ... (व्यवधान) मैं नाम पढ़कर बताता हूँ। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती माला राय ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती सुप्रिया सुले ।

... (व्यवधान)

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: Sir, in the detailed reply, the hon. Minister has said that the money is managed through the negotiated settlement compromise and through the sale of NPAs. I am asking a specific question to the hon. Minister. I am not taking away the intention of the Government.

If they are looking at recovering of money, I will give a specific example of PMC Bank. Their intention may be good, but the processes are so long that the depositors and the investors do not really get their money back. They do the write-off, but who really benefits from it? Is there any way by which they can shorten the process? People have been jailed and they are sitting in jail, but the common depositor has not got his money. What have we really achieved finally? What happens to the value of the assets? Then, the assets are sitting at one place and you have frozen them. How do you get the money back?

It is not only about only their books looking good; it is eventually the depositor and the investor who has to benefit from this intention that the Government is claiming. I shall be grateful if the hon. Minister can clarify this.

डॉ. भागवत कराड़: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि as per the guidelines of the Bank Board, अलग-अलग बैंकों के माध्यम से कार्रवाई की जाती है। उसमें सिक्योरिटाइजेशन एक्ट, 2002 के माध्यम से यदि उनका नाम होता है, तो उन्हें डिक्लेयर भी किया जाता है। उसमें ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन एनसीएलटी के माध्यम से यदि करें, तो इसके माध्यम से जो लोग कंपनी से संबद्ध नहीं हैं, उन्हें कंपनी चलाने के लिए दी जाती है। इसके साथ ही मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि अगर उस एसेट का लिक्विडेशन करें, तो उसमें 178 परसेंट रिकवरी होती है, जिसे कोई उद्योग यदि लिक्विफाई करे, तो उसमें कई गुना पैसा मिल जाता है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

... (व्यवधान)

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS

(SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I quite understand the sentiment with which hon. Member Supriyaji has asked this question and I am fully appreciative of that part.

It does take a long time. The processes are very layered. There are times when even if there are defaulters – the word ‘wilful’ is really not in the parlance, but still I am using it very loosely; I am not using it with the usual weight of that word – and even if their assets are attached, it requires very complicated processes through the court.

Now equally, the same asset is claimed by, let us say, an investigative agency as much as claimed by the bank and as much as claimed by those who come in the waterfall mechanism as creditors. Financial creditors and operational creditors are very much at the bottom. These claims are probably never heard. It should rightly be heard also.

When there are these many claims on, let us say, a property of a so-called wilful defaulter, approaching the court for release of a portion of what was attached becomes difficult. Let us take the example of a bank in difficulty recently. You took the name of PMC. I am just referring to it. I am not taking that particular case in the instance. For instance, the bank depositors need the money – and they need it, they are small depositors, and we need to give them – and we approach the court. We have particularly in this case approached the court saying could you please release a portion of what was attached by the agencies which went to enforce it. The courts would not allow you to detach that element or that portion for giving relief for particular bank depositors.

I agree with the hon. MP that unfortunately the processes are so layered that by the time justice is sought to be delivered, many of the small depositors are put to extreme difficulty. There is definitely a need to look at how we can simplify the process without denying justice.

HON. SPEAKER: Question No. 165,

Shri S.R. Parthiban.

(Q.165)

SHRI S. R. PARTHIBAN: In India the literacy ratio of the tribals is already low. The removal of pre-matric education scholarships up to the 8th standard will have a significant negative effect on the educational opportunities of the ST communities. This could lead to an increase in educational inequality. What is the reason behind the removal of pre-matric education scholarship to the ST students? I would like to know whether the Government has any other alternate proposal that could increase the enrolment of the tribal students in schools? I request the Minister to reconsider this pre-metric education scholarships to the ST students.

श्री अर्जुन मुंडा: महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उसी के आलोक में तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ से संबंधित विषयों पर उन्हें आंकड़ों के आधार पर सूचनाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। उन्होंने प्री-मैट्रिक एजुकेशन के बारे में कहा है। ट्राइबल स्टूडेंट्स के मामले में प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप के साथ ड्रॉप आउट कम से कम हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए लगातार ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री प्रयत्न कर रही है और इसमें हमें काफी सफलता मिली है। पिछले दिनों इस विषय पर काफी चर्चा होने के बाद हमने यह स्पष्ट कर दिया था कि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री का जो बजटरी अलोकेशन फॉर प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप है, वह पर्याप्त मात्रा में दिया जा रहा है, उसमें किसी तरह की कोई कटौती नहीं हुई है। आगे भी इस संबंध में और बेहतर तरीके से एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ, क्योंकि एक ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से और दूसरा एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एवं कई और भी, जैसे बैकवर्ड क्लॉसेज के लिए भी, माइनोरिटीज के लिए भी अलग-अलग विद्यालय संचालित किए जाते हैं, तो उन सारे विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त मात्रा में ध्यान दिया जा रहा है।

SHRI S. R. PARTHIBAN: The highest Tribal population in Tamil Nadu lives in my Salem District. About two lakh Tribal people live in Yercaud Hills, Palamalai, Jarukumalai, Kalvarayan Hills, Karumanthurai, and Bodhamalai. They are the most

backward in standards of education, medical, and socio-economically. I would like to know whether the Ministry will setup a separate skill development incubation center only for ST students under PMKVY and NSDC schemes, and a National Tribal University in Salem?

श्री अर्जुन मुंडा: महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने ही स्पष्ट किया है कि जो स्किलिंग प्रोग्राम है, इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है और प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि पूरे हिन्दुस्तान को, खासकर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट या माइनोरिटीज को पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षण, स्किलिंग के लिए दिया जाए और इसके लिए एक अलग मिनिस्ट्री स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बनाई गई है।

हमने वे आंकड़े भी माननीय सदस्य को उपलब्ध करवा दिए हैं और उसमें सारी डिटेल्स हैं। इसके अलावा यदि किसी विषय पर या इन आंकड़ों के आलोक में वह चर्चा करना चाहें तो हम उनसे चर्चा कर सकते हैं।

श्री तापिर गाव: ऑनरेबल स्पीकर सर, ट्राइबल्स अफेयर्स मिनिस्ट्री में बहुत सारी योजनाएं हैं और ट्राइबल्स अफेयर्स मिनिस्टर ऑल ओवर द कंट्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन, इसके प्रॉपर इम्प्लिमेंटेशन के लिए जब हम ग्राउंड पर जाते हैं तो कमियां दिखाई देती हैं। इसलिए मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से यह जानना चाहूंगा कि स्कीम्स का जो मॉनीटरिंग सिस्टम है, उसको आप स्टेट गवर्नमेंट के साथ टाई-अप करके, टाइमली इम्प्लिमेंटेशन के लिए मॉनीटरिंग और एकाउंटबिलिटी के काम को कैसे करते हैं तथा आगे आप कैसे करेंगे? मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ।

श्री अर्जुन मुंडा: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य तापिर गाव जी ने जो चिंता जाहिर की है, एक तो हमारे मंत्रालय के द्वारा जो कार्य योजनाएं चलती हैं, उन योजनाओं का मंत्रालय लगातार राज्यों के साथ संवाद करते हुए एलॉटमेंट के संबंध में और एकजीक्यूशन के संबंध में मॉनीटरिंग करता रहता है। जो राज्य बेहतर करते हैं, उन्हें हम और ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं। पर्याप्त मात्रा में राज्य सरकारों को अंशदान उपलब्ध करवाया जाता है।

दूसरा, इसके साथ-साथ ही जो एसटीसी कम्पोनेंट है, उसकी मॉनीटरिंग की व्यवस्था है। अभी आपको यह बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि खासकर वित्त मंत्रालय और माननीय वित्त मंत्री जी ने भी इस पर काफी विभागों के साथ विस्तृत ढंग से चर्चा करते हुए कि जो ट्राइबल कम्पानेंट है, उस कम्पोनेंट के आधार पर सभी विभाग बेहतर एवं प्रभावी तरीके से आउटकम बेस प्रोग्राम को कैसे इम्प्लिमेंट करें, हमारी मिनिस्ट्री उसको मॉनीटर करती है और रिव्यू करती है। सभी मंत्रालयों के साथ संवाद करते हुए, कोऑर्डिनेशन के साथ नीचे तक काम पहुंचे, यह कोशिश की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में निश्चित रूप से यह भी जाहिर करना चाहता हूं कि कई बार बहुत सारे राज्यों में हमने देखा है कि स्पिरिट के साथ भारत सरकार काम करना चाहती है ताकि नीचे तक, सतह तक काम पहुंचे और लोगों को उसका लाभ मिले। कई राज्यों में उस तरीके से, उस इच्छा शक्ति के साथ कार्य नहीं पहुंच पाते हैं। इस तरह के कुछ राज्य हैं, जिनसे हमारी लगातार बातचीत और संवाद होता रहता है, क्योंकि एक्जीक्यूशन के बड़े भाग की जिम्मेदारी राज्यों के ऊपर रहती है।

श्री विजय बघेल: अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में माननीय मंत्री जी द्वारा आदिवासी भाइयों-बहनों के लिए, उनके परिवार के लिए अनेक योजनाएं बना रही है। उनका जीवन स्तर धीरे-धीरे ऊँचा उठ रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, उसको चार साल हो गए हैं, इसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। उसके कारण इस आदिवासी समाज के लिए गुणवत्ता युक्त काम भी नहीं हो रहा है। मैं उसके लिए निवेदन करूंगा कि उसकी समीक्षा माननीय मंत्री जी के द्वारा हो।... (व्यवधान)

महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं।... (व्यवधान) हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में पाँच संभाग हैं और दो संभाग सरगुजा और बस्तर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं। उन पाँच संभागों में अनेक गांवों में आदिवासी बहुल गांव भी हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदनपूर्वक पूछना चाहता हूं कि वहां के माननीय सांसदों द्वारा जो प्रस्तावित काम हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति मिलती है या नहीं? अगर नहीं मिलती है तो क्या आगे माननीय मंत्री जी उसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करेंगे?

श्री अर्जुन मुंडा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसे बताया है कि राज्य सरकारों के साथ मिलकर लगातार कार्य का लाभ जनता तक पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाता है। जहां तक माननीय सदस्य ने कुछ चिंता जाहिर की है, क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत उन क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि चाहे जिला स्तर पर सांसद के नाते, विधायक के नाते या जिला परिषद के नाते अपनी बैठकों में सम्मिलित होने के बाद कार्य योजना तैयार करते हैं।

उसी ढंग से कार्य योजना तैयार करना राज्य की जिम्मेदारी होती है ताकि उस राज्य के जिलों में विकास के कार्य अच्छे ढंग से हों। इसलिए राज्य सरकार जो प्रस्तावित करती है, उन योजनाओं को हम लोग स्वीकृत करते हैं। इसके अलावा, कोई भी ऐसे माननीय सदस्य जब हमारे ध्यान में कुछ बातें लेकर के आते हैं तो हम राज्य सरकार को कहते हैं कि ये जनहित की योजनाएं हैं, इन योजनाओं को भी प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए, क्योंकि कुल मिला कर देश और देश की जनता के लिए हम सब मिल कर काम कर रहे हैं और सामूहिकता के साथ हम सबको डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 166,

श्री विष्णु दत्त शर्मा ।

(Q.166)

श्री विष्णु दत्त शर्मा: अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि जी-20 देशों की बैठकों के लिए माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय संस्कृति मंत्री जी को भी धन्यवाद करता हूँ कि 56 बैठकों में से 1 बैठक मेरे संसदीय क्षेत्र खजुराहो में भी होगी। इसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूँ।

महोदय, मैंने प्रश्न के दौरान माननीय मंत्री जी से जानना चाहा है कि खजुराहो 17th आइकॉनिक सिटी में है। उसकी कार्य योजना के अनुरूप कई प्रकार के विकास के कामों की दृष्टि से जब हम जानकारी एडमिनिस्ट्रेशन से लेते हैं तब यह जानकारी में आता है कि लगभग 1500 करोड़ रुपये की कार्य योजना वहां प्रस्तावित है। अभी तक इन सारी चीजों को ले कर काम किस स्थिति में है, कितने विकास के काम वहां हुए हैं? प्रश्न के उत्तर के दौरान उन्होंने कुछ चीजों की जानकारी दी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्या इसकी मॉनिटरिंग होती है और क्या इस दिशा में कोई टाइमबाउंड कार्य योजना इसको ले कर खजुराहो के विकास और प्रगति के लिए बनी है?

श्रीमती मीनाक्षी लेखी: अध्यक्ष महोदय, पेज नंबर 10 में पूरी कार्य योजना, और उसमें कहां-कहां कितना-कितना पैसा खर्च हुआ है, अब तक का, वह दिया गया है। पहले स्वदेश योजना के तहत इस पर काम किया गया। एसआई की अपनी कुछ योजना है, जिसमें 'अपना धरोहर', 'अपनी पहचान' और 'आदर्श स्मारक' में भी यह आता है। आदर्श स्मारक के तहत चाहे वहां पर सेंटर डेवलप करने की बात थी, साउंड एण्ड लाइट शो की बात थी या शौचालय आदि सुविधाएं बनाने की बात थी, ब्रेल लिपि और अन्य लिपियों के अंदर उसकी डीटेलिंग की बात थी। वह सब काम हुआ है और कितना पैसा खर्च हुआ है, यह भी बताया गया है। साथ ही आगे भी जो भारत सरकार की अन्य स्किल्स हैं, उनका भी कनवर्ज कर के इन सब मॉन्युमेंट्स के ऊपर काम चल रहा है।

श्री विष्णु दत्त शर्मा: महोदय, आदरणीय मंत्री जी ने जो कहा है कि लाइट एण्ड साउंड से लेकर अन्य काम हो रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने भी खजुराहो का दौरा किया था, तब वहां इस बात का प्रश्न उठा था। अभी जी-20 देशों की बैठक है। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से वहां के विकास के लिए

एसआई के तालाब हैं, या तो तालाब एनक्रोचड हैं या उनमें स्वच्छता ठीक तरीके से नहीं है। हम उसको करना चाहते हैं तो एसआई के उस पर कहीं न कहीं रिसट्रक्शंस होते हैं। ऐसे विकास के कार्य एसआई के कारण से भी रुक रहे हैं। जो वर्तमान में वहां हमें चाहिए, विभाग का प्रश्न नहीं है, चूंकि वहां संस्कृति कार्य विभाग की बैठक है, एयर कनेक्टिविटी के बारे में क्या संस्कृति मंत्रालय कुछ विचार कर रहा है। जी-20 देशों की बैठक में लोग पूरी दुनिया से आएंगे। वहां की सुंदरता और स्वच्छता के लिए हम लोगों ने प्रधान मंत्री जी के अनुरोध पर कार्य शुरू कर दिया है। इस दिशा में कोई कार्य योजना है जी-20 देशों की बैठक की दृष्टि से एनक्रोचमेंट से ले कर जो सारे तालाबों की स्वच्छता और सुंदरता के लिए काम करना है, उस पर कोई कार्य योजना और इसके बारे में क्या कोई निर्देश माननीय मंत्री जी करेंगे?

श्रीमती मीनाक्षी लेखी: आदरणीय स्पीकर साहब, इस पर काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, काम हो भी रहा है और मैं बताना चाहती हूँ कि यह होलिस्टिक एप्रोच के तहत हो रहा है। जिसमें हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट और राज्य का टूरिज्म डिपार्टमेंट, रिकल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी, जिसमें इसरो की टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है और तमाम तरीके की इनवेस्टमेंट आस-पास के क्षेत्रों में की जाए, यह भी ध्यान दिया जा रहा है। सड़क आदि जो विषय हैं, उन पर राज्य के प्रबंधन में काम हो रहा है। उस पर एक बहुत ही विस्तृत मैपिंग के साथ बाकी काम शुरू हो चुके हैं।

श्री गणेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, खजुराहो विश्वस्तरीय पर्यटक स्थल है। वहां पर कोविड के पहले हजारों विदेश सैलानी आते थे। धीरे-धीरे वह समाप्ति की ओर जा रहा है। अभी जैसा कि माननीय प्रश्नकर्ता आदरणीय वी.डी. शर्मा जी ने पूछा है कि वहां पर जी-20 की बैठक होने वाली है। यह सही बात है कि वहां पर कनेक्टिविटी की जरूरत है। वहां संस्कृति मंत्रालय की तरफ से जो रोक लगी है, उसे हटा कर राज्य सरकार के साथ मिल कर एक विस्तृत कार्य-योजना बनाने की जरूरत है, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी: माननीय स्पीकर साहब, राज्य सरकार के साथ ही काम हो रहा है। एक पूरी को-ऑर्डिनेशन टीम है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक इंवॉल्वड हैं और एक विस्तृत कार्य क्षेत्र में काम हो रहा है।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 167,

श्री जी.एम. सिद्धेश्वर ।

(Q.167)

माननीय अध्यक्ष: श्री जी. एम. सिद्धेश्वर ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती गीता कोडा ।

... (व्यवधान)

DR. SHASHI THAROOR: Thank you very much, hon. Speaker. Sir. We are facing a crisis of huge unemployment in our country, which has actually reached a record level never marked before. In my State of Kerala, we have 40 per cent of people between 19 and 23 who are unemployed. In these circumstances, the challenge we have in Kerala is unlike that of many other States. These are people who are educated and, for the most part, skilled. So, you have a problem with unemployment among those who have skills.

The question is, when you talk about skill development training, are you doing anything to correlate the training that is offered with the demands of the market so that people who are actually looking for jobs can find them? We are in a crisis situation in my State where it is 40 per cent. I think, Kashmir is also comparable. Maybe, other States are not far behind. I would urge the hon. Minister that instead of just mechanically setting up centres, we should also have some

connection to the demands of employers as to what skills are needed so people who are trained can find jobs.

SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR: Hon. Speaker, Sir, the question posed by the hon. Member doesn't really pertain to this parliamentary question. However, may I take this opportunity to respond nonetheless? I think the hon. Member should be aware that over the last few years, that is, pre-COVID, between 2016 and 2021, the Government of India has placed a big emphasis on skilling and building a large network, and indeed, a large number of youths have been skilled. These skilling programmes have almost entirely been developed as demand-based skilling programme where the demand from the industries determines what skills are provided by which institutions. So, I would like to correct whatever misgivings he has or gaps he has in his understanding that these are skill programmes that are being developed in Delhi and are being delivered in various States, cities, villages, and panchayats. The skill programmes in its entirety are developed in consultation with Sector Skill Councils, which are essentially a bridge to the industry. Therefore, there is absolutely clear and close industry correlation and demand-driven skilling in our programme.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 168,

श्री तीरथ सिंह रावत ।

(Q.168)

श्री तीरथ सिंह रावत: माननीय अध्यक्ष जी, केन्द्रीय विद्यालयों का विस्तार बड़ी तेजी से हुआ है, जिनमें सैनिक, अर्द्ध सैनिक, कर्मचारी और सामान्य वर्ग के बच्चे भी पढ़ते हैं। लेकिन, यह देखने को मिला है कि इन विद्यालयों में पिछले कई वर्षों से स्थायी प्रधानाचार्य, शिक्षकों और कर्मचारियों का अभाव होने के कारण बोर्ड की परीक्षा भी प्रभावित हुई है।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कब तक सभी विद्यालयों में स्थायी प्रधानाचार्य आ जाएंगे और शिक्षक नियुक्त हो जाएंगे?

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी: अध्यक्ष महोदय, नियुक्ति एक सतत् प्रक्रिया है। वर्ष 2018 तक नियुक्तियां हुई हैं, पर कोविड-19 की वजह से नियुक्तियां नहीं हुई थीं। अभी हमने टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ की लगभग 12,000 से ज्यादा वैकेन्सीज निकाली हैं। माननीय सदस्य जिन वैकेन्सीज के बारे में बता रहे हैं, ये बहुत जल्द पूरी हो जाएंगी।

***WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**

(Starred Question Nos. 169 to 180

Unstarred Question Nos. 1841 to 2070)

(Page No. 39 - 692)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त ।

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

12.00 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय अध्यक्ष: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

राव इंद्रजीत सिंह

12.01 hrs.

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (RAO INDERJIT SINGH): Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Competition Commission of India (Procedure for Engagement of Experts and Professionals) Amendment Regulations, 2022 (Hindi and English versions) published in Notification No. A-12015/01/2022-HR/CCI dated 12th September, 2022 under Section 64 of the Competitions Act, 2002.

[Placed in Library, See No. LT 7919/17/22]

- (2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 469 of the Companies Act, 2013:-
 - (i) The Companies (Accounts) Fourth Amendment Rules, 2022 published in G.S.R.624(E) dated 11th August, 2022.

- (ii) The Companies (Incorporation) Third Amendment Rules, 2022 published in G.S.R.643(E) dated 18th August, 2022.
- (iii) The Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Second Amendment Rules, 2022 Third Amendment Rules, 2022 published in G.S.R.658(E) dated 26th August, 2022.
- (iv) The Companies (Appointment and Qualification of Directors) Third Amendment Rules, 2022, published in G.S.R.662(E) dated 29th August, 2022.
- (v) The Companies (Acceptance of Deposits) Amendment Rules, 2022 Amendment Rules, 2022 published in G.S.R.663(E) dated 29th August, 2022.
- (vi) The Companies (Registration of Charges) Second Amendment Rules, 2022 Amendment Rules, 2022 published in G.S.R.664(E) dated 29th August, 2022.
- (vii) The Companies (Specification of definition details) Amendment Rules, 2022 Amendment Rules, 2022 published in G.S.R.700(E) dated 15th September, 2022.
- (viii) The Companies (Registered Valuers and Valuation) Amendment Rules, 2022 Amendment Rules, 2022 published in G.S.R.831(E) dated 22nd November, 2022.

- (ix) The National Financial Reporting Authority (Manner of Appointment and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and Members) Rules, 2018 published in G.S.R.262(E) dated 22nd March, 2018.
 - (x) The Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Amendment Rules, 2022 published in Notification No. G.S.R.715(E) in Gazette of India dated 20th September, 2022.
- (3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at Item Nos. (i) and (ix) of (2) above.

[Placed in Library, See No. LT 7920/17/22]

- (4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Financial Reporting Authority, New Delhi, for the year 2021-2022.
- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Financial Reporting Authority, New Delhi, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 7921/17/22]

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Competition Commission of India, New Delhi, for the year 2021-2022.

- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Competition Commission of India, New Delhi, for the year 2021-2022, together with Audit Report thereon.
- (iii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Competition Commission of India, New Delhi, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 7922/17/22]

- (6) A copy of the 8th Annual Report (Hindi and English versions) on the working and administration of the Companies Act, 2013 for the year ended 31st March, 2022.

- (7)
 - (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Labour Economics Research and Development, Delhi, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Labour Economics Research and Development, Delhi, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 7923/17/22]

- (8)
 - (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Statistical Commission, New Delhi, for the year 2021-2022.

- (ii) A copy of the Action Taken Report (Hindi and English versions) by the Government on the recommendations of Annual Report of the National Statistical Commission, New Delhi, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 7924/17/22]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) पर्यावरण (संरक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 2022 जो 5 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 682 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) पर्यावरण (संरक्षण) तीसरा संशोधन नियम, 2022 जो 3 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 804 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 7925/17/22]

- (2) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) का.आ. 1176 (अ) जो 13 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मूकाम्बिका वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थिति की संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।

- (दो) का.आ. 1564 (अ) जो 15 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तलकावेरी वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थिति की संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।
- (तीन) का.आ. 1701 (अ) जो 26 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थिति की संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।
- (चार) का.आ. 1815 (अ) जो 7 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अत्तिवेरी पक्षी अभयारण्य पारिस्थिति की संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।
- (पांच) का.आ. 1857 (अ) जो 8 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अरबित्तू वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थिति की संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।
- (छह) का.आ. 1811 (अ) जो 7 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा रंगायनदुर्ग चौसिंगा मृग वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थिति की संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।
- (सात) का.आ. 2029 (अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा घटप्रभा पक्षी अभयारण्य पारिस्थिति की संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।
- (आठ) का.आ. 2028 (अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पुष्पगिरी वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थिति की संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।

- (नौ) का.आ. 2147 (अ) जो 6 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा रानेबेन्नुर काला मृग अभयारण्य पारिस्थिति की संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।
- (दस) का.आ. 2148 (अ) जो 6 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गुदावी पक्षी अभयारण्य पारिस्थिति की संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।
- (ग्यारह) का.आ. 2145 (अ) जो 6 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गुदेकोटे स्लॉथ बियर अभयारण्य पारिस्थिति की संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।
- (बारह) का.आ. 2733 (अ) जो 22 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कावेरी वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थिति की संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।
- (तेरह) का.आ. 2993 (अ) जो 12 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा रामदेवरबेट्टा गिद्ध अभयारण्य पारिस्थिति की संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।
- (चौदह) का.आ. 3031 (अ) जो 14 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मलाई महादेश्वर वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थिति की संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।
- (पंद्रह) का.आ. 3084 (अ) जो 21 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मेलूकोटे वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थिति की संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।

- (सोलह) का.आ. 3132 (अ) जो 27 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा नूगू वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थिति की संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।
- (सत्रह) का.आ. 3577 (अ) जो 10 नवम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा रंगनाथिडू पक्षी अभयारण्य पारिस्थिति की संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।
- (अठारह) का.आ. 2797(अ) जो 5 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा शरावती घाटी वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थिति की संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।
- (उन्नीस) का.आ. 2893 (अ) जो 9 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा चिंचोली वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थिति की संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।
- (बीस) का.आ. 4152 (अ) जो 19 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिलीगिरी रंगास्वामी मंदिर टाईगर रिजर्व पारिस्थिति की संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।
- (इक्कीस) का.आ. 1036 (अ) जो 11 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थिति की संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।
- (बाईस) का.आ. 2188 (अ) जो 2 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थिति की संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।

- (तेईस) का.आ. 2942 (अ) जो 28 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थिति की संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।
- (चौबीस) का.आ. 3497 (अ) जो 9 अक्तूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा थिल्मापुरा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थिति की संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।
- (पच्चीस) का.आ. 787 (अ) जो 19 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा यदाहल्ली चिंकारा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थिति की संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।
- (छब्बीस) का.आ. 5251 (अ) जो 17 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जोगिमति वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थिति की संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित किया गया है।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7926/17/22]

- (4) (एक) सलीम अली पक्षीविज्ञान एवं प्रकृति विज्ञान केंद्र, कोयम्बटूर के वर्ष 2018-2019 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सलीम अली पक्षीविज्ञान एवं प्रकृति विज्ञान केंद्र, कोयम्बटूर के वर्ष 2018-2019 से 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7927/17/22]

- (6) (एक) गोविन्द बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान, अल्मोड़ा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) गोविन्द बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान, अल्मोड़ा के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7928/17/22]

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS
AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN
RAM MEGHWAL):** Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Kalakshetra Foundation, Chennai, for the year 2021-2022, alongwith audited accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Kalakshetra Foundation, Chennai, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 7929/17/22]

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Lalit Kala Akademi, New Delhi, for the year 2020-2021, alongwith audited accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Lalit Kala Akademi, New Delhi, for the year 2020-2021.
- (3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

[Placed in Library, See No. LT 7930/17/22]

- (4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Asiatic Society, Kolkata, for the year 2021-2022, alongwith audited accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Asiatic Society, Kolkata, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 7931/17/22]

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Council of Science Museums, Kolkata, for the year 2021-2022, alongwith audited accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Council of Science Museums, Kolkata, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 7932/17/22]

- (6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indira Gandhi National Centre for Arts, New Delhi, for the year 2019-2020.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indira Gandhi National Centre for Arts, New Delhi, for the year 2019-2020, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indira Gandhi National Centre for Arts, New Delhi, for the year 2019-2020.
- (7) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (6) above.

[Placed in Library, See No. LT 7933/17/22]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ।

- (1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) का.आ.3180 (अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (दो) का.आ.3209 (अ) जो 15 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) 21 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या 64/2022-सीमाशुल्क (एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) का.आ.3576 (अ) जो 29 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) 4 अगस्त, 2022 की अधिसूचना संख्या 66/2022-सीमाशुल्क (एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) का.आ.3801 (अ) जो 12 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (सात) 18 अगस्त, 2022 की अधिसूचना संख्या 70/2022-सीमाशुल्क (एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) का.आ.4090 (अ) जो 31 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टेरिफ मूल्य के संशोधन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) 1 सितम्बर, 2022 की अधिसूचना संख्या 73/2022-सीमाशुल्क (एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) का.आ.4344 (अ) जो 15 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टेरिफ मूल्य के संशोधन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (ग्यारह) 15 सितम्बर, 2022 की अधिसूचना संख्या 78/2022-सीमाशुल्क (एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक

व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बारह) 26 सितम्बर, 2022 की अधिसूचना संख्या 83/2022-सीमाशुल्क (एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेरह) का.आ.4624 (अ) जिसके द्वारा 30 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टेरिफ मूल्य के संशोधन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौदह) 30 सितम्बर, 2022 की अधिसूचना संख्या 85/2022-सीमाशुल्क (एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पंद्रह) 6 अक्टूबर, 2022 की अधिसूचना संख्या 87/2022-सीमाशुल्क (एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सोलह) का.आ.4814 (अ) जो 10 अक्टूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, स्वर्ण,

चांदी और सुपारी पर टेरिफ मूल्य के संशोधन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) का.आ.4894 (अ) जो 14 अक्टूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टेरिफ मूल्य के संशोधन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) 20 अक्टूबर, 2022 की अधिसूचना संख्या 90/2022-सीमाशुल्क (एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) का.आ.5078 (अ) जिसके द्वारा 31 अक्टूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टेरिफ मूल्य के संशोधन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) 3 नवम्बर, 2022 की अधिसूचना संख्या 92/2022-सीमाशुल्क (एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) का.आ.5241 (अ) जो 10 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, स्वर्ण,

चांदी और सुपारी पर टेरिफ मूल्य के संशोधन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) का.आ.5250 (अ) जो 11 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टेरिफ मूल्य के संशोधन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) 14 नवम्बर, 2022 की अधिसूचना संख्या 95/2022-सीमाशुल्क (एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) का.आ.5310 (अ) जो 15 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टेरिफ मूल्य के संशोधन को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) 17 नवम्बर, 2022 की अधिसूचना संख्या 97/2022-सीमाशुल्क (एन.टी.) जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) कूरियर आयात और निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा और प्रसंस्करण) दूसरा संशोधन विनियम, 2022 जो दिनांक 23 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र

में अधिसूचना सं. सा.का.नि.722(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) सा.का.नि. 848(अ) जो 25 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कतिपय विशिष्ट एफटीए/पीटीए अधिसूचना में संशोधन करना है ताकि सेल्यूलर मोबाईल फोनों के लिए ड्राईवर या नियंत्रण सर्किटों के बिना फ्लैट पैनल डिस्प्ले मोड्यूल्स के संबंध में ट्रांसपोजिशन के पश्चात् परिणामवर्ती परिवर्तनों को कार्यान्वित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाईस) सीमा-शुल्क (अपराधों का प्रशमन) संशोधन नियम, 2022 जो 22 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 645(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतीस) सीमा-शुल्क (प्रशुल्क की रियायती दर पर या विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोग के लिए वस्तुओं के आयात) नियम, 2022 जो 10 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 692(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीस) अधिसूचना सं. सा.का.नि. 876(अ) जो 12 दिसम्बर, 2022 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 01.10.1977 की अधिसूचना संख्या 208/77-सीमा-शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि भूमि सीमा-शुल्क स्टेशन (एलसीएस) भिथामोड और बारहनी को उन एलसीएस की सूची में सम्मिलित किया जा सके, जहां मेसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडिया द्वारा मेसर्स नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेपाल को किए गए पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात, जिनके लिए लागत का

भुगतान भारतीय मुद्रा में प्राप्त हुआ है, ड्यूटी ड्रॉबैक के दावे के लिए अर्हत होंगे । यह एक व्यापार प्रसुविधा उपाय है ।

- (2) उपर्युक्त (1) की मद सं. (एक) और (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7934/17/22]

- (3) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) आयकर (23वां संशोधन) नियम, 2022 जो 1 अगस्त, 2022 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 610(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (दो) आयकर (24वां संशोधन) नियम, 2022 जो 10 अगस्त, 2022 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 622(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (तीन) आयकर (25वां संशोधन) नियम, 2022 जो 17 अगस्त, 2022 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 632(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (चार) आयकर (26वां संशोधन) नियम, 2022 जो 17 अगस्त, 2022 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 634(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (पांच) आयकर (27वां संशोधन) नियम, 2022 जो 18 अगस्त, 2022 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 636(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक

व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

- (छह) आयकर (28वां संशोधन) नियम, 2022 जो 22 अगस्त, 2022 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 647(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (सात) आयकर (29वां संशोधन) नियम, 2022 जो 1 सितम्बर, 2022 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 677(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (आठ) आयकर (30वां संशोधन) नियम, 2022 जो 14 सितम्बर, 2022 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 697(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (नौ) आयकर (31वां संशोधन) नियम, 2022 जो 20 सितम्बर, 2022 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 709(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (दस) आयकर (32वां संशोधन) नियम, 2022 जो 28 सितम्बर, 2022 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 733(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (ग्यारह) आयकर (33वां संशोधन) नियम, 2022 जो 7 अक्तूबर, 2022 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 769(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 7935/17/22]

- (4) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 860(अ) जो दिनांक 1 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या 18/2022-केंद्रीय उत्पाद शुल्क में संशोधन किए गए हैं, ताकि कूड पेट्रोलियम के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम किया जा सके।

(दो) सा.का.नि. 861(अ) जो दिनांक 1 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा दिनांक 30 जून, 2022 की अधिसूचना संख्या 04/2022-केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम किया जा सके।

[Placed in Library, See No. LT 7936/17/22]

(5) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 853(अ) जो 28 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय उसमें उल्लिखित कास्ट एल्युमिनियम अलॉय व्हील्स या अलॉय रोड व्हील्स (एआरडब्ल्यू) पर प्रतिपाटन शुल्क की मात्रा को रूपांतरित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7936-A/17/22]

(6) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति ((हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी निवेश) नियम, 2022 जो दिनांक 22 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 646(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी निवेश) विनियम, 2022 जो दिनांक 22 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फेमा 400/2022-आरबी में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 7937/17/22]

- (7) सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति ((हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) सिक्का निर्माण (इंटरपोल की 90वीं महासभा के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2022 जो 14 अक्टूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 776(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) सिक्का निर्माण (युगवीर जन आचार्य श्रीमद विजय वल्लभ सूरी की 150वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2022 जो 25 अक्टूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 789(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) सिक्का निर्माण (श्री रामचन्द्र जी की 150वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2022 जो 25 अक्टूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 791(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 7938/17/22]

- (8) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 29 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (अंतरराष्ट्रीय शाखा कैंपस और अपतटीय शिक्षा केन्द्रों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2022 जो 12

अक्तूबर, 2022 की अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2022-23/आरईजी027 में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (धन शोधन-रोधी, आतंक वित्तपोषण-रोधी और अपने ग्राहक को जानें) दिशानिर्देश, 2022 जो 31 अक्तूबर, 2022 की अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2022-23/जीएल001 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) का.आ. 5160(अ) जो 4 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं या वित्तीय संस्थाओं के लिए कतिपय अपवाद, आशोधन और अनुकूलन अधिसूचित किए गए हैं।
- (चार) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (वेबसाइट का अनुरक्षण) विनियम, 2022 जो 27 नवम्बर, 2022 की अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2022-23/जीएन/आरईजी021 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 7939/17/22]

(9) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2022 जो 25 जुलाई, 2022 की अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/88 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (वैकल्पिक निवेश निधियां) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 25 जुलाई, 2022 की अधिसूचना सं.

एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/89 में प्रकाशित हुए थे।

- (तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022 जो 25 जुलाई, 2022 की अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/90 में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (म्यूचुअल फंड्स) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 जो 3 अगस्त, 2022 की अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/92 में प्रकाशित हुए थे।
- (पाँच) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का सारभूत अर्जन और टेकओवर) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 9 नवम्बर, 2022 की अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/98 में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शुल्क का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 9 नवम्बर, 2022 की अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/99 में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रीयल एस्टेट निवेश नियम) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 9 नवम्बर, 2022 की अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/100 में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 जो 9 नवम्बर, 2022 की अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/101 में प्रकाशित हुए थे।

- (नौ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (गैर-संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धता) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 जो 9 नवम्बर, 2022 की अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/102 में प्रकाशित हुए थे।
- (दस) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) (छठा संशोधन) विनियम, 2022 जो 14 नवम्बर, 2022 की अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/103 में प्रकाशित हुए थे।
- (ग्यारह) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज एंड क्लीयरिंग कारपोरेशन (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 जो 15 नवम्बर, 2022 की अधिसूचना संख्या एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2020/104 में प्रकाशित हुए थे।
- (बारह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (वैकल्पिक निवेश निधियां) (चौथा संशोधन) विनियम, 2022 जो 15 नवम्बर, 2022 की अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/105 में प्रकाशित हुए थे।
- (तेरह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (म्यूचुअल फंड्स) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022 जो 16 नवम्बर, 2022 की अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/106 में प्रकाशित हुए थे।
- (चौदह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) (चौथा संशोधन) विनियम, 2022 जो 22 नवम्बर, 2022 की अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/107 में प्रकाशित हुए थे।

- (पंद्रह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 24 नवम्बर, 2022 की अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/108 में प्रकाशित हुए थे।
- (सोलह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) (सातवां संशोधन) विनियम, 2022 जो 5 दिसम्बर, 2022 की अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/109 में प्रकाशित हुए थे।
- (सत्रह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्तियां) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 1 अगस्त, 2022 की अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/91 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 7940/17/22]

- (10) माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 की धारा 13 के अंतर्गत, माल और सेवा कर (प्रशुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण की अवधि) नियम, 2022 जो 24 जून, 2022 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.468(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7941/17/22]

- (12) शेयर बाजार घोटाले और उससे संबंधित मामलों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति - दिसम्बर, 2022 की सिफारिशों के अनुसरण में की-गर्इ-कार्रवाई पर 39वें कार्रवाई प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7942/17/22]

(13) (एक) सेंटर फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, नई दिल्ली के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7943/17/22]

(14) (एक) सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7944/17/22]

(15) (एक) मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7945/17/22]

(16) (एक) इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज, बंगलौर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज, बंगलौर के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7946/17/22]

- (17) (एक) नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7947/17/22]

- (18) (एक) इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7948/17/22]

- (19) इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेस सेंटर्स अथॉरिटी, गांधीनगर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7948-A/17/22]

- (20) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फ़ाइनेंस एंड पॉलिसी, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फ़ाइनेंस एंड पॉलिसी, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7949/17/22]

- (21) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत, अधिसूचना संख्या सा.का.नि.849(अ), जो 25 नवंबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके अंतर्गत संघ राज्यक्षेत्रों (विधानमंडल के बिना) में अग्रिम शासन के लिए प्राधिकरण के संविधान में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7950/17/22]

- (22) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194द की उप-धारा (2) के अंतर्गत दिनांक 13 सितम्बर, 2022 का 2022 का परिपत्र सं.18, जिसमें कठिनाइयों को दूर करने के लिए अतिरिक्त दिशानिर्देश अधिसूचित किए गए हैं, की एक प्रति (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7951/17/22]

- (23) राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 7(1) और धारा 7(3)(ख) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 की पहली छमाही की समाप्ति पर बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय में प्रवृत्तियों की छमाही समीक्षा संबंधी विवरण तथा उक्त अधिनियम के अधीन सरकार के दायित्वों की पूर्ति में विचलन को स्पष्ट करने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7952/17/22]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR): Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Instructional Media Institute, Chennai, for the year 2021-2022, alongwith audited accounts.

[Placed in Library, See No. LT 7953/17/22]

- (2) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Instructional Media Institute, Chennai, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 7954/17/22]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

- (1) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर सितारगंज, उधम सिंह नगर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[Placed in Library, See No. LT 7955/17/22]

- (दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर सितारगंज, उधम सिंह नगर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7956/17/22]

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRIMATI**

MEENAKASHI LEKHI): Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Eastern Zonal Cultural Centre, Kolkata, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.
- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Eastern Zonal Cultural Centre, Kolkata, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 7957/17/22]

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the North East Zonal Cultural Centre, Dimapur, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.
- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the North East Zonal

Cultural Centre, Dimapur, for the year 2020-2021.

- (3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

[Placed in Library, See No. LT 7958/17/22]

- (4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Institute of Himalayan Cultural Studies, Dahung, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Institute of Himalayan Cultural Studies, Dahung, for the year 2020-2021.

- (5) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (4) above.

[Placed in Library, See No. LT 7959/17/22]

- (6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the North Central Zone Cultural Centre, Prayagraj, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the North Central Zone Cultural Centre, Prayagraj, for the year 2020-2021.

- (7) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (6) above.

[Placed in Library, See No. LT 7960/17/22]

- (8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Ramakrishna Mission Institute of Culture, Kolkata, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Ramakrishna Mission Institute of Culture, Kolkata, for the year 2020-2021.

[Placed in Library, See No. LT 7961/17/22]

- (9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the South Central Zone Centre, Nagpur, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the South Central Zone Cultural Centre, Nagpur, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 7962/17/22]

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका सिंह सरुता): महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूँ:-

- (1) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातियां वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[Placed in Library, See No. LT 7963/17/22]

- (2) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातियां वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष

2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 7964/17/22]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (2) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[Placed in Library, See No. LT 7965/17/22]

- (3) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7966/17/22]

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अन्नपूर्णा देवी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:-

- (1) (एक) समग्र शिक्षा राज्य कार्यान्वयन समिति, इम्फाल, मणिपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) समग्र शिक्षा राज्य कार्यान्वयन समिति, इम्फाल, मणिपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7967/17/22]

- (3) (एक) समग्र शिक्षा अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) समग्र शिक्षा अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7968/17/22]

- (5) (एक) समग्र शिक्षा दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) समग्र शिक्षा दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7969/17/22]

- (6) (एक) समग्र शिक्षा चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र, चंडीगढ़ के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (दो) समग्र शिक्षा चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र, चंडीगढ़ के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7970/17/22]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (एडवोकेट अजय भट्ट): महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1 (ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा।
- (दो) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 7971/17/22]

- (2) (एक) उत्कल अशोक होटल निगम लिमिटेड, पुरी के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) उत्कल अशोक होटल निगम लिमिटेड, पुरी के वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 7972/17/22]

- (3) (एक) पंजाब अशोक होटल निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) पंजाब अशोक होटल निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की

टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 7973/17/22]

- (4) (एक) रांची अशोक बिहार होटल निगम लिमिटेड, रांची के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) रांची अशोक बिहार होटल निगम लिमिटेड, रांची के वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 7974/17/22]

- (5) (एक) पांडिचेरी अशोक होटल निगम लिमिटेड, पुदुचेरी के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) पांडिचेरी अशोक होटल निगम लिमिटेड, पुदुचेरी के वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 7975/17/22]

- (6) (एक) कुमारकृपा फ्रंटियर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) कुमारकृपा फ्रंटियर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 7976/17/22]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा): महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1 (ख) के अंतर्गत

निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) उत्तरपूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (2) उत्तरपूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 7977/17/22]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION (DR. SUBHAS

SARKAR): Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the All India Council for Technical Education Pay Scales, Service Conditions and Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and Other Academic Staff such as Library, Physical Education and Training & Placement Personnel in Degree level Technical Institutions and Measures for the Maintenance of Standards in Technical Education (Amendment) Regulations, 2022 (Hindi and English versions) published in Notification No. F.No. 61-1/P&AP/7th CPC/2016-17 dated 7th November, 2022 under Section 24 of the All India Council for Technical Education, Act 1987.

[Placed in Library, See No. LT 7978/17/22]

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Board of Apprenticeship Training, Northern Region,

Kanpur, for the year 2021-2022, alongwith audited accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Board of Apprenticeship Training, Northern Region, Kanpur, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 7979/17/22]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Board of Apprenticeship Training, Southern Region, Chennai, for the year 2021-2022, alongwith audited accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Board of Apprenticeship Training, Southern Region, Chennai, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 7980/17/22]

- (4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sant Longowal Institute of Engineering & Technology, Sangrur, for the year 2021-2022, alongwith audited accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sant Longowal Institute of Engineering & Technology, Sangrur, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 7981/17/22]

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technical Teachers Training &

Research, Chandigarh, for the year 2021-2022, alongwith audited accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technical Teachers Training & Research, Chandigarh, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 7982/17/22]

- (6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technical Teachers Training & Research, Bhopal, for the year 2021-2022, alongwith audited accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technical Teachers Training & Research, Bhopal, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 7983/17/22]

- (7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Association of Indian Universities, New Delhi, for the year 2021-2022.

- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Association of Indian Universities, New Delhi, for the year 2021-2022, together with Audit Report thereon.

- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Association of Indian Universities, New Delhi, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 7984/17/22]

- (8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Mizoram University, Aizawl, for the year 2020-2021.
 - (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Mizoram University, Aizawl, for the year 2020-2021, together with Audit Report thereon.
 - (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Mizoram University, Aizawl, for the year 2020-2021.
- (9) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (8) above.

[Placed in Library, See No. LT 7985/17/22]

- (10) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central University of Odisha, Koraput, for the year 2020-2021.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Central University of Odisha, Koraput, for the year 2020-2021, together with Audit Report thereon.

- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Central University of Odisha, Koraput, for the year 2020-2021.

[Placed in Library, See No. LT 7986/17/22]

- (11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Nagaland University, Lumani, for the year 2020-2021.
 - (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Nagaland University, Lumani, for the year 2020-2021, together with Audit Report thereon.
 - (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Nagaland University, Lumani, for the year 2020-2021.
- (12) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (11) above.

[Placed in Library, See No. LT 7987/17/22]

- (13) (i) A copy each of the Annual Reports (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Advanced Study, Shimla, for the years 2019-2020 to 2020-2021, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy each of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Advanced Study, Shimla, for the years 2019-2020 to 2020-

2021.

- (14) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (13) above.

[Placed in Library, See No. LT 7988/17/22]

- (15) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central University of Punjab, Bathinda, for the year 2021-2022.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Central University of Punjab, Bathinda, for the year 2021-2022, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central University of Punjab, Bathinda, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 7989/17/22]

- (16) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Manipur University, Imphal, for the year 2020-2021.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Manipur University, Imphal, for the year 2020-2021, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Manipur University, Imphal, for the year 2020-2021.

- (17) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (16) above.

[Placed in Library, See No. LT 7990/17/22]

- (18) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Assam University, Silchar, for the year 2021-2022.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Assam University, Silchar, for the year 2021-2022, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Assam University, Silchar, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 7991/17/22]

- (19) (i) A copy each of the Annual Reports (Hindi and English versions) of the Doctor Harisingh Gour Vishwavidyalaya, Sagar, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy each of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Doctor Harisingh Gour Vishwavidyalaya, Sagar, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 7992/17/22]

- (20) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya, Wardha, for the year 2020-2021, together with Audit Report thereon.

- (21) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (20) above.

[Placed in Library, See No. LT 7993/17/22]

- (22) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak, for the year 2021-2022.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak, for the year 2021-2022, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 7994/17/22]

- (23) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Board of Apprenticeship Training, Western Region, Mumbai, for the year 2021-2022, alongwith audited accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Board of Apprenticeship Training, Western Region, Mumbai, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 7995/17/22]

- (24) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Science Education and Research, Bhopal, for the year 2021-2022.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Science Education and Research, Bhopal, for the year 2021-2022, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Science Education and Research, Bhopal, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 7996/17/22]

- (25) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Science Education and Research, Tirupati, for the year 2021-2022.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Science Education and Research, Tirupati, for the year 2021-2022, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Science Education and Research, Tirupati, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 7997/17/22]

- (26) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central University of Jharkhand, for the year 2020-2021.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Central University of Jharkhand, for the year 2020-2021, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central University of Jharkhand, for the year 2020-2021.

- (27) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (26) above.

[Placed in Library, See No. LT 7998/17/22]

- (28) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Visva Bharati, Santiniketan, for the year 2021-2022.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Visva Bharati, Santiniketan, for the year 2021-2022, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Visva Bharati, Santiniketan, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 7999/17/22]

- (29) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Ropar, Ropar, for the year 2021-2022.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Ropar, Ropar, for the year 2021-2022, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Technology Ropar, Ropar, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 8000/17/22]

- (30) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Bhilai, Bhilai, for the year 2021-2022.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Bhilai, Bhilai, for the year 2021-2022, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Technology Bhilai, Bhilai, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 8001/17/22]

- (31) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central University of Gujarat, Gandhinagar, for the year 2021-2022.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Central University of Gujarat, Gandhinagar, for the year 2021-2022, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central University of Gujarat, Gandhinagar, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 8002/17/22]

- (32) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central University of Kashmir, Kashmir, for the year 2021-2022.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Central University of Kashmir, Kashmir, for the year 2021-2022, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central University of Kashmir, Tulmulla, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 8003/17/22]

- (33) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Information Technology, Una, for the year 2020-21, alongwith Audited Accounts.
- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Information Technology, Una, for the year 2020-21.

- (34) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (33) above.

[Placed in Library, See No. LT 8004/17/22]

- (35) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of

the Indian Institute of Information Technology Sricity, Chittoor, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Technology Sricity, Chittoor, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 8005/17/22]

- (36) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Jamia Milia Islamia, New Delhi, for the year 2021-2022.

- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Jamia Milia Islamia, New Delhi, for the year 2021-2022, together with Audit Report thereon.

- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Jamia Milia Islamia, New Delhi, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 8006/17/22]

- (37) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology Karnataka, Mangalore, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of

Technology Karnataka, Mangalore, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 8007/17/22]

- (38) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology Raipur, Raipur, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology Raipur, Raipur, for the year 2020-2021.
- (39) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (38) above.

[Placed in Library, See No. LT 8008/17/22]

- (40) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central University of Karnataka, Kalaburagi, for the year 2021-2022.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Central University of Karnataka, Kalaburagi, for the year 2021-2022, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central University of Karnataka, Kalaburagi, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 8009/17/22]

- (41) (i) A copy each of the Annual Reports (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy each of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 8010/17/22]

- (42) (i) A copy each of the Annual Reports (Hindi and English versions) of the Visvesvaraya National Institute of Technology, Nagpur, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy each of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Visvesvaraya National Institute of Technology, Nagpur, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 8011/17/22]

- (43) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology, Warangal, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology, Warangal, for the year 2020-2021.
- (44) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (43) above.

[Placed in Library, See No. LT 8012/17/22]

- (45) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Industrial Engineering, Mumbai, for the year 2021-2022.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Institute of Industrial Engineering, Mumbai, for the year 2021-2022, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Industrial Engineering, Mumbai, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 8013/17/22]

- (46) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Ghani Khan Choudhary Institute of Engineering & Technology, Malda, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Ghani Khan Choudhary Institute of Engineering & Technology, Malda, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 8014/17/22]

- (47) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute of Science Education and Research, Pune, for the year 2021-2022.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Institute of Science Education and Research, Pune, for the year 2021-2022, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute of Science Education and Research, Pune, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 8015/17/22]

- (48) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Sanskrit University, Tirupati, for the year 2020-2021.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions)

of the National Sanskrit University, Tirupati, for the year 2020-2021, together with Audit Report thereon.

- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Sanskrit University, Tirupati, for the year 2020-2021.

- (49) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (48) above.

[Placed in Library, See No. LT 8016/17/22]

- (50) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indira Gandhi National Open University, New Delhi, for the year 2021-2022, together with Audit Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 8016-A/17/22]

- (51) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Science Education and Research, Thiruvananthapuram, for the year 2021-2022, alongwith audited accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Science Education and Research, Thiruvananthapuram, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 8017/17/22]

- (52) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian All India Council for Technical Education, New Delhi, for the year 2021-2022, alongwith audited accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the All India Council for Technical Education, New Delhi, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 8018/17/22]

- (53) A copy of the Notification No. F.No.CUJ/R.C/09/2020 (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 6th September, 2022 containing Ordinance No. 21 relating to Cadre Recruitment Rules (Non-Teaching and Other Academic Posts), 2021 under sub-section (2) of Section 28 of the Central Universities Act, 2009.

[Placed in Library, See No. LT 8019/17/22]

- (54) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Mahatma Gandhi National Council of Rural Education, Hyderabad, for the year 2021-2022.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Mahatma Gandhi National Council of Rural Education, Hyderabad, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 8020/17/22]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. BHAGWAT**KARAD):** Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Insurance Regulatory and Development Authority of India, Hyderabad, for the year 2021-2022, alongwith audited accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Insurance Regulatory and Development Authority of India, Hyderabad, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 8021/17/22]

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Pension Fund Regulatory and Development Authority, New Delhi, for the year 2021-2022, alongwith audited accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Pension Fund Regulatory and Development Authority, New Delhi, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 8022/17/22]

(3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

- (a) (i) Review by the Government of the Liquidator's Report on Voluntary Winding up of Industrial Investment Bank of India Limited, for the quarter ending 31st March, 2022.
- (ii) Liquidator's Report on Voluntary Winding up of Industrial Investment Bank of India Limited, for the quarter ending 31st March, 2022

[Placed in Library, See No. LT 8023/17/22]

- (b) (i) Review by the Government of the Liquidator's Report on Voluntary Winding up of Industrial Investment Bank of India Limited, for the quarter ending 30th June, 2022.
- (ii) Liquidator's Report on Voluntary Winding up of Industrial Investment Bank of India Limited, for the quarter ending 30th June, 2022

[Placed in Library, See No. LT 8024/17/22]

- (c) (i) Review by the Government of the Liquidator's Report on Voluntary Winding up of Industrial Investment Bank of India Limited, for the quarter ending 30th September, 2022.
- (ii) Liquidator's Report on Voluntary Winding up of Industrial

Investment Bank of India Limited, for the quarter ending 30th
September, 2022.

[Placed in Library, See No. LT 8025/17/22]

(4) A copy each of the following Annual Reports and Accounts (Hindi and English versions) of the Regional Rural Banks for the year ended the 31st March, 2022 together with Auditor's Report thereon:-

- (i) Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank, Hanumakonda
- (ii) Andhra Pragathi Grameena Bank, Kadapa
- (iii) Arunachal Pradesh Rural Bank, Naharlagun
- (iv) Aryavart Bank, Lucknow
- (v) Assam Gramin Vikash Bank, Guwahati
- (vi) Bangiya Gramin Vikash Bank, Murshidabad
- (vii) Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank, Ajmer
- (viii) Baroda Gujarat Gramin Bank, Vadodara
- (ix) Baroda UP Bank, Gorakhpur
- (x) Chaitanya Godavari Grameena Bank, Guntur
- (xi) Chhattisgarh Rajya Gramin Bank, Raipur
- (xii) Dakshin Bihar Gramin Bank, Patna
- (xiii) Ellaquai Dehati Bank, Srinagar
- (xiv) Himachal Pradesh Gramin Bank, Mandi
- (xv) J&K Grameen Bank, Jammu

- (xvi) Jharkhand Rajya Gramin Bank, Ranchi
- (xvii) Karnataka Gramin Bank, Ballari
- (xviii) Karnataka Vikas Grameena Bank, Dharwad
- (xix) Kerala Gramin Bank, Mallappuram
- (xx) Madhya Pradesh Gramin Bank, Indore
- (xxi) Madhyanchal Gramin Bank, Sagar
- (xxii) Maharashtra Gramin Bank, Aurangabad
- (xxiii) Manipur Rural Bank, Imphal
- (xxiv) Meghalaya Rural Bank, Shillong
- (xxv) Mizoram Rural Bank, Aizawl
- (xxvi) Nagaland Rural Bank, Kohima
- (xxvii) Odisha Gramya Bank, Bhubaneswar
- (xxviii) Paschim Banga Gramin Bank, Howrah
- (xxix) Prathama U.P. Gramin Bank, Moradabad
- (xxx) Puduvai Bharthiar Grama Bank, Puducherry
- (xxxi) Punjab Gramin Bank, Kapurthala
- (xxxii) Rajasthan Marudhara Gramin Bank, Jodhpur
- (xxxiii) Saptagiri Grameena Bank, Chittoor
- (xxxiv) Sarva Haryana Gramin Bank, Rohtak
- (xxxv) Saurashtra Gramin Bank, Rajkot
- (xxxvi) Tamil Nadu Grama Bank, Salem
- (xxxvii) Telangana Grameena Bank, Hyderabad

- (xxxviii) Tripura Gramin Bank, Agartala
- (xxxix) Utkal Grameen Bank, Balangir
 - (xl) Uttar Banga Kshetriya Gramin Bank, Cooch Behar
 - (xli) Uttar Bihar Gramin Bank, Muzaffarnagar
 - (xlii) Uttarakhand Gramin Bank, Dehradun
 - (xlili) Vidharbha Konkan Gramin Bank, Nagpur

[Placed in Library, See No. LT 8026/17/22]

12.02 hrs.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report the following message received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

“In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 14th December, 2022 agreed without any amendment to the New Delhi International Arbitration Centre (Amendment) Bill, 2022 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 8th August, 2022.”

12.02½hrs.

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED
CASTES AND SCHEDULED TRIBES

18th and 19th Reports

DR. (PROF.) KIRIT PREMJBHAI SOLANKI (AHMEDABAD WEST): Sir, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes (2022-23):-

Eighteenth Report on Action taken by the Government on the recommendations contained in the Eighth Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes on the subject 'Reservation of Scheduled Castes/Scheduled Tribes in Public Sector Banks/Financial Institutions/Reserve Bank of India and credit facilities and other benefits being provided by such Institutions/Banks to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes with special reference to State Bank of India'.

Nineteenth Report on Action taken by the Government on the recommendations contained in the Thirteenth Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes on the subject 'Reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Central Public Sector Undertaking with special reference to Power Grid Corporation of India Limited'.

12.03 hrs.

STANDING COMMITTEE ON EDUCATION, WOMEN, CHILDREN,

YOUTH AND SPORTS

342nd to 347th Reports

श्री घनश्याम सिंह लोधी (रामपुर): महोदय, मैं शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

- (1) 'स्कूल लॉकडाउन के कारण हुए शैक्षणिक व्यवधान को दूर करने की योजनाएं तथा ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा और परीक्षाओं की समीक्षा तथा स्कूलों को पुनः खोले जाने की योजनाएं' विषय के बारे में 328वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 342वां प्रतिवेदन ।
- (2) 'स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23)' पर 336वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 343वां प्रतिवेदन ।
- (3) 'युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23)' पर 339वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 344वां प्रतिवेदन ।
- (4) 'उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23)' पर 337वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 345वां प्रतिवेदन ।
- (5) 'महिला और बाल विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23)' पर 338वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 346वां प्रतिवेदन ।
- (6) 'स्कूल पाठ्यपुस्तकों की विषय-वस्तु और डिजाइन में सुधार' के बारे में 331वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 347वां प्रतिवेदन ।

12.05 hrs.

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 41st Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2022-23) pertaining to the Department of Revenue, Ministry of Finance *

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): महोदय, मैं राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के 41वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

12.05½hrs.

(ii) (a) Status of implementation of the recommendations contained in the 32nd Report of the Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development on Demand for Grants (2022-23) pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR): Sir I beg to lay the following statements regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 32nd Report of the Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development on Demands for Grants (2022-23) pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.

* Laid on the Table and also placed in Library, See Nos. LT 7914/17/22 and LT 7915/17/22 respectively.

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 33rd Report of the Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development on 'Implementation of National Apprenticeship Promotion Scheme (NAPS)/National Apprenticeship Training Scheme (NATS)' pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR): Sir I beg to lay the following statements regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 33rd Report of the Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development on 'Implementation of National Apprenticeship Promotion Scheme (NAPS)/National Apprenticeship Training Scheme (NATS)' pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.

12.06 hrs.

(iii) Status of implementation of the recommendations contained in the 30th Report of the Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development on Demand for Grants (2022-23) pertaining to the Ministry of Labour and Employment*

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली): महोदय, मैं श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) पर श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

* Laid on the Table and also placed in Library, See Nos. LT 7916/17/22 and LT 7917/17/22 respectively.

12.06½hrs.

(iv) Status of implementation of the recommendations contained in the 318th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Demands for Grants (2022-23) pertaining to the Ministry of Tourism *

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (एडवोकेट अजय भट्ट): महोदय, मैं पर्यटन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) पर विभाग से संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 318वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 7918/17/22.

12.07 hrs.

REPEALING AND AMENDING BILL, 2022^{*}

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI KIREN RIJJU): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to repeal certain enactments and to amend an enactment.

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“कि कतिपय अधिनियमों का निरसन और एक अधिनियम का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

SHRI KIREN RIJJU: Sir, I introduce^{**} the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 19.12.2022.

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): सभापति महोदय, आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का यहां मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। कल रात जब फीफा वर्ल्ड कप में हमारे देश की अभिनेत्री फीफा ट्रॉफी का कर्टन रेज़र कर रही थीं, तो हमारा दिल वाकई गदगद हो गया और हौसला बढ़ गया। इस देश में पिछले दिनों देखने में आया है कि रंग को भी धर्म के आधार पर बांट रहे हैं। रंग के नाम पर फिल्मों को बैन करने की एक नई प्रथा शुरू हो गई है।

महोदय, इस देश के कई कलाकारों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई है, यह किसी से छिपा नहीं है। यह एक नया डिस्कोर्स इस देश में शुरू हो गया है कि सत्ता पक्ष के लोग फिल्म बैन करने की मांग करते हैं। आपने सेंसर बोर्ड क्यों बना रखा है? मैं उल्मा बोर्ड के हजरत का एक बयान पढ़ रहा था, वे भी कह रहे हैं कि जो ...* और ...* की फिल्म आई है, यह बैन करनी चाहिए।...

(व्यवधान)

माननीय सभापति: नाम रिकार्ड में नहीं जाएगा।

... (व्यवधान)

कुंवर दानिश अली: मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि फिल्मों को बैन करने का काम सेंसर बोर्ड का है। सदन के अंदर कई ऐसे कलाकार साथी, सदस्य हैं, जिन्होंने भगवा रंग के साथ कलाकारी का अपना हुनर दिखाया और शायद इसी हुनर को देखते हुए, वे आज इस सदन के अंदर आए हैं। ... (व्यवधान)

मैं समझता हूं कि सनातन धर्म इतना कमजोर नहीं है कि एक रंग का कपड़ा पहनकर अगर कोई कलाकार एक्ट करता है तो धर्म संकट में आ जाएगा। ... (व्यवधान) इस्लाम इतना कमजोर धर्म नहीं है कि कोई फिल्म में एक सीन से धर्म खतरे में आ जाएगा।

मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि आप यह डायरेक्शन दें कि जो फिल्म सेंसर बोर्ड से रिलीज होती है, उस फिल्म के बारे में इस तरीके की धमकी न दी जाए।

* Expunged as ordered by the Chair.

[کنور دانش علی (امروہ): محترم چیرمین صاحب، آپ نے مجھے ایک بہت اہم مدعہ اٹھانے کا موقع دیا اس کے لئے آپ کا بہت شکریہ۔ کل رات جب فیفا ورلڈ کپ میں ہمارے ملک کی ایک ایکٹریس فیفا ورلڈ کپ کا کرٹین ریزر کر رہی تھی تو ہمارا دل واقعی گد گد ہو گیا اور حوصلہ بڑھ گیا۔ اس ملک میں پچھلے دنوں دیکھنے میں آیا کہ رنگ کو بھی مذہب کی بنیاد پر بانٹ رہے ہیں۔ رنگ کے نام پر فلموں کو بین کرنے کی ایک نئی پرتھا شروع ہو گئی ہے۔

محترم چیرمین صاحب، اس ملک کے کئی اداکاروں نے بین الاقوامی سطح پر اس ملک کا نام روشن کرا ہے یہ کسی سے چھپا نہیں ہے۔ یہ ایک نیا ڈسکورس اس ملک میں شروع ہو گیا ہے کہ حکمران پارٹی کے لوگ فلم بین کرنے کی مانگ کرتے ہیں۔ آپ نے سینسر بورڈ کیوں بنا رکھا ہے؟ میں علماء بورڈ کے حضرت کا ایک بیان پڑھ رہا تھا، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو (کاروائی میں شامل نہیں) کی فلم آئی ہے، وہ بین کرنی چاہیے (مداخلت)۔۔۔

میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ فلموں کو بین کرنے کا کام سینسر بورڈ کا ہے۔ ایوان کے اندر کئی ایسے اداکارساتھی، ممبر ہیں، جنہوں نے بھگوا رنگ کے ساتھ کلا کاری کا اپنا ہنر دکھایا، اور شاید اسی ہنر کو دیکھتے ہوئے وہ آج اس ایوان میں آئے ہیں۔ (مداخلت)۔۔ میں سمجھتا ہوں کہ سناتن دھرم اتنا کمزور نہیں ہے کہ ایک رنگ کا کپڑا پہن کر اگر کوئی کلاکار ایکٹ کرتا ہے تو دھرم سنکٹ میں آجائے گا (مداخلت)۔ اسلام اتنا کمزور مذہب نہیں ہے کہ کوئی فلم میں ایک سین سے مذہب خطرے میں آجائے گا۔

میری آپ کے ذریعہ سرکار سے مانگ ہے کہ آپ یہ ڈائریکشن دیں کہ جو فلم سینسر بورڈ سے ریلیز ہوتی ہے، اس فلم کے بارے میں اس طرح کی دھمکی نہ دی جائے۔]

श्री तपन कुमार गोगोई (जोरहाट): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया। मेरा क्षेत्र असम के जोरहाट के अंदर तीन जिले - जोरहाट, शिवसागर और चरैदेओ है। चरैदेओ नया डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए केन्द्र सरकार की तरफ से नये जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने का प्लान है।

मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं कि नये चरैदेओ डिस्ट्रिक्ट में एक जवाहर नवोदय विद्यालय खोला जाए। इसे जल्दी खोलने के लिए मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है। मेरे डिस्ट्रिक्ट में एक सेंट्रल स्कूल खोलने की भी डिमांड है।

श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे संसदीय क्षेत्र अजमेर में स्थित अजमेर संभाग का सबसे बड़ा चिकित्सा संस्थान जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय है। जो पिछले 57 वर्षों से अजमेर संभाग के साथ-साथ संपूर्ण राजस्थान के बीमार मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज कर रहा है।

उक्त चिकित्सा संस्थान सन 1965 में स्थापित जवाहर लाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, अजमेर के अधीन संचालित है, जहां पर प्रतिवर्ष 250 यूजी एवं 197 मेडिकल छात्र-छात्राएं अपनी पढ़ाई एवं प्रशिक्षण पूर्ण कर देश-विदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उक्त चिकित्सा संस्थान में गत वर्ष 2021-22 में 9 लाख 70 हजार 290 ओपीडी एवं 59 हजार 727 आईपीडी में रोगियों ने भर्ती होकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया है। लेकिन वर्तमान में उक्त चिकित्सा संस्थान को और अधिक उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता की महती आवश्यकता है।

जिसमें सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक हेतु लगभग 200 करोड़ रुपये रेस्पिरेटरी मेडिसीन एवं सिलोकोसिस ब्लॉक हेतु लगभग 100 करोड़ रुपये एवं 05 टेस्ला एमआरआई मशीन हेतु चालू वित्तीय

वर्ष 2022-23 में लगभग 15 करोड़ रुपये बजट की महती आवश्यकता है अथवा राज्य सरकार को आबंटित चिकित्सा बजट के अंतर्गत उक्त चारों चिकित्सा सुविधाओं की स्वीकृति के लिए सक्षम विभागीय कार्यवाही कराएं। उक्त चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता होने पर अजमेर संभाग एवं परिक्षेत्र के उक्त गंभीर रोगों से ग्रसित मरीजों को जयपुर, दिल्ली एवं अन्यत्र नहीं जाना पड़ेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अरुण साव (बिलासपुर): सभापति महोदय, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने गरीबों के सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में एक बड़ी योजना बनाई है, ताकि गरीबों को पक्का मकान मिल सके।

परंतु आज छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में यह नारा गूंज रहा है कि 'मोर आवास मोर अधिकार रोक के रखे है कांग्रेस सरकार।' राज्य की कांग्रेस सरकार ने 11 लाख गरीब परिवारों का प्रधानमंत्री आवास रोक रखा है। राज्यांश न देकर उन्हें प्रधानमंत्री आवास से वंचित कर उनके सपनों को साकार करने से रोका है। ऐसे गरीब आज गांव-गांव में नारे लगा रहे हैं कि 'मोर आवास मोर अधिकार रोक के रखे है कांग्रेस सरकार।' यह गरीबों के साथ अन्याय है, यह गरीबों के साथ अत्याचार है।

मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से मांग करता हूं कि वह गरीबों के साथ अन्याय बंद करे। 11 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराकर उनके सपनों को साकार करने का काम करे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती गीताबेन वी. राठवा (छोटा उदयपुर): माननीय सभापति जी, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

मेरे संसदीय क्षेत्र में चानोद धार्मिक स्थल है, मां नर्मदा नदी में त्रिवेणी संगम है। यहां पूरे भारत देश के लोग अस्थि विसर्जन और पितृ पूजा के लिए आते हैं। हर महीने अमावस्या में कुबेर भंडारी के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में भक्त आते हैं, लेकिन भक्तों को आवागमन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

डबोई, एकता नगर वाया चानोद न्यू ब्रॉड गेज रेलवे लाइन मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ कर दी गई है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि यदि डबोई, एकता नगर, चानोद ब्रॉड गेज न्यू रेलवे लाइन के बीच में चानोद में स्टॉपेज प्रदान कर दिया जाए तो समस्या का समाधान हो जाएगा। धन्यवाद।

माननीय सभापति : दिया कुमारी जी - उपस्थित नहीं।

श्रीमती संध्या राय

श्रीमती संध्या राय (भिंड): माननीय सभापति जी, आपने मुझे शून्य काल में महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ।

मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का हृदय से बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके प्रयास से मध्य प्रदेश में 20-25 मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुए हैं। भिंड जिला लोकसभा क्षेत्र का महत्वपूर्ण जिला है। लोकसभा क्षेत्र में दो जिले आते हैं, एक दतिया है और दूसरा भिंड है। भिंड जिले में पांच और दतिया में तीन विधान सभाएं हैं। ऐसे बहुत से छोटे जिले हैं, जहां मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुए हैं।

भिंड जिला बहुत पिछड़ा जिला है। यहां से ग्वालियर और दतिया की दूरी 100 किलोमीटर है। यहां से आने-जाने में दो घंटे से ज्यादा समय लगता है, क्योंकि ट्रैफिक की बहुत अव्यवस्था रहती है। भिंड जिले के लिए मेडिकल कॉलेज बहुत आवश्यक है। यहां 20-25 लाख की आबादी है। भिंड जिला आजादी के समय से है। इसके बाद जो जिले बने हैं, उन छोटे जिलों के लिए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुए हैं। ऐसी स्थिति में मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से आह्वान करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि भिंड जिले को मेडिकल कॉलेज से जोड़ेंगे तो यह भिंड जिले के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी।

मैं एक बार पुनः माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय मंत्री जी का आह्वान करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ।

श्री कृपानाथ मल्लाह (करीमगंज): माननीय सभापति जी, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।

मेरा संसदीय क्षेत्र करीमगंज असम के लास्ट पार्ट में है। इसके चारों तरफ बार्डर है, बांग्लादेश, मिजोरम और त्रिपुरा का बॉर्डर है। मिजोरम में बीच-बीच में असम से लैंड डिस्प्यूट के कारण झड़प हो जाती है। वहां पेरा-मिलिट्री का कोई कैम्प नहीं है। यहां दो-तीन प्वाइंट्स हैं, हाइलाकांडी जिला है, लैलापुर है, कचूरथल है। करीमगंज में रातावाड़ी क्षेत्र है, रंगपुर है, पाताबाड़ी, मेडली और साथ ही बांग्लादेश भी है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी अनुरोध करता हूं कि दो-तीन कैम्प बनाए जाएं ताकि जब वहां डिस्प्यूट हो तो शांति बनाई रखी जा सके।

कुछ दिन पहले मिजोरम और असम में झड़प हुई थी तो असम और मिजोरम की पुलिस के लोग मारे गए थे। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि शांति बनाए रखने के लिए वहां कुछ कैम्प्स बनाए जाएं।

श्री रवि किशन (गोरखपुर): माननीय सभापति जी, आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

मैं पूर्वांचल के स्टूडेंट्स के बारे में बताना चाहता हूं। यह बहुत ही चिंता का विषय है। मेरा संसदीय क्षेत्र गोरखपुर एजुकेशनल हब है। योगी आदित्यनाथ जी ने इस पर बहुत काम किया है। यशस्वी प्रधान मंत्री मोदी जी ने वहां फर्टीलाइजर का बहुत बड़ा प्लांट लगाया है। यहां एम्स भी है। यहां बच्चों के लिए अपॉरच्युनिटीज़ भी बड़ी हो गई हैं इसलिए बच्चे आईआईटी की पढ़ाई के लिए पलायन कर जाते हैं। हमारे यहां प्रतियोगी संस्थान खोला जाना चाहिए। आईआईटी की पढ़ाई और आईपीएस, आईएएस के रैंक में पूर्वांचल के बच्चे, खासकर गोरखपुर के बच्चे फैंटास्टिक हैं, लेकिन उन्हें अपने माता-पिता को छोड़कर दूसरे शहरों में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। अगर यहां शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से आईआईटी के लिए संस्थान खोला जाएगा तो हमें बहुत खुशी होगी।

स्वरोजगार, जिसके बारे में हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री मोदी जी भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपने क्षेत्र में रहें और वहीं पढ़ें। आज वहां जॉब अपॉरच्युनिटी उपलब्ध है। आज गोरखपुर हर तरीके से एक राजधानी का रूप धारण कर लिया है।

सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि शिक्षा मंत्रालय कृपया इस पर ध्यान दे। वहां पर आईआईटीएन्स के लिए, हमारे बच्चों के लिए एक संस्थान बनाया जाए। धन्यवाद।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सभापति महोदय, आज हम सब इस बात की चिंता कर रहे हैं और यह बहुत चिंता का विषय है कि जम्मू-कश्मीर घाटी में बेगुनाह लोगों के जान जाने की सिलसिला थम नहीं रहा है। कभी आतंकवादियों की गोली से, कभी फौजियों की गलती से बेगुनाह लोगों की जान जाने का सिलसिला बंद नहीं हो रहा है।

सर, इस सदन के अंदर बड़े सीना तान कर कहा गया था कि धारा 370 के हट जाने के बाद, कश्मीर की बात छोड़ दीजिए, पीओके को कब्जे में लाएंगे और अक्साई चीन को कब्जे में लाएंगे, लेकिन आज हालत यह हो गई है कि जम्मू-कश्मीर से पंडित भाग रहे हैं। पंडितों को खत्म करने के लिए आतंकवादियों की तरफ से सूची बनाई जा रही है। वह सूची सरकारी दफ्तर से निकाली जा रही है। इस हालत में हम चाहते हैं कि जम्मू-कश्मीर के मामले पर सदन में विस्तार से चर्चा हो। फौजियों की गलती से बेगुनाह लोगों की जानें गई हैं। यह खबर आज के पेपर में निकला है। राजौरी में यह घटना घटी है, जहां कमल कुमार, सुरिन्दर कुमार की जान गई है। इस विषय पर सरकार कम से कम एक बयान तो दे। इस विषय पर सरकार का बयान देना जरूरी है।

माननीय सभापति: आप इस विषय के बारे में बीएसी में चर्चा कर लीजिए।

श्री सुनील बाबूराव मेंढे जी

... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: BAC is the right forum to decide.

... (Interruptions)

श्री सुनील बाबूराव मेंढे (भन्डारा-गोंदिया): धन्यवाद सभापति महोदय । मैं आपके माध्यम से माननीय विदेश मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र गोंदिया की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ, जहां मेडिकल कॉलेज और एयरपोर्ट तो है, वहां से विमान सेवा भी शुरू हुई है, लेकिन अभी तक वहां पासपोर्ट बनाने का कार्यालय शुरू नहीं हुआ है । ... (व्यवधान) गोंदिया एक बड़ा व्यापारिक केंद्र है । पासपोर्ट बनाने के लिए वहां के लोगों को करीब-करीब 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है । इसमें उनका समय भी लगता है और खर्चा भी ज्यादा होता है ।

मैं आपके माध्यम से आदरणीय विदेश मंत्री जी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि गोंदिया में जल्द से जल्द एक पासपोर्ट कार्यालय खोलने का निर्देश दें । धन्यवाद ।

***DR. PON GAUTHAM SIGAMANI (KALLAKURICHI):** Thank you hon. Chairman Sir. I want to raise an important issue in this august House. Since January 2022, the crude oil prices have started falling down throughout the world. In June it was 116 US dollars per barrel and now in December 2022 this has come down to 75 US dollars per barrel. This is a 35 per cent reduction. But the fuel prices remain the same. Union Government has not allowed these benefits to percolate down to the general public at the time when people are affected by inflation and unemployment. During the previous UPA Government, when the crude oil prices were 111 US dollars, the prices of petrol was Rs. 71 per litre and Diesel was Rs. 57 per litre. Today when the crude oil prices are at 86.91 dollars per barrel, the price of petrol per litre is Rs. 111 and Diesel per litre is Rs. 81. Therefore, the people are facing lots of difficulties. At the time when people are affected by inflation and unemployment, the intention of the Government should be to take the

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

benefits to the general public at large. Even after the reduced prices of crude oil in the international market, the Oil Companies and the Government have not brought down the fuel prices. There is a chain reaction on the price of other products as this price rise in fuels has impacted everything. People are facing several problems. Immediately, after our Chief Minister Shri M.K. Stalin came to power in the State of Tamil Nadu, as promised in the election manifesto, reduction of Rs 3 per litre was made on petrol and diesel prices in the State. Even before 3 days, Hon Union Minister while replying in this august House wanted to put the blame on the State Government and escape from the situation.

Therefore, I urge that as per the falling crude oil prices, the benefits should be allowed to percolate down to the general public at large. I urge the prices of all these products to be brought down by the Union Government., Thank you.

SHRI P.C. MOHAN (BANGALORE CENTRAL): Hon. Chairman, Sir, thank you very much for giving me an opportunity to speak on an important issue relating to my city. Bengaluru city has been expanding very fast and infrastructure has to keep pace with the rapid development of the city. The Government of Karnataka along with BBMP has been working to improve the infrastructure but certain important pockets of land continue to remain with the Defence units. Despite the fact that the Armed Forces authorities agreeing to transfer the Defence land for infrastructure projects in 2018-19 and the then Defence Minister looked into the issue and agreed to exchange the Defence land in 10 locations of Bengaluru city, except in three locations, local authorities have not given permission for any work. Due to these issues, the citizens of Bengaluru are suffering from increased traffic.

So, I request the hon. Raksha Mantri Shri Rajnath Singh Ji to urge the Defence officials to address the issue at the earliest.

Thank you very much, Sir.

माननीय सभापति: श्री चन्देश्वर प्रसाद – उपस्थित नहीं।

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़-बारां): महोदय, मुझे आज के इस शून्य काल में 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन' के बारे में एक बात बतानी है। वर्तमान में जो राजस्थान की सरकार है, वह 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन' में बहुत ही खराब काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस सोच के साथ यह कोशिश की थी कि स्वास्थ्य के लिए राशि रखी जाए और उस राशि से सभी को हेल्थ केयर में समान रूप से जोड़ा जाए।

वर्तमान में राजस्थान की जो सरकार है, 'नेशनल हेल्थ मिशन' का जो फंड है, उसने सिर्फ 27 प्रतिशत फंड का ही यूटिलाइज किया है। उसका ऑडिट नहीं हुआ है। इसके साथ ही साथ जो स्टेट मैचिंग शेयर है, उन्होंने वह भी नहीं दिया है। वर्तमान में राजस्थान सबसे खराब परफॉर्मिंग वाला राज्य है। लगभग 440 आयुष्मान भारत हेल्थ केयर्स सेंटर्स में केवल 18 प्रतिशत ही काम किया गया है। वहां जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, वहां भी काम नहीं किया गया है।

महोदय, मैं आपसे इतनी विनती करता हूं कि जो आवश्यक औषधियां हैं, लोगों को वे सही समय पर मिल सकें। मेरा जिला झालावाड़-बारां है, जो कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। उन जिलों में भी 'नेशनल हेल्थ मिशन' के तहत काम किया जाए। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि आप केन्द्र सरकार से बातचीत करके, राजस्थान सरकार से यह कहिए कि जो हेल्थ मिशन्स हैं, सिर्फ एक ही जिले में नहीं, बल्कि वे 33 जिलों में अच्छा काम करें, ताकि इसका लाभ पूरे प्रांत को मिल सके।

***SHRI GURJEET SINGH AUJLA (AMRITSAR):** Thank you, Sir. Punjab is known as the land of Gurus. Air is akin to Guru, water is like father and land is like mother. We need a clean environment. Guru Nanak Dev ji had centuries ago written these

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

words. But, today, in Tehsil Jira of Ferozepur district at Mansoorwal, a Malkos private Inter-national liquor company has been set up here. For the last 5 months, people of the area, including children and women are agitating. Mansoorwala, Ratanrohi, Maiyaa, Sodhiwala, Sekwaan – the water in these villages has been contaminated badly. People are dying of cancer and other diseases due to polluted water. People have been compelled to agitate. The D.C of the area takes notice of the liquor factory, NGT sends a report after two months. Why has the polluted water started coming from below the surface of ground.

Sir, people are dying due to consumption of contaminated water. The agitation is going on. However, no one is ready to help these hapless people. Today, over 200 agitating elders, children and women have been put behind bars. Where should the people go? People are dying. It is not a matter of only Ferozepur. Situation is similar in Ludhiana, Amritsar and Garhshankar.

Hon'ble Speaker Sir, to get at the root of the problem, a parliamentary committee should probe the entire problem by visitng these affected areas. The committee should include all MPs from Punjab, so that we can table a report about this here. Please, Sir, this is a serious matter. The government should take cognizance of the issue and take proper action...

HON. CHAIRPERSON: Please sit down. You can associate. Please complete.

SHRI GURJEET SINGH AUJLA: Sir, please save our land and our people. Thank you

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, आप बैठ जाइए। आप क्यों बोल रहे हैं?

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप बाद में एसोसिएट कर दीजिएगा।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, आप कंप्लीट कीजिए।

... (व्यवधान)

SEVERAL HON. MEMBERS: Sir, we all associate with the matter raised by Shri Aujla.... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please send your slips.

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Sir, when the Members are raising very important issues, it is very unfortunate that there is no Cabinet Minister present over here.... (*Interruptions*)

माननीय सभापति: यह जरूरी नहीं है। Ministers are there. A Cabinet Minister is there.

... (*Interruptions*)

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI: Sir, the aspirants of the Union Government Recruitment Examinations like the UPSC, SSC and banking exams have been struggling for more than two years now. Regular representations are being given by them but nobody seems to be helping them. We are all aware that the country, during the pandemic, had come to a standstill, and the livelihoods of the students and their future had also become a big question mark. Even the Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice, in its Report, has recommended that the Government should take a sympathetic approach and provide an extra attempt and age relaxation to the affected aspirants. Yet, there is no such plan and the Government, while answering to a question in this House, has said that they are not considering it.

Sir, a year of preparation nearly costs Rs. 3 lakh for a student and specially students from tier-II and tier-III towns and villages prepare for these examinations at the cost of their jobs, family responsibilities, etc. When they do not get a chance to clear these exams, they are really affected even mentally. Losing an opportunity is a very drastic issue for them in their lives.

Students who have lost their opportunity to write their exams because of the pandemic have to be given a chance and that is a fair thing to do. Through you, Sir, I urge upon the Government to reconsider its decision and explore the possibility of providing one more attempt to these candidates who have lost their chance because of the pandemic and increase their age limit. Thank you.

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN (KOTTAYAM): Sir, I thank you for giving me an opportunity to raise a matter of urgent public importance in this august House. The State of Kerala ranks second in milk productivity after the State of Punjab. However, the dairy farmers are facing great difficulty due to the ever-increasing price of cattle feed. The two public sector undertakings of the State of Kerala producing cattle feed are Kerala Feeds Limited and Kerala Cooperative Milk Marketing Federation Limited (MILMA). They are getting raw materials like de-oiled rice, bran, maize, jowar and wheat from various States including Punjab and Haryana. The cost of transportation and rail freight is causing a big problem to the public sector undertakings in keeping the cost of production of cattle feed at a low level.

If these raw materials are transported under the Kisan Rail Scheme, the cost of transportation will be reduced by 50 per cent which can be passed on to the

poor dairy farmers. Sir, considering the fact that this Scheme will benefit more than 3.78 lakh small and marginal dairy farmers in the State of Kerala, the hon. Minister of Animal Husbandry and Dairy Development of Government of Kerala, Shrimati Chinchu Rani has requested the hon. Minister of Railways through the hon. Minister of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India to include de oiled rice bran, maize, jowar and wheat in the Kisan Rail Scheme and provide the facilities for easy transportation of these raw materials to Kerala. I have also submitted letters to the hon. Minister of Agriculture, the hon. Minister of Railways and the hon. Minister of Animal Husbandry and Dairy Development in this regard. Considering the fact that the inclusion of these raw materials in the Kisan Rail Scheme will benefit more than 3.78 lakh small and marginal dairy farmers in the State of Kerala, I request the hon. Minister of Railways to give directions to the concerned officials to include these raw materials for the production of cattle feed, that is, de oiled rice bran, maize, jawar and wheat in the Kisan Rail Scheme.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): सभापति महोदय, जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण विषय मैं आज यहां रख रहा हूं। श्री सम्मेद शिखर जी जैन धर्मियों का अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ क्षेत्र है, जो झारखण्ड में स्थित है। यहां से 22 तीर्थंकर, तपस्वी, त्यागी और साधु-संत हुए हैं। हजारों सालों से यह क्षेत्र जैन धर्मियों का तीर्थ क्षेत्र माना जाता है। यहां लाखों की संख्या में भविक और जैन बांधव पूरे देश से आते हैं। इस क्षेत्र को झारखण्ड सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित करने का विचार किया है। अहिंसक और शांतिप्रिय जैन समाज को यह महसूस होता है कि यहां का पवित्र स्थल पर्यटन स्थल होने से यहां जैन धर्म की पवित्रता नष्ट हो जाएगी और इस बात के लिए जैन धर्मियों का इस क्षेत्र को पर्यटन स्थल बनाने का विरोध है।

मैं मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर जैन धर्मियों की भावना का आदर करते हुए इस पवित्र भूमि को पर्यटन स्थल घोषित न करने पर विचार करें। धन्यवाद।

माननीय सभापति: सुश्री दिया कुमारी – उपस्थित नहीं ।

श्री जामयांग शेरींग नामग्याल जी ।

श्री जामयांग शेरींग नामग्याल (लद्दाख): बहुत-बहुत धन्यवाद, सभापति महोदय ।

मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं । पूरा हिमालय क्षेत्र जनजातियों का घर है । अपने देश में बहुत सारी जनजातियां रहती हैं, उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण जनजाति दार्द आर्या कम्युनिटी है, जो सदियों पहले पाकिस्तान ऑक्क्यूपाइड कश्मीर के गिलगित से आकर पूरे लद्दाख में और कश्मीर की अलग-अलग जगहों पर बसे हुए हैं । मैं बताना चाहता हूं कि मेरी पार्लियामेंटरी कांस्टीट्यूेंसी के धा-हानू, गरकोन, दारचिक, गुरकुरदो, चुलीचंद, सारत्से, सनात्से, करकित, भटगम, काकसार, चनीगुंड, द्रास सब-डिवीजन और कश्मीर के गुरैज और तिलैल के एरियाज में दार्द आर्यन रहते हैं, जिनकी कल्चरल इम्पोर्टेंस और अलग एथनिसिटी इस देश का एक अलंकार है । नेशनल इंट्रेस्ट को देखते हुए और नेशनल इंटिग्रेशन को देखते हुए इस बात पर तवज्जुह दिया जाए । वर्ष 1999 का कारगिल वार इसी क्षेत्र में लड़ा गया, तब भारतीय सेना के साथ इस कम्युनिटी ने कन्धे से कन्धा मिलाकर, कदम से कदम बढ़ाकर इस देश की सीमा की सुरक्षा के लिए अपना पूरा जान-माल दांव पर लगाकर देश की सेवा की । आज यह आर्यन कम्युनिटी पापुलेशनवाइज कम हो रही है ।

इनका कल्चर खतरे में है । यहां ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कल्चर बैठे हुए हैं । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इनके कल्चर को आगे बढ़ाने और साथ ही साथ इनकी दार्दिक आर्यन लैंग्वेज, जिसको हिस्टोरियन कहते हैं, इस दार्दिक आर्यन लैंग्वेज के अलग-अलग प्रोग्राम्स चलाए जाएं । इसके साथ ही साथ ऑल इण्डिया रेडियो और दूरदर्शन के केन्द्र, जो लेह, कारगिल और कश्मीर में हैं, इस रेडियो स्टेशन और दूरदर्शन के माध्यम से इनकी लैंग्वेज में अलग-अलग प्रोग्राम्स चलाए जाएं, ताकि इस दार्दिक आर्य का डिस्टिक्टिव कल्चर और आइडेंटिटी बरकरार रहे । मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल मंत्री जी के ध्यान में यही लाना चाहता हूं । आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

माननीय सभापति: श्री राजमोहन उन्नीथन जी – उपस्थित नहीं ।

श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर (दादरा और नागर हवेली): महोदय, धन्यवाद।

*Thank you Chairman Sir. My constituency Dadra and Nagar Haveli has a large population of tribal. Despite the fact that both these regions generate revenue of rupees six to seven thousand crores, people of these regions are deprived of basic facilities. The situation is very worse in my constituency. The facilities which are presently available to the people are also being snatched away from them. They are being deprived of basic amenities like health, education roads, water, electricity, housing and ration. Schemes like Pradhan Mantri Aavas Yojana and MANREGA are running only on papers. Government employees are being dismissed from their jobs. Tribal people living in forest areas since many years are now being served notices to vacate their land. They are being pressurized to vacate land. Their land is snatched away and their houses are demolished. Recently a very tragic incident took place in the region. One member of a family immolated himself with petrol in front of the officers. There is an atmosphere of fear and anger among the people due to this incident. The people are resentful and unhappy. Poor tribal are being exploited. They are living in very tough conditions. Suicide cases are rising and police complaints are also increasing. The condition of the region is worsening day by day which is a matter of high concern. This situation is prevailing for last six to seven years i.e. since the appointment of Shri Praful Patel as Administration of this region. He is also accused in the case of the then Member of Parliament, Late Shri Mohanbhai Delkar. I request Central

* English translation of the speech originally delivered in Gujarati.

Government to take actions against him. Strict actions should be taken against responsible officers. Democracy should be established in the region and people should be given their rights. Thank you.

माननीय सभापति: श्री रतन लाल कटारिया जी ।

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला): सर, थैंक्यू ।

माननीय सभापति: आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं । आप अपनी बात एक मिनट में पूरी कीजिए ।

... (व्यवधान)

श्री रतन लाल कटारिया: सर, थैंक्यू । मैं आपका ध्यान गीता जयंती के अवसर पर गीता ज्ञान की भूमि कुरुक्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 19 नवंबर से 6 दिसंबर, 2022 तक है, उस ओर दिलाना चाहता हूं । भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया भी 29 नवंबर को गीता महोत्सव में गई थीं और हमारे आदरणीय स्पीकर साहब भी 19 नवंबर को कुरुक्षेत्र में गीता जयंती के अंदर शामिल हुए थे ।

महोदय, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव अब न केवल भारत में बल्कि कनाडा, इंग्लैंड, मॉरीशस में भी मनाया गया और अब मार्च में आस्ट्रेलिया में मनाए जाने की तैयारी चल रही है । जिस प्रकार से लोग गीता ज्ञान की ओर आकर्षित हो रहे हैं तो मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि सारे विश्व के सैलानियों को गीता स्थली कुरुक्षेत्र की ओर आकर्षित करने के लिए कुरुक्षेत्र व कुरुक्षेत्र के 48 कोस के क्षेत्र में आवागमन का विश्व स्तरीय ढांचा खड़ा किया जाए, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व हवाई अड्डा शामिल है । हरियाणा सरकार ने भी ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: अब आपकी बात पूरी हो गई है ।

SHRI C.N. ANNADURAI (TIRUVANNAMALAI): Hon. Chairman, Sir, nano urea is a source of nutrient that provides nitrogen plants an alternative to the conventional urea. The nano urea is in liquid form and it can curtail the requirement of urea, at least, 50 per cent. The Government should formulate sustainable policy for the production, price control, reduction of cost and adequate supply of nano urea. The

nano urea is enhancing yield and reducing global warming. It also improves the quality of groundwater and increases the farmer's income.

Therefore, I strongly suggest the Government to give importance to assured supply of nano urea in the country. I urge the Government to set up a nano urea plant in my constituency to bridge the demand-supply gap in Tamil Nadu.

Thank you.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): सभापति महोदय, कोविड के समय में कुछ ट्रेन्स में जीरो लगा कर स्पेशल ट्रेन्स बनाए गए और उनके किराये बढ़े। कुछ हॉल्ट्स पर जो ट्रेन्स उस समय रुक रही थीं, वे आज नहीं रुक रही हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी मांग करना चाहता हूँ कि बख्तियारपुर से गया चलने वाली ट्रेन नम्बर - 03625-26 जो पहले सभी हॉल्ट्स पर रुकती थी, उसे सभी हॉल्ट्स पर रोका जाए।

दूसरा, 13233-34 दानापुर-राजगीर इंटरसिटी ट्रेन जो नालंदा रेलवे स्टेशन पर कोविड काल के पहले से रुकती थी, उसको बंद कर दिया गया है, उसको भी रोका जाए।

12391-92, श्रमजीवी एक्सप्रेस जो पावापारी और सिलाव, पहले से रुकते रही है, उसका भी ठहराव बंद कर दिया गया है। मेरा अनुरोध है कि उसका ठहराव किया जाए, जिससे लोगों के आवागमन में सुविधा हो।

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग): चेयमैन साहब, हाल ही में SKIMS Institute में कांफ्रेंस हुई, जिसमें यह कहा गया कि जम्मू-कश्मीर में lung disease का बड़ा भारी बर्देन है। श्रीनगर में लंग कैंसर की घटना मुल्क में सबसे ज्यादा होती है। यह बड़ा संगीन मामला है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसकी in-depth तहकीकात की जाए। इस बड़े इन्सिडेंस के क्या वजुहात हैं, उसके बारे में कहा जाए।

दूसरी बात यह जाना जाए कि श्रीनगर के मुजाफात में जो दर्जन भर सीमेंट फैक्ट्रीज और लाइमस्टोन माइनिंग हो रहे हैं, उनके dust-pollution का इसमें क्या रोल है? इसके लिए क्या उपाए किए जाएं, ताकि उसे रोका जाए।

सर, early detection बड़ा अहम बन जाता है। श्रीनगर में diagnostic facilities कम हैं। एक PET Scan एक करोड़ लोगों के लिए है। मेरी यह गुजारिश होगी कि अनंतनाग में PET Scan और MRI लगाई जाए, ताकि early detection हो। इसके बारे में जो भी वजूहात हैं, यह श्रीनगर में सबसे ज्यादा हुआ है, वे वजूहात भी जाहिए की जाएं।

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदय, मैं लगातार इस पार्लियामेंट में अपने इलाके के बारे में बोल रहा हूँ कि बांग्लादेशी घुसपैठियों ने मेरे इलाके को कब्जा कर लिया है। झारखंड सरकार के सहयोग से ऐसा हो रहा है। सर, परसों की घटना है एक पहाड़ी जनजाति जो कि प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप में है, और अपनी स्थिति खो रहा है, उसकी एक लड़की से जबरदस्ती शादी कर ली गई। शादी करने के बाद उसके 50 टुकड़े कर दिए, रूबिया के 50 टुकड़े कर दिए। आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यदि यह मर्डर दिल्ली में हुआ होता, यदि कोलकाता में मर्डर होता या मुंबई में मर्डर हुआ होता, तो इसके लिए पूरे देश की मीडिया खड़ी होती। इसके पीछे यह कारण है कि हमारा जो मुख्यमंत्री है, खुद ... * है। वर्ष 2013 में उसके ऊपर ... * के चार्ज लगे और महाराष्ट्र सरकार ने उसकी सीबीआई इनक्वायरी के लिए कहा है।... (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): सभापति महोदय, 20 नवम्बर, 2022 को असम और मेघालय के सीमांतर इलाके वेस्ट कार्बी आंगलोंग में मुठभेड़ होने के कारण लगभग छः व्यक्तियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ... (व्यवधान)

सर, हम बार-बार देख रहे हैं कि असम एवं उनके पड़ोसी, विभिन्न प्रदेशों के सीमांतर इलाकों में इस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं।...(व्यवधान) यह बहुत दुर्भाग्यजनक बात है कि कुछ महीने पहले

* Not recorded as ordered by the Chair

असम और मिजोरम के पुलिस कर्मचारी आपस में गोलियां चला रहे थे। शायद, हमने अपने देश के किसी भी कोने में ऐसा नहीं देखा होगा कि दो राज्य के पुलिस कर्मचारी एक-दूसरे पर गोली चला रहे हैं।

सर, ताज्जुब की बात यह है कि चाहे असम हो, मेघालय हो या मिजोरम हो, वे सारे प्रदेश एक ही राजनीतिक गुट के हैं, जो 'नेडा' है। हम नेडा को आज की तारीख में नॉर्थ-ईस्ट डेमोक्रेटिक एलायंस के नाम से जानते हैं, लेकिन इस प्रकार की गतिविधियों के कारण वह नॉर्थ-ईस्ट डिवाइड एलायंस हो गया है।

आज नॉर्थ-ईस्ट में लोग सुख-शांति से, भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन कभी शिलांग में हादसा होता है, कभी असम और मिजोरम में हादसे होते हैं। इसलिए मैं दरखास्त करता हूँ कि एमएचए राज्य सरकारों को आदेश दे कि पुलिस के कर्मचारियों को एसओपी दिया जाए। ताकि इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लग सके।

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): माननीय सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे राजस्थान के एक अति महत्वपूर्ण विषय को उठाने का अवसर दिया।

माननीय सभापति महोदय, जोधपुर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें कई लोगों को असामयिक मृत्यु का सामना करना पड़ा। जोधपुर में सिलेंडर फटने के कारण निर्दोष लोगों की मृत्यु हो गई। राजस्थान की सरकार को जिस संवेदनशीलता के साथ मृतकों के परिवारजनों को सहयोग करना चाहिए था, वह अपेक्षित सहयोग नहीं किया गया।

इसी प्रकार से, जो दोषी अधिकारी थे, राज्य स्तर के उन दोषी अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैं आपके माध्यम से, सदन से आग्रह करूँगा कि जो ऑयल कम्पनीज हैं, जिन कम्पनीज के सिलेंडर थे, उनको निर्देश दिया जाए कि जो पीड़ित लोग हैं, उनको अधिक से अधिक मुआवजा दें एवं जो दोषी अधिकारी हैं, चाहे वे किसी भी स्तर के हों, उन पर कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाएं न हों।

माननीय सभापति: क्या आज आपका जन्मदिन रिल था?

डॉ. मनोज राजोरिया: जी हाँ सर।

माननीय सभापति: आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं ।

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Sir, the announcement to create buffer zones is very dangerous. ... (*Interruptions*) Wherever the buffer zones are being developed, the wild animals can enter there very easily. Very recently, the Government of Kerala has made a mistake, and they are again cheating the people of Kerala. They have prepared a satellite survey which they are going to submit before the Supreme Court. Earlier, it was decided to develop one kilometre of buffer zone which will include the human habitations within the buffer zone. That is why the judgment of the Supreme Court came up.

Sir, our demand is that their exercise should be stopped. The Government of India should intervene specifically in this case. There should be a physical verification. If the Government of Kerala is not doing physical verification, the Government of India should set up a Committee for conducting the physical verification to exclude the human habitations from the buffer zones.

श्री मितेष पटेल (बकाभाई) (आनंद): माननीय सभापति महोदय, किसी राष्ट्र के नाम से सामान्यतः उस देश की सभ्यता-संस्कृति, प्रभाव, गुण आदि झलकते हैं। उस नाम से, उसे राष्ट्र की संस्कृति या तासीर का सहज अंदाजा हो जाता है। हमारा राष्ट्र भात भी, भारतवर्ष, हिन्दुस्तान, आर्यावर्त, हिन्द, इंडिया एवं अन्य नामों से जाना जाता है। भारत का नाम 'इंडिया' ईस्ट इंडिया कम्पनी अर्थात् अंग्रेजों के शासनकाल से पुकारा जाने लगा। इस नाम को हमारे देश की सिन्धु नदी, इंडस की सभ्यता से जोड़ते हुए सही ठहराने की कोशिश होती है। लेकिन कहीं न कहीं इस नाम से गुलामी की बू आती है। अन्त्योदय के लिए समर्पित माननीय प्रधान सेवक श्रीमान नरेन्द्रभाई मोदी जी ने गुलामी के सारे प्रतीकों को खत्म करने का लाल किले से आह्वान किया था। उन्होंने गुलामी के कई प्रतीक चिह्नों को पीछे भी छोड़ा है। इंडिया के स्थान पर हर डॉक्यूमेंट में हर भाषा में भारत या भारतवर्ष का उपयोग होने से

गुलामी के एक और प्रतीक से यह देश मुक्त हो जाएगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के पाले में गेंद को डाल दिया है।

इसलिए मैं सदन के माध्यम से, सरकार से इसके लिए मांग करता हूँ।

श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर (चन्द्रपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं महाराष्ट्र के चन्द्रपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मेरे जिले में 5,500 मेगावाट बिजली का निर्माण होता है। यहाँ छः सीमेंट प्लांट्स, 10 स्टील प्लांट्स, एक पेपर मिल और लगभग 48 कोल माइंस हैं। चन्द्रपुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन, जो 2,940 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। यूनिट नम्बर 3 और 4 में वर्ष 1985 से प्रतिदिन 210 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। इसके 37 साल पूरे हुए हैं। कोल पर बिजली निर्माण करने वाली यूनिट की क्षमता 25 साल तक होती है। दोनों यूनिट्स के कारण चन्द्रपुर डिस्ट्रिक्ट पॉल्युटेड हुआ है। यह महाराष्ट्र पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट है। महाराष्ट्र सरकार ने इसकी समय सीमा वर्ष 2030 तक क्यों बढ़ायी है? एमआईडीसी द्वारा इस प्लांट के लिए समय-विस्तार की परमिशन न दी जाए क्योंकि चन्द्रपुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में एक नम्बर पर पॉल्युटेड है और पूरे देश में नम्बर दो पर पॉल्युटेड है। धन्यवाद।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): माननीय सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर जिले के बेलवा में बागमती नदी पर डैम का कार्य निर्माणाधीन है। वहां डैम के साथ-साथ तटबंध का निर्माण होना है। महोदय, वर्षा के दिनों में प्रत्येक वर्ष नदी में बाढ़ के पानी का फैलाव होने से पूर्वी चंपारण एवं शिवहर जिले के सैकड़ों गांवों में जान-माल एवं फसल की भारी क्षति होती है, जिसकी रोकथाम हेतु डैम एवं तटबंध का निर्माण किया जाना जनहित में अति-आवश्यक है।

जल संसाधन विभाग को डैम के साथ लगभग 1,732 मीटर लंबा तटबंध बनाना है, किंतु भू-अर्जन के अभाव में यह कार्य नहीं हो पा रहा है। मैं पिछले कई वर्षों से लगातार यह कार्य कराने के लिए प्रयासरत हूँ।

अतः सदन के माध्यम से सरकार से मेरा अनुरोध है कि जनहित में शिवहर के बेलवा में बागमती नदी पर आगामी वर्षा से पूर्व डैम पर 1,732 मीटर लंबे प्रस्तावित तटबंध का निर्माण कराया जाए,

जिससे दशकों से बाढ़ की विभीषिका झेल रहे यहां के लोगों की जान-माल और फसल को बचाया जा सके। धन्यवाद।

माननीय सभापति: डॉ. लोरहो फोज़ जी। आज मेरी आवाज कमजोर हो रही है।

... (व्यवधान)

DR. LORHO PFOZE (OUTER MANIPUR): Sir, thank you for giving me this opportunity to raise a matter of urgent public importance.

Sir, I wish to talk about the need for bringing in medical advancement in cardiovascular diseases in India. A large population in India suffers from valvular heart diseases. While degenerative heart valve diseases mainly affect older people, developing countries witness higher prevalence of rheumatic heart valve diseases, affecting younger population.

Medical technologies to deliver better and safer patient outcomes are some important developments over the past six decades. Pioneering work in heart valve replacement started in the early 1950s. Mechanical valves were introduced to replace the natural valves in the human heart, and treat valvular heart disease. However, one of the inherent limitations of this technology include requiring patients to be on life-long blood thinners.

A better solution was proposed in the 1970s with the development of biological tissue valves using either porcine (pig) or bovine (ox) pericardium, allowing patients to lead a better quality of life. However, tissue valves presented degeneration limitation and required repeat surgery.

The newer tissue valves exhibit evidence of up to 30 years of longevity among patients over 60 years. The most recent revolution is the advent of

transcatheter valve replacement as an alternative to surgical intervention in severe aortic stenosis patients. Transcatheter aortic valve implantation does not require open-heart surgery. Therefore, I urge the Government to create an enabling environment to access advanced medical technology for all patients.

श्री अब्दुल खालेक (बारपेटा): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

कोविड के समय काफी ट्रेन्स की सर्विसेज कैंसिल हुईं। नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की 13 ट्रेन्स की सर्विसेज सस्पेंड हुईं। इन 13 ट्रेन्स में से आठ ट्रेन्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनके साथ नॉर्थ-ईस्ट के लोगों का लाइवलीहुड, जीवन और जीविका भी जुड़ी है। गुवाहाटी-न्यू बोंगईगांव पैसेंजर ट्रेन, जिसका नंबर 55818 है। अलीपुर द्वारा-गुवाहाटी इंटरसिटी, जिसका नंबर 15771 है। डिब्रूगढ़-कोलकाता सुपरफास्ट, न्यू जलपाईगुड़ी-रंगिया पैसेंजर और डिब्रूगढ़-गुवाहाटी शताब्दी, जिसका नंबर 12086 है। ये सारी ट्रेन्स दोबारा चालू होनी चाहिए। धन्यवाद।

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): सभापति महोदय, धन्यवाद।

महोदय, माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार द्वारा 'लम्पी' बीमारी की रोकथाम के प्रभावी कदम उठाए गए। महोदय, केन्द्र सरकार टीके के आविष्कार से लेकर आवश्यक दवाओं को राज्यों की मांग स्वरूप उपलब्ध कराती रही और वही इसकी रोकथाम के लिए राज्य सरकारों को गाइडलाइंस भी देती रही। लेकिन राजस्थान प्रदेश की राज्य सरकार इस बीमारी पर राजनीति करती रही। हाल ही में राज्य की ओर से केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्रालय को सौंपी गई रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि करीब 32 फीसदी अति-संवेदनशील गायों का टीकाकरण ही नहीं हो पाया है। महोदय, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे कई राज्यों में 90 फीसदी से ज्यादा गायों का एलएसडी टीकाकरण हुआ, जबकि राजस्थान में यह केवल 68 प्रतिशत ही किया गया। पूरे देश में सर्वाधिक मौतें राजस्थान में ही हुईं।

अतः मेरा सदन के माध्यम से केंद्र सरकार से यह आग्रह है कि इस संबंध में राज्य सरकार से जवाब-तलब किया जाए और बाकी बची 32 प्रतिशत अति-संवेदनशील गायों का टीकाकरण समय पर किए जाने हेतु उन्हें निर्देशित किया जाए।

धन्यवाद।

13.00 hrs.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अधिष्ठाता महोदय, मैं भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। भारत-नेपाल की हमारी सीमा 1375 किलोमीटर से जुड़ी हुई है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार तीन राज्यों से यह सीमा जुड़ी है जिसमें उत्तर प्रदेश की 640 किलोमीटर, बिहार 564 किलोमीटर और उत्तराखंड की 173 किलोमीटर की सीमा है।

सौभाग्य से हमारी केंद्र सरकार भारत-नेपाल की 1375 किलोमीटर की सीमा पर सामरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से और बुद्धिस्ट सर्किट की दृष्टि से एक सड़क परियोजना का निर्माण कर रही है। इसमें कुछ आरक्षित वन होने के कारण, कुछ बाणगंगा नदी के बहाव के कारण काम पूरा नहीं हुआ। यह 1375 किलोमीटर की सड़क, चाहे सिद्धार्थ नगर में बाणगंगा नदी के बहाव के कारण हो, मलगहिया से हरबंसपुर तक का जो रास्ता है, वहां सड़क निर्माण में दिक्कत आई है और इसी तरह से अलीगढ़ से गनवरिया तक 0.45 रिजर्व फारेस्ट होने की वजह से परेशानी आई है।

मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि 1375 किलोमीटर इंडो-नेपाल बार्डर सड़क सीमा सुरक्षा के दृष्टिकोण से तीन राज्यों से नेपाल को जोड़ेगा। इसे पूरा करने के लिए जो आरक्षित वन है, उसकी क्लीयरेंस फारेस्ट विभाग से दिलाने हेतु कदम उठाए जाएं।

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): सभापति जी, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा के प्रश्न पर सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास परलम्बित है। इस दौरान दोनों तरफ जो कुछ घटनाएं हुईं, उनके बारे में हमारे आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने दोनों मुख्य मंत्रियों को बुलाकर अमन बरकरार रखने की सूचना दी थी।

उस सूचना के मुताबिक दोनों तरफ शांति थी। पिछले कई सालों से जब अधिवेशन होता है, तो वहां पंडाल में प्रदर्शन करने की अनुमति थी। वह परमिशन अचानक कल रद्द कर दी गई। कल वहां विधान सभा के अधिवेशन के समय प्रदर्शन के समय पंडाल तोड़ा गया और महाराष्ट्र एकीकरण समिति के लोगों को अरेस्ट किया गया और उसके बावजूद उन्होंने एक और सूचना जारी की कि महाराष्ट्र के किसी भी नेता को कर्नाटक में आने के लिए प्रतिबंधित कर दिया। यह कांस्टीट्यूशन पर हमला है और सबसे बुरी बात यह है कि हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो सूचना दी थी, उस सूचना का पालन न करके उनकी बात को अवमानित किया जा रहा है।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री उनकी सूचना का पालन नहीं करते हैं। हम इसका तीव्र निषेध करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार को इंटरवीन करना चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी इस पर इंटरवीन करें और उनकी सुरक्षा बरकरार रखें।... (व्यवधान)

LIST OF MEMBERS WHO HAVE ASSOCIATED THEMSELVES WITH THE ISSUES RAISED UNDER MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सदस्य, जिनके द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय उठाये गये।	सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया।
Dr.Pon Gautham Sigamani	DR. DNV Senthilkumar S. Shri Dhanush M. Kumar
Shri P. C. Mohan	DR. DNV Senthilkumar S.
Kunwar Danish Ali	DR. DNV Senthilkumar S. Shrimati Aparupa Poddar Shrimati Pratima Mondal Shri Prasun Banerjee
Shri P. P. Chaudhary	Dr. Manoj Rajoria Shri Dushyant Singh Shri Subhash Chandra Baheria Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Jagdambika Pal	Shri P. P. Chaudhary Shri Girish Chandra

	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Shrirang Appa Barne	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Dr. Manoj Rajoria Shri Dushyant Singh Shri Subhash Chandra Baheria
Shri Jamyang Tsering Namgyal	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shrimati Kalaben Mohanbhai Delkar	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Rattan Lal Kataria	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Uday Pratap Singh
Shri Bhagirath Choudhary	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Arun Sao	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri P. P. Chaudhary
Shrimati Vanga Geetha Viswanath	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shrimati Sandhya Ray	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Ravi Kishan	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Dushyant Singh	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri P. P. Chaudhary Dr. Manoj Rajoria
Adv. Dean Kuriakose	Shri K. Sudhakaran Shri Benny Behanan Shri Kodikunnil Suresh Shri K. Muraleedharan Shri Hibi Eden Adv. Adoor Prakash
Shrimati Kanimozhi Karunanidhi	Shri Dhanush M. Kumar Shri B. Manickam Tagore Shrimati Supriya Sadanand Sule
Shri Thomas Chazhikadan	DR. DNV Senthilkumar S.
Dr. Lorho Pfoze	DR. DNV Senthilkumar S.
Dr. Manoj Rajoria	Shri P. P. Chaudhary

Dr. Nishikant Dubey	Shri Uday Pratap Singh Shri Vishnu Dayal Ram Shri Sanjay Seth
Shrimati Kalaben Mohanbhai Delkar	Shri Arvind Sawant
Shri Arvind Sawant	Shrimati Supriya Sadanand Sule

माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही आज दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

13.03 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

—

14.03 hrs.

The Lok Sabha re-assembled at Three Minutes past Fourteen of the Clock.

(Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki in the Chair)

MATTERS UNDER RULE 377

HON. CHAIRPERSON: Matters under Rule 377 – Shri Nayab Singh Saini.

(i) Need to construct a road from Panchkula to Shaheed Bhagat Singh Airport, Chandigarh

श्री नायब सिंह सैनी (कुरुक्षेत्र): महोदय, मैं माननीय सड़क एवं परिवहन मंत्री जी का ध्यान हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा चंडीगढ़ तक पहुंचने के लिए हो रही कठिनाई से अवगत कराना चाहता हूं। हरियाणा राज्य से अधिक मात्रा में हवाई यात्री शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट से अपनी यात्रा करते हैं। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: कृपया अपनी स्क्रिप्ट पढ़िए।

श्री नायब सिंह सैनी: महोदय, विशेषकर पंचकुला जिले से जो कि लाखों की आबादी का क्षेत्र है, वहां से अधिकतर यात्री एयरपोर्ट तक अपनी यात्रा के दौरान भारी ट्रैफिक का सामना करते हैं एवं इसके अलावा ट्रैफिक लाइट न होने के कारण यात्रियों को एयरपोर्ट तक पहुंचने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिस वजह से उनका समय भी अधिक लगता है। कई बार समय से ना पहुंचने के कारण यात्रियों की हवाई यात्रा छूट जाती है। फिर मजबूरन यात्रियों को अन्य साधनों की सहायता लेकर यात्रा करनी पड़ती है। अतः मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि पंचकूला से सीधा शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट चंडीगढ़ तक के लिए एक सड़क मार्ग बनाने की कृपा करें, जिससे आवागमन कर रहे यात्रियों को सुविधा मिले और समय से पहुंचकर वे अपनी यात्रा कर सकें।

(ii) Need to sanction funds for construction of a railway line from Dehradun to Kalsi in Uttarakhand

श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह (टिहरी गढ़वाल): महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र टिहरी गढ़वाल (उत्तराखंड) के देहरादून जिले की ओर दिलाना चाहती हूँ। मुरादाबाद मंडल के अन्तर्गत देहरादून से कालसी तक रेल लाइन बिछाने का सर्वे दो बार हो चुका है, जिसमें कोई भी टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, लेकिन अभी तक देहरादून से कालसी तक रेल लाइन बिछाने के लिए वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली है। यह क्षेत्र पछुवादून-प्रवादून जौनसार बावर क्षेत्र में आता है और इस क्षेत्र के बहुत सारे लोग सेना में अपनी सेवा दे रहे हैं, उनको अपने घर आने-जाने में असुविधा होती है। इसके साथ ही साथ कालसी शिलालेख पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है एवं व्यापारिक दृष्टि से भी यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। रेल लाइन न होने के कारण यहां के व्यापारियों तथा यहां आने-जाने वाले पर्यटकों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

मान्यवर, देहरादून से कालसी तक रेल लाइन की मांग बहुत पुरानी है और समय-समय पर मुरादाबाद मंडल के देहरादून रेलवे स्टेशन से कालसी तक रेल लाइन बिछाने की मांग होती रही है।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि मुरादाबाद मंडल के देहरादून रेलवे स्टेशन से कालसी तक रेल लाइन बिछाने के लिए तत्काल वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें। इसके लिए क्षेत्र की जनता आपकी आभारी रहेगी।

**(iii) Need to set up Fast Track Child Rescue Cells all over the country
for tracking and rescue of missing children**

श्री तीरथ सिंह रावत (गढ़वाल): महोदय, मैं बच्चों पर अपराध, केस पर लापरवाही और बाल सुरक्षा हेतु सारे भारत में एक अलग पुलिस सेल, फास्ट ट्रैक चाइल्ड रेस्क्यू सेल (FTCRC) की जरूरत पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सम्पूर्ण भारतवर्ष के पुलिस विभाग में बच्चों की सुरक्षा हेतु फास्ट ट्रैक चाइल्ड रेस्क्यू सेल (FTCRC) का होना नितांत आवश्यक है। आज हमें भारत के 472 मिलियन बच्चों की सुरक्षा हेतु कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। नाबालिगों के लिए पूरे भारत में अलग से पुलिस सेल (FTCRC) का प्रस्ताव अनिवार्य काम हो गया है।

महोदय, आज हरेक बच्चा बेशकीमती है, न सिर्फ अपने परिवार अपितु भारत के स्वर्णिम उज्ज्वल भविष्य निर्माण हेतु भी। दिन-प्रतिदिन बच्चों पर अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं, जो कि एक विकट समस्या है और विडम्बना यह है कि उनकी सुरक्षा के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। NCRB के अनुसार हर 8 मिनट में एक बच्चा पूरे भारत से गुम और हर दिन 109 बच्चों का यौन शोषण हो रहा है। आज बच्चों की सुरक्षा में अनदेखी के निम्न कारण हैं।

1. जीरो FIR, जानकारी की कमी के कारण FIR करने में देरी ।
2. पुलिस बल पर अत्यधिक कार्य भार, समय, नई तकनीकी व मैन पावर की कमी ।
3. CWC अनाथालय के बच्चों की जानकारी ऑनलाइन न होना ।
4. पुलिस को नाबालिगों की खोज या मिलने पर आधार कार्ड के इस्तेमाल की पूर्ण छूट न होना ।
5. नवजात शिशुओं की आधार कार्ड के अभाव में हॉस्पिटल से चोरी और ताउम्र घर वापसी न होना ।
6. 9 से 18 साल के घर से भागे बच्चों के मिलने पर नाबालिग व अभिभावको की काउंसलिंग न होना ।

महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि FTCRC से तुरंत FIR, और तुरंत कार्यवाही होगी तथा केन्द्रीकृत डेटा (Centralised data) होने पर बच्चे के गुम होते ही सारे देश व सभी राज्य की सीमाओं में बच्चे की जानकारी पहुंचेगी। बच्चों से जुड़े अपराधियों की जानकारी एक जगह एकत्रित होगी। बायोमीट्रिक्स प्रौद्योगिकी (Technology) सुविधाएं, तुरन्त FIR और तुरन्त कार्रवाई न करने पर दण्ड तथा हॉस्पिटल या घर में पैदा हुए बच्चों के आधार कार्ड अनिवार्य रूप से बनाए जायें।

महोदय, मेरा अनुरोध है कि कृपया देश में फास्ट ट्रैक चाइल्ड रेस्क्यू सेल गठन करने के लिए ठोस कदम उठाएं ताकि हम लाखों-करोड़ों बच्चों को बचा सकें।

(iv) Need to develop Madhoganj in Hardoi district, Uttar Pradesh as an industrial area

श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख): महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र मिश्रिख, जनपद सीतापुर (उ.प्र.) एक अति पिछड़ा हुआ अनुसूचित बाहुल्य क्षेत्र है तथा इसमें सीतापुर, कानपुर नगर व हरदोई जनपदों के अति पिछड़े हुए क्षेत्र आते हैं। इस क्षेत्र की हरदोई जनपद की बिलग्राम तहसील में माधोगंज आता है। यहां बघौली से माधोगंज रोड पर उद्योग-धंधे तेजी के साथ विकसित हो रहे हैं तथा चाय की पैकेजिंग, चावल मिल्स, वेयर हाउस इत्यादि की स्थापना हो चुकी है।

इस क्षेत्र के विकास के लिए माधोगंज को औद्योगिक क्षेत्र में विकसित किए जाने की नितांत आवश्यकता है, जिससे अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामीण क्षेत्र का तेजी से विकास हो सके। माधोगंज को औद्योगिक क्षेत्र में विकसित किए जाने से इस क्षेत्र का ही नहीं, बल्कि निकटवर्ती पिछड़े क्षेत्रों का भी तेजी से विकास होगा और ग्रामीण युवकों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

अतः मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वह माधोगंज को औद्योगिक क्षेत्र में विकसित किए जाने हेतु सकारात्मक कदम उठाए, ताकि अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र का तेजी से विकास हो सके।

माननीय सभापति: श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा – उपस्थित नहीं।

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव जी।

(v) Regarding approval of two Kendriya Vidyalayas in Patnagarh and Titlagarh in Bolangir Parliamentary Constituency

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): Sir, the permission for opening of two Kendriya Vidyalayas in Patnagarh and Titlagarh sub-divisions of my Parliamentary constituency is still pending with the Central Government.

The Patnagarh Kendriya Vidyalaya is under the civil sector category. The site selection committee had visited and submitted its report on 9th February 2022. As per the suggestions of the committee, the necessary renovations of the temporary building have already been made.

Further, the 10 acres patch of land identified for the construction of the school has been levelled and is free from all encroachments.

I request the Ministry of Education to expedite the process of all approvals needed for the opening of the two Kendriya Vidyalayas in Patnagarh and Titlagarh in Bolangir Parliamentary Constituency.

माननीय सभापति : श्री भोलानाथ 'बी. पी. सरोज' जी – उपस्थित नहीं ।

डॉ. संघमित्रा मौर्य जी ।

(vi) Need to observe 3rd January, the birth anniversary of Savitribai Phule as Women Teachers' Day

डॉ. संघमित्रा मौर्य (बदायूं): महोदय, शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व का ही विकास नहीं करती है, बल्कि उसे पुरातन एवं रूढ़ मान्यताओं के गहरे भंवर से निकालकर प्रकाश की ओर भी जाती है। महिलाओं के संदर्भ में शिक्षा की बात हो तो माता सावित्री बाई फुले का नाम आता है। उन्होंने न केवल महिलाओं को पुरातन रूढ़ियों की बेड़ियों से आज़ाद किया वरन् उन्हें एक खुला आसमान दिया, जहां वह अपने सपनों की उड़ान को भर सकीं। उन्नीसवीं सदी से पूर्व तक हमारे ही समाज में स्त्री शिक्षा प्रतिबंधित थी, जो थोड़ी बहुत शिक्षा दी भी जाती थी उसका मुख्य केंद्र परिवार व पाक कला में निपुणता थी। इससे अधिक समाज में स्त्री शिक्षा का कोई व्यवहार नहीं था। कहा जा सकता है कि भारतीय समाज में स्त्री चेतना का स्वर उन्नीसवीं सदी के सुधारवादी आंदोलन से जाना प्रारंभ होता है।

सावित्री बाई फुले महिलाओं के लिए आशा की किरण थी। महज 66 साल के अपने जीवन में माता सावित्री बाई लाखों महिलाओं के लिए आदर्श और स्वाभिमान का प्रतीक बन गई। आने वाले कई वर्षों तक मां सावित्री बाई फुले को भारत की पहली महिला शिक्षिका के साथ-साथ एक महान समाज सेविका के रूप में याद किया जाएगा।

पूर्व में मैंने माता सावित्री बाई फुले जी की जयंती को महिला शिक्षिका दिवस के रूप में मनाए जाने की मांग की थी, जिसका जवाब मा. मंत्री जी के द्वारा लिखित रूप से दिया गया कि 5 सितम्बर डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए यह सम्भव नहीं है। महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि मेरी मांग यह नहीं है कि 5 सितम्बर की जगह 3 जनवरी को शिक्षक दिवस मनाया जाए, बल्कि मेरी मांग यह है कि माता सावित्री बाई फुले, जिन्हें आधुनिक भारत में एक ऐसी महिला के रूप में भी श्रेय दिया जाता है, जिन्होंने ऐसे समय में जब महिलाओं को पूर्ण आज़ादी उपलब्ध नहीं थी और वे उप-मानव के अस्तित्व में जी रही थीं तब माता सावित्री बाई फुले ने स्वयं की आवाज को बुलंद किया और महिला अधिकारों के लिये संघर्ष किया।

आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं और आगे बढ़कर समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही हैं और यह शिक्षा के माध्यम से ही संभव हो सका है। शिक्षा ने स्त्रियों को उनके अधिकार दिए और उनकी सुरक्षा के लिए बुलंद हौसले दिए। उस माता सावित्री बाई फुले की जयंती 3 जनवरी को महिला शिक्षिका दिवस के रूप में मनायी जाए।

माननीय सभापति: श्री राहुल कस्वां जी ।

... (व्यवधान)

श्री छतर सिंह दरबार जी ।

**(vii) Need to take measures to protect agriculture crops from wild animals in
Dhar Parliamentary Constituency**

श्री छतर सिंह दरबार (धार): अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में मेरे संसदीय क्षेत्र धार के अंतर्गत मालवा और नीमाड़ अंचल की नर्मदा पट्टी में ओंकारेश्वर डैम बनने के बाद इस पहाड़ी क्षेत्र के जंगली जानवर जैसे सुअर, नीलगाय आदि जो वहां रहते थे वो सब मालवा और नीमाड़ अंचल में आ गए हैं। ये जंगली जानवर इस पूरे क्षेत्र के किसानों की फसलों को पूरी तरह तहस-नहस करके भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस संबंध में सरकार से मेरा आग्रह है कि उपरोक्त जंगली जानवरों से किसानों की फसलों को बचाने हेतु तत्काल कारगर कदम उठाए जाएं।

माननीय सभापति: श्री दुष्यंत सिंह जी।

... (व्यवधान)

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़-बारां): सर, आपका संरक्षण चाहिए। ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: This is not the point to be raised.

... (Interruptions)

माननीय सभापति: आप अपनी बात रखिए। इनकी बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

... (व्यवधान)

(viii) Need to declare Eastern Rajasthan Canal Project as a National Project

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़-बारां): अध्यक्ष महोदय, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) वर्ष 2051 तक मेरे निर्वाचन क्षेत्र झालावाड़ - बारां सहित 13 जिलों में राज्य की 41% आबादी को लंबी अवधि की सिंचाई और पेयजल की जरूरतों को पूरा करेगी यह खेती योग्य भूमि को 2 लाख हेक्टेयर तक बढ़ायेगी और भूजल स्तर में वृद्धि करेगी।

इस परियोजना की प्रस्तावित लागत लगभग रु. 37,000 करोड़ रुपये हैं। काम में देरी होने की वजह से यह आंकड़ा रोजाना बढ़ रहा है। राज्य इस परियोजना की कीमत अकेले वहन नहीं कर सकता। वैसे भी राजस्थान की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है। इसका राजकोषीय घाटा 4.36% है, जो FRBM की 3% की सीमा से अधिक है। इसके 2022-23 के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित अपने वित्तीय और ऋण लक्ष्यों को पार करने का भी अनुमान है। इसलिए, राज्य को इस परियोजना के लिए केंद्रीय सहायता की आवश्यकता है जो केंद्र ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करके प्रदान कर सकता है।

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह जल्द से जल्द ईआरसीपी को एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित करें या पीकेसी परियोजना के साथ ईआरसीपी के लिंकेज के लिए एक प्रस्ताव का सुझाव दें जो परियोजना को राष्ट्रीय स्तर पर विचार करने योग्य बनाता है।

**(ix) Need to include Kushi Nagar Parliamentary Constituency under
Swadesh Darshan Scheme**

श्री विजय कुमार दुबे (कुशीनगर): माननीय सभापति जी, कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र बौद्ध सर्किट एरिया है। महात्मा बुद्ध की परिनिर्वाण भूमि होने के कारण प्रतिवर्ष दर्जनों देशों के बौद्ध तीर्थयात्री यहाँ दर्शन के लिए लाखों की संख्या में आते हैं। कुशीनगर के बौद्ध सर्किट एरिया को दुनिया के बुद्धिष्ट देशों से जोड़ने के लिए और यहाँ के पर्यटन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने के लिए ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कराया है। बौद्ध सर्किट एरिया से लगे क्षेत्र में आज भी पर्यटन विकास के लिए 195 एकड़ भूमि खाली पड़ी है जिस पर बहुत-सी परियोजनाएं केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय में लंबित हैं। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन योजना की गाइडलाइन को रीवाइज करते हुए स्वदेश दर्शन 2.0 हेतु नई गाइडलाइन जारी की गई है। मैं पर्यटन मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र को स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 में सम्मिलित करने का कष्ट करें। जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के भी अवसर मिलेंगे और पर्यटन के क्षेत्र में कुशीनगर का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास किया जा सके।

**(x) Need to Construct ROB, VUP, and CUP on National Highway No.52 in
Churu Parliamentary Constituency**

श्री राहुल कस्वां (चुरु): सभापति महोदय, मेरे लोकसभा क्षेत्र चुरु (राजस्थान) के अत्यंत महत्वपूर्ण राजमार्ग संख्या 52 का इस समय 2 लेन से 4 लेन किये जाने का कार्य प्रगतिरत है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है, जो मेरे लोकसभा क्षेत्र को सीधे तौर पर पंजाब और कांडला, गुजरात से जोड़ने का कार्य करता है। इस सड़क मार्ग का विस्तार कार्य 2024 में होना प्रस्तावित था, लेकिन माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी ने हमारे निवेदन पर अत्यधिक ट्रैफिक को देखते हुए इसी वर्ष इसके कार्य को किये जाने हेतु स्वीकृति जारी की। इस कार्य के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। लगातार बढ़ते ट्रैफिक के कारण इस मार्ग पर अनेक ऐसे ब्लाइंड स्पॉट बन गए हैं जिन पर आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। पिछले दिनों ही चुरु तहसील के गाँव ढाणी डीएसपुरा में 2 बच्चों की जान चली गई थी, जिसकी वजह से आमजन में भारी रोष था। मेरे द्वारा सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों व पुलिस को सम्मिलित करते हुए इस मार्ग का सर्वे कर विभिन्न ब्लाइंड स्पॉट्स को चिह्नित किये जाने का कार्य किया गया था। हमने पाया कि क्षेत्र में अनेक गाँवों में सड़क के दोनों ओर बसावट होने की वजह से सड़क पार करना दुर्घटना का मुख्य कारण है। जवायंट सर्वे के दौरान हमने पाया कि गाँव भांगीवाद, बाघसरा आथुना, खोटिया, ढाणी डीसपुरा, रामसरा, ढाढर, लाखाऊ, लादडीया, सादुलपुर बाईपास पर खेमाणा, ढढाल व गुलपुरा के रास्ते पर, श्योपुरा व इन्दासर आदि मुख्य स्थानों पर ROB, VUP व CUP बनाये जाने की अत्यंत महत्ती आवश्यकता है। अतः मेरा माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी से निवेदन है कि राजमार्ग पर दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने हेतु उपरोक्त सभी स्थानों पर आवश्यकता अनुसार ROB, VUP व CUP बनाये जाने हेतु ब्लाइंड स्पॉट रिडक्शन स्कीम के तहत निर्माण करवाया जाए।

**(xi) Regarding construction of bridge and new national highway in Raiganj
Parliamentary Constituency**

SUSHRI DEBASREE CHAUDHURI (RAIGANJ): Sir, I would like to draw the kind attention of the Hon'ble Minister of Road Transport and Highways towards road connectivity between Raiganj, Uttar Dinajpur, West Bengal and Barsoi- Katihar in Bihar, by constructing a bridge at Makra Ghat.

This work has the scope to strengthen the trade relations, provide the medical infrastructure to the people and to improve the business sector also between the States of West Bengal and Bihar. The road between Raiganj in West Bengal and Barsoi in Bihar is vital for the overall development of Uttar Dinajpur, Dakshin Dinajpur, and Katihar Districts.

By constructing the bridge and new National Highway Road connecting the bridge, people from Bihar would also get easy access up to Bangladesh (connecting through National Highway-12 and others) which would further strengthen trade relations between the two neighbouring Countries and help in development of people of the region. This is one of the most important and long-lasting demands of the people in my Raiganj Parliamentary Constituency. Hence, I urge upon the Union Government to intervene in the matter for the development of the above-mentioned road, which will definitely benefit the States of West Bengal and Bihar in general and the development of Uttar Dinajpur, Dakshin Dinajpur and Katihar Districts in particular.

**(xii) Need to include and develop Bhoramdev Temple in Rajnandgaon
Parliamentary Constituency under PRASAD Scheme**

श्री संतोष पान्डेय (राजनंदगाँव): महोदय, भोरमदेव मेरे संसदीय क्षेत्र राजनंद गाँव (छत्तीसगढ़) अन्तर्गत जिला कबीरधाम से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दुर्लभ बैगा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र सभी के आकर्षण का केन्द्र है। इसे निहारने के लिए पूरे देश, विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक यहां आते हैं।

गोंड जाति के पूज्य देव भोरमदेव मंदिर (महादेव शिव का अन्य नाम) स्थापत्य कला एवं मालवा की परमार कला शैली की प्रतिष्ठाया है। यह मंदिर इन्ही खूबियों तथा स्थापत्यकला, पुरातात्विक संपदा तथा धार्मिक आस्था के लिए जाना जाता है। भोरमदेव मंदिर तीर्थयात्रियों, श्रद्धालुओं और देशी विदेशी पर्यटकों को वर्ष भर आकर्षित करता है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के जिला राजनांदगांव के डोंगरगढ़ स्थित माँ बमलेश्वरी मंदिर व प्रज्ञागिरी पर्वत का विकास 'प्रसाद' योजना अंतर्गत किया जा रहा है, कार्य प्रगति पर है। अतः माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि भोरमदेव को पर्यटन मंत्रालय की 'प्रसाद' योजना में शामिल कर विकसित करने की कृपा करे।

(xiii) Regarding benefits of Fasal Bima Yojana in Ganganagar Parliamentary Constituency

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ के बहुत से किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ अभी भी नहीं मिल पा रहा है। बैंक और बीमा कंपनियों के द्वारा सही डाटा अपलोड न करने के कारण बहुत से किसानों को प्रीमियम जमा करने के बाद भी नुकसान के हर्जाने के रूप में मिलने वाला लाभ अभी तक नहीं मिल सका है। वर्ष 2019 से लेकर वर्ष 2020 के मध्य बहुत से किसान इस योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं। जिला हनुमानगढ़ में पीलीबंगा तहसील के बहुत से किसानों की बरानी भूमि को इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा गलत अंकित किया गया है, जिस कारण स्थानीय किसान बीमा के क्लेम से वंचित रह गए और पात्र होने के बाद भी उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल सका है। श्रीगंगानगर जिले में सूरतगढ़ तहसील के किसानों को केवल बुवाई प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाने पर इस योजना के लाभ से वंचित रखा गया है। राजस्थान प्रदेश में राजस्व विभाग के द्वारा किसानों को बुवाई प्रमाण पत्र जारी ही नहीं किये गए हैं। यहाँ के किसान भी पात्र होने के बावजूद इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। केंद्र सरकार तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्यवाही करे।

**(xiv) Regarding construction of national highways in Karimganj
Parliamentary Constituency**

SHRI KRIPANATH MALLAH (KARIMGANJ): I would like to state that in my Parliamentary Constituency, Karimganj, already two National Highways have been declared in South Assam. National Institute of Technology (NIT) has been engaged for consultancy services for feasibility study and preparation of DPR. I demand the construction of two new National Highways in South Assam which are very old. NHIDCL had also invited tender for preparation of DPR in the year 2017. But even after the lapse of about five years, no tangible action is seen towards materialisation of the following two proposed projects. One, Badarpurghat-Dullavcherra-Mamit Road, Length - 150 Km (Assam-Mizoram). Two, Silchar-Ainakhal Tinmukha- Achimganj, Length - 90.00 Km (Shorter Link between NH-8 and NH-154) Therefore, I earnestly request for early commencement of work pertaining to the above two National Highways in the interest of the electorates of my Parliamentary Constituency. I shall be very much glad if you direct your good office to initiate actions in this regard on priority basis.

HON. CHAIRPERSON: Shri Santosh Kumar Gangwar – Not present.

(xv) Regarding welfare measures for persons with disabilities

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Mr. Chairman, in India, the number of people with disabilities was 26.11 million. These Persons with Disabilities (PWDs) are facing lots of problems in day-to-day life, whether it is finding a job or securing their life. The average percentage of employment of people with disabilities in the public sector is 0.54 per cent; in the private sector it is 0.28 per cent; and in the multinational companies it is 0.05 per cent. Therefore, by considering the importance of securing the rights of people with disabilities so that they can participate fully, equally and effectively in society, the Government should launch a national job portal which will provide private as well as government jobs for people with disabilities. On the other hand, while considering their proper treatment, health and for securing their life, the Government should introduce a special insurance policy for people with disabilities.

Hence, I urge upon the Government to take this matter on urgent priority basis and take necessary measures to ensure the wellbeing of people with disabilities. Thank you.

HON. CHAIRPERSON: Shrimati Geeta Kora - Not present.

(xvi) Regarding construction of highways in the state of Meghalaya

SHRI VINCENT H. PALA (SHILLONG): Mr. Chairman, Sir, this is to highlight the fact and bring it to the notice of the Honourable Minister of Road Transport & Highways that the following stretches of roads under SARDP-NE Phase 'A' have been approved in-principle and declared as new Highways in the State of Meghalaya: Nongstoin-Mawait-Nongjri (75 km) and Dkhiah-Sutnga-Saipung-Moulsei (84 km).

However, it has been five years since the approval was made, yet no road development has been seen as promised. Our people are facing a lot of issues due to this as it is getting difficult to commute to places because of the lack of adequate connectivity. Not just this, the slow progress of road construction has also halted the economic activities around the area.

I would appreciate if you could send a Central Team to decide on the said issue and initiate actions to improve roads in the State of Meghalaya and speed up the construction process using innovative techniques at the earliest.

(xvii) Need for new passenger and express trains in Tamil Nadu

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Sir, the Railways can earn additional revenue if extension of the following trains via Cuddalore is made. It will provide extra inter-district rail connectivity and improve tourism.

1. 06541/06542: Mayiladuthurai-Tiruvarur-Mayiladuthurai up to Villupuram Junction.
2. 06415/06416 and 06873/06874: Mayiladuthurai-Thanjavur-Mayiladuthurai up to Villupuram Junction.
3. 06403/06404: Mayiladuthurai-Mannargudi-Mayiladuthurai up to Villupuram Junction.
4. 06737/06738 and 06799: Villupuram-Puducherry-Villupuram up to Tiruvarur Junction.
5. 06725/06726: Melmaruvathur-Villupuram-Melmaruvathur up to Mayiladuthurai Junction.
6. 06689/06690: Mayiladuthurai-Villupuram-Mayiladuthurai up to Mannargudi Junction.
7. 06691, 06692, 066694, 06695 and 06877: Villupuram-Mayiladuthurai-Tiruvarur up to Nagapattinam Junction.

I request the Union Government to consider this request as thousands of travellers use these trains every day.

**(xviii) Regarding establishment of a National Forensic Sciences University
(NFSU) at Tirupati**

SHRI MADDILA GURUMOORTHY (TIRUPATI): Sir, Tirupati is an educational hub with Institutes of National Importance like IIT, IISER and International Institute of Digital Technology (IIDT), 7 universities, apart from having medical colleges and engineering institutions. Tirupati is strategically located and is very close to other States like Karnataka and Tamil Nadu along with a lot of industrial clusters and Police Training College (PTC). The establishment of the world's first Forensic and Allied Sciences University Campus to meet the demands of law enforcement agencies for forensic experts at national and international level is needed. In the process of globalization of Forensic Sciences, it is proposed to establish NFSU campuses across the country for the benefit of the scientific investigative experts of the country.

I request the hon. Minister of Home Affairs to initiate the process for establishment of an NFSU Campus at Tirupati.

HON. CHAIRPERSON: Prof. Sougata Ray.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, during my presentation, please do not look at the paper.

HON. CHAIRPERSON: You have to read the script.

(xix) Regarding death of an alleged prime accused in the Bogtui arson case

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, the prime accused in the Bogtui arson case... *(Interruptions)*

माननीय सभापति: ये सब स्क्रिप्ट में नहीं है, यह रिकार्ड में नहीं जाएगा। This name will not go on record.

... *(Interruptions)* ... *

HON. CHAIRPERSON: Whatever is written, you have to speak. सभी को यही करना है।

... *(Interruptions)*

प्रो. सौगत राय: मैं यही तो बोल रहा हूँ।

माननीय सभापति: आप अपने स्क्रिप्ट के मुताबिक बोलिए।

PROF. SOUGATA RAY: Sir, the prime accused in the Bogtui arson case died in CBI custody on 12th December. His dead body was found in the toilet of the camp office of the CBI on that day. The family of the deceased has alleged that he was killed in the CBI custody. CBI claims that he committed suicide. The CID of the West Bengal Police has registered a case against some officers of the CBI for custody death. We demand that there should be an enquiry by a sitting Judge of the High Court into this incident.

HON. CHAIRPERSON: Dr. Shrikant Eknath Shinde.

... *(Interruptions)*

* Not recorded

(xx) Need to attract investment and set up industries in Bihar

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज): सभापति महोदय, मैं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जी का ध्यान बिहार में निवेश और उद्योगों की स्थापना की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। बिहार राज्य का अपना विशिष्ट स्थान है। यह उत्तर पूर्वी भारत और नेपाल की सीमा से लगे बड़े-बड़े बाजारों से जुड़ा है। राज्य में 2 लाख किलोमीटर से अधिक सड़क नेटवर्क और 6700 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का एक विस्तृत नेटवर्क है तथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की उपस्थिति इसे शेष भारत और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से अच्छी तरह से जोड़ती है। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, जो बिहार के कई जिलों से होकर गुजरता है। इसे प्रमुख मेट्रो शहरों से जोड़ता है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो राज्य से होकर गुजरता है। कच्चे माल के स्रोतों यानी कोलकाता और हल्दिया बंदरगाहों और पड़ोसी राज्यों में खनिज संसाधनों के स्रोतों तक पहुंच प्रदान करता है। यह बिहार में निवेश, नए व्यवसायों तथा उद्योगों की स्थापना के पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। अतः मैं माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि बिहार राज्य में अधिक से अधिक निवेश और उद्योग स्थापित किए जाए ताकि इस राज्य के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर मिल सकें और राज्य अपने संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने में समर्थ हों।

(xxi) Need to take necessary measures for ensuring mental health of students

SHRIMATI SARMISTHA SETHI (JAJPUR): The pandemic has been a source of isolation, anxiety and stress for students. In addition, the times we live in, students are constantly battling peer pressure, stress owing to examinations, academics, parental pressure, feelings of inadequacy due to social media exposure, etc. National Crime Record Bureau's report of 2021 shows that suicides amongst students increased by 4.5 per cent in 2021. It is worrying to note that student suicides increased drastically during pandemic during 2020 and 2021, and have been on the rise in the last five years. World Health Organisation has reported that one in seven among 10-19 years old experience mental disorders which remain untreated and unrecognized. Adolescents' and kids' mental health has long been ignored and stigmatised. It is necessary that we bring this issue to the forefront and address it. We need more initiatives at school level for mental health intervention. Mental healthcare services should be made freely available in all schools. We also need initiatives that are aimed at parents and teachers so that they are sensitised towards the needs of the children, and are in a position to identify their mental health concerns. Creating supportive social environments and networks is crucial to fight the stigma against mental disorders. I request the Government to take necessary measures in this regard.

(xxii) Need to build a bird sanctuary at the site of Devhat Talaab in Uttar Pradesh

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): शरद ऋतु में देशी-विदेशी पक्षियों के कलरव से देवहट तालाब का मनोरम दृश्य देखते ही बनता है। यहां सैकड़ों मील दूर से आने वाले साइबेरियन पक्षियों का प्रवास चार माह तक रहता है। इसके अलावा हंस, सारस, सलोन आदि विभिन्न प्रजाति के पक्षियों की मौजूदगी आकर्षण का केंद्र रहती है, लेकिन गर्मी आते ही पेड़ पौधों के अभाव में इन्हें छांव नहीं मिल पाती और ये पलायन कर जाते हैं।

उत्तर प्रदेश में इस स्थान को एक अलौकिक पर्यटन स्थल बन सकने की पूरी सम्भावना है। देश विदेश से पर्यटक के आने से इसके किनारे स्थित विभिन्न गांवों के सैकड़ों लोगों के लिए रोजगार के साधन भी उपलब्ध हो सकते हैं, जो विभिन्न तरह के रोजगार कर अपने व परिवार का वर्ष भर भरण पोषण कर सकते हैं।

इसीलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि यहाँ पर एक सुंदर सा पंछी विहार का निर्माण हो ताकि देवहट तालाब का कायाकल्प हो जाए।

माननीय सभापति: श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी - उपस्थित नहीं।

**(xxiii) Regarding construction of railway line from Maheshkhunt to
Narayanpur in Bihar**

चौधरी महबूब अली कैसर (खगड़िया): मेरे खगड़िया लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत महेशखुंट से नारायणपुर वाया गोगरी नई रेल लाईन की सर्वे रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु महाप्रबंधक कार्यालय, हाजीपुर द्वारा भेजी गई है, परंतु रेलवे पत्र संख्या /W-2/ECR/NL/SY/41 दिनांक 28.10.2020 के तहत उपयुक्त प्रस्तावित परियोजना को स्थगित कर दिया है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान इस प्रोजेक्ट की ओर ले जाना चाहता हूँ जो कि मेरे क्षेत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। मेरा जिला सात नदियों से घिरा है, जिससे जिला कई भागों में विभाजित हो जाता है। आज भी कई गांवों का मुख्यालय से सीधा संपर्क नहीं है। खगड़िया जिला नीति आयोग के अति महत्वाकांक्षी जिले में से एक है। यहां नई रेल लाईन महेशखुंट से नारायणपुर वाया गोगरी परबत्ता, अगुवानी घाट, बेलडौर होते हुए जाएगी जिससे उस क्षेत्र के सैंकड़ों गांव मुख्यालय से रेल के द्वारा जुड़ जाएंगे तथा इससे लाखों की आबादी के जीवनयापन में क्रांति आएगी। जिससे उस क्षेत्र के किसानों को भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

अतः आपके माध्यम से मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि इस परियोजना पर विशेष ध्यान दिया जाए।

(xxiv) Regarding development of a vaccine for Lumpy disease

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): The effects of the Lumpy disease has been quite disastrous this year on our agrarian economy. A total of 1,55,724 cattle have died so far and 29,52,233 have been severely affected across the country. Dairy farmers are at a constant economic strain due to the loss of cattle, lowered milk production from infected but cured ones and are bearing extra cost to provide extensive diet facilities and medication to the affected cattle to prevent them from dying. As the loss is huge and so severely spread across the country, a centralized plan is needed from the Government to revive dairy economy. For that, adequate compensation and medical assistance need to be given to the affected farmers and free and subsidized fodder should be provided to them at the earliest. Also, several researches have revealed that the virus is undergoing mutations inside the host and no long-term vaccine can be guaranteed. As Lumpy Skin Disease outbreaks occur in epidemics several years apart, a comprehensive research should be carried out to study its behaviour to make vaccines so that in future we can minimize and contain its spread in first few days.

14.48 hrs.

ANTI-MARITIME PIRACY BILL, 2019*

माननीय सभापति: आइटम नम्बर-25, श्री अधीर रंजन चौधरी जी ।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Hon. Chairperson, Sir, I do not have any qualms to subscribe to the tone and tenor of this legislative document under the title, 'The Anti-Maritime Piracy Bill'. Our hon. Minister has already depicted the contents of this legislation inside the House. He was not present in the country. Otherwise, this Bill would have been passed earlier. But it has not been possible because he has become a globetrotter who is visible in every nook and corner of the globe. We are proud of him. I appreciate his poise and posture when he faces global media where he maintains his monk's calm and tranquillity ... (*Interruptions*)

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD (PATNA SAHIB): Hon. Chairperson, Sir, Chowdhury Ji is my good friend. ... (*Interruptions*) I am happy that you are appreciating him. ... (*Interruptions*) But your leader does not appreciate the ... (*Interruptions*) I thought I must convey that. ... (*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Hon. Chairman, Sir, I found him never unsettled, flustered or exhausted by his activities. So, certainly, not only me but my leader also always appreciates the work if it is done for the sake of the country. First of all, you should wipe out the misperception of our leader who is, I think,

* Further discussion on the motion for consideration of the Bill moved by Dr. Subramanyam Jaishankar on 7.12.2022.

more than concerned for the people like you to see the country to be strong, to be dynamic and to be progressive.

The hon. Minister himself has already been entrusted upon other assignments also. He has become a proponent of Global South. Already G-20 has been propagated in a high falutin manner in order to glamorise the individual and also the Government. I do not know the significance of this kind of propaganda because it is often said that G-20 is long by intent but short by actionable deeds. It certainly consists 80 per cent of global GDP, 75 per cent of trade and 60 per cent of population. But as a system of rotation, we have been entrusted to host G-20 as a 17th Member.

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): क्या आपको खुशी नहीं हो रही है?

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Next, the job will be entrusted upon Brazil and South Africa. What I am trying to say is that certainly, you should be propagating on G-20 and other issues but we cannot let ourselves to be indifferent to the other burning issues, especially Indo-China border conflict and relations because you know that given the present diplomatic cauldron especially in the Indian sub-continent, we should put our focus on Indo-China relations because when we go for discussing maritime anti-piracy law, certainly, the issue will be coming up.

I would suggest hon. Minister जब आप बाहर जाते हैं, तब टू बाई टू होते हैं। आप होते हैं और रक्षा मंत्री जी होते हैं। यहां पर क्यों नहीं टू बाई टू चर्चा होती है? ताकि सबका एक साथ समाधान हो जाए। आप भी रहिए, रक्षा मंत्री जी हों, हम सबके जो भी सवाल हैं, उनको आप दोनों के सामने

रखकर, उनका समाधान निकाल लेंगे। It is because sometimes we used to ask you. But we know that some issues are related to the Ministry of Defence. Let me say that the genesis of this legislative document lies in a latin term *hostis humani generis*, that is enemy of human kind. It originates in the Admiralty Law.

Sir, we know that the International Court of Justice has no jurisdiction to try and punish the pirates. That is why, globally, it was felt that a legislation should be framed in order to punish the pirates who have been plundering and ransacking across the ocean. In the wake of fall of USSR which necessitated the withdrawal of US forces and Russian forces from the sea, it helped those pirates to carry out their nefarious and heinous tasks.

We have found the geometric rise of piracy across those regions especially in the Gulf of Eden where 20,000 of ships transit every year. From Gulf of Eden to Indonesia to Malacca to Hormoz, Gibraltar and everywhere, we have to resist the pirates by ways befitting them.

So, naturally, we had earlier become a signatory to the UNCLOS. Later, it was ratified in the year 1995. In 2012, the Bill was introduced but due to the dissolution of the House, it was not passed. Again, it was brought up in 2019 and now it is going to be passed. It is the need of the hour. So, there is no dispute on passing the Bill. Earlier, the Bill was called Montego Bay Act.

So, we did not have any reservation in passing the Bill but taking advantage of this discussion, I would like to flag the attention of the hon. Minister to one point. Between 2009 and 2019, 500 Indians were captured by pirates.

Between 2016 and 2020, more than 900 such incidents occurred globally and it is admitted that ten per cent of global sea piracy relates to India.

It is reported by International Chamber of Commerce that between 2019 and 2020, attacks on sea by pirates/robbers increased by 20 per cent. So, the point is, we are living in the Indian Ocean Region. Indian Ocean Region bears great significance because it is recognised as the third largest Ocean with 20 per cent of water.

It is not only that but also half of the containers transits through Indian Ocean Region. Two-thirds of the bulk cargo traffic passes across this Region which is an area of 68.56 square kilometres. Nearly 55 per cent of oil reserves and 40 per cent of gas reserves are in the Indian Ocean Region.

Sir, I would like to flag the attention of the hon. Minister to another information which I have gathered. The recent analysis of global conflicts by Heidelberg Institute for International Conflict Research suggested that 42 per cent of oil conflicts can be associated with the Indian Ocean countries. So, we can easily assess the gravity of this particular Region.

Certainly, there is no denying the fact that the Region has become a contest between America and China. American Indo-Pacific strategy and China's, BRI and Maritime Silk Route strategy, both are convergent and divergent. So, certainly we have to tread this area very cautiously and we firmly believe that our Government will certainly do so. But we also like that Government may indulge in having a consultation with all Opposition leaders at some point of time because the interest

of the nation does not belong only to the ruling dispensation. The interest and the security of the nation belongs to all as India is a country of all of us.

Here, I would also like to point out that according to clauses 2, 3, 4 and 5 of the Bill, it defines piracy to include any illegal act of violence, detention or destruction committed against a ship, aircraft, person or property, inciting or intentionally facilitating such illegal acts, voluntarily participating in the operation of piracy, and any person who commits an act of piracy will be punished with imprisonment for life or with death penalty, if the act of piracy causes or attempts to cause death.

15.00 hrs.

However, another clause in this Bill provides for imprisonment up to 14 years along with a fine if a person aids, assists, participates, organises or directs another person to participate in an act of piracy. The offences in both the clauses seem to be similar. It is not clear which penalties shall be applied in such circumstances. I think the hon. Minister will certainly respond to our queries.

Another issue is extradition. I do not know with how many countries, we have this kind of extradition treaties and, if not, bilateral reciprocals could also be done. Let us have an account of the extradition treaty and bilateral engagement with other countries. We all know that it has already assumed a global proportion. This is the reason why most of the countries, especially those littoral countries, have their own interests in the oceanic regions. They have been transcending themselves from their own thinking. From sea amnesia to sea cognisance has become a growing trend of all those countries.

I would like to draw the attention of this Government that Indian Ocean region is also recognised as an area of Golden Crescent, Golden Triangle. I do not know how this Bill will tackle this kind of emerging menace across our oceanic region. That is why I suggested that both you and the Defence Minister will be required for having an effective discussion.

Sir, the United Nations International Drug Control Convention is also there. We do not know whether we are a signatory to this Convention. But the issue is that we need more naval power. There is no denying it. My colleague, Shri Manish Tewari has also highlighted this issue and I believe that the Government is also pondering over it.

Now, we are being encircled by our hostile country, China. A concept of 'String of Pearls' is being applied upon us. China has been adopting wolf warrior diplomacy, a hara-kiri diplomacy. They are exerting their own influence upon those littoral countries. Starting from Maldives to Sri Lanka, from Sri Lanka to Djibouti, from Djibouti to Gwadar, we are being encircled everywhere. Now, we have to find out our ways and means how to extricate the Chinese sphere of influence by our own. That is why we need a blue-water navy. I do not know whether the Government has its financial sinews right now in order to counter the Chinese influence along this area.

The South China Sea has already been dominated by China by the Nine-Dash line. On the imaginary Nine-Dash line, they are going to dominate the entire South China Sea. To become a super power, they need two seas. America has two seas – Atlantic Ocean and Pacific Ocean. China is going to dominate the

South China Sea and the Indian Ocean. There is no denying it. It is a strategic objective of a growing super power. China is facing only the Malacca dilemma. But geography has given us a number of opportunities also. A number of choke points are in the vicinity of our strategic phenomena. But we have to explore how more effective teeth we can ... (*Interruptions*)

DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA): Sir, I am on a point of order.

HON. CHAIRPERSON: Under what rule do you want to raise your point of order?

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, वे ज्ञानी हैं, उनको बोलने दीजिए।

DR. NISHIKANT DUBEY: Sir, it is under Rule 94.

It says:

“The discussion on a motion that the Bill or as the case may be, the Bill as amended, be passed shall be confined to the submission of arguments either in support of the Bill or for the rejection of the Bill. The member while making the speech shall not refer to the details of the Bill further than is necessary for the purpose of arguments which shall be of a general character.”

यह पायरेसी का बिल है। साउथ चाइना में क्या हो रहा है, अटलांटिक में क्या हो रहा है, चाइना क्या कर रहा है, क्या यह कोई विषय है? ... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: सर, क्या रूलिंग पार्टी यह चाहती है कि हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच छीनी जाए? ... (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे: सर, यह रूल है। रूल 94 और 117 दोनों एक ही हैं। सर, ये केवल बिल पर कंफाइन करें। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : ठीक है, आप बिल पर बोलिए और कन्क्लूड कीजिए।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, अगर जयशंकर जी यह कहें कि मैं गलत बोल रहा हूं तो मैं अभी बैठ जाऊंगा। मैं यह जयशंकर जी के विचार पर छोड़ रहा हूं। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप आगे बोलिए।

... (व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: The South Asian countries for their energy supply, depend on the maritime supply routes in the Indian Ocean. This is a region where the US-led Indo-Pacific Strategy and the Chinese-led Belt Road Initiative, and the Maritime Silk Route converge and diverge, paving way for these two countries to exercise absolute strategic advantage over one another.

Sir, here, I would like to quote Mr. Kaplan. Once he mentioned:

“Geopolitics is the battle for space and power played out in a geographical setting. Just as there are military geopolitics, diplomatic geopolitics and economic geopolitics, there is also energy geopolitics.”

We are trying to secure our energy. The hon. Minister himself has stated that we are to secure our energy route. That is why I am referring it.

Sir, I know that the ruling regime does not want to speak on this issue more, but it is my duty also to flag the attention of the hon. External Affairs Minister because he knows the art of diplomacy. That is why I am goaded to offer some suggestions to him.

HON. CHAIRPERSON: Thank you.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Sir, I am just concluding

Hon. Jaishankar-ji, according to Stalin:

“A diplomat’s words must have no relation to action—otherwise what kind of diplomacy is it? (Words are one thing, actions are another) Good words are a mask for concealment of bad deeds. Sincere diplomacy is no more possible than dry water or wooden iron.”

Why am saying so?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, Sir, this is not Mr. Adhir Ranjan Chowdhury, who is giving the speech. He is giving the point of view of the Congress party. So, I would say that when the Congress is quoting Stalin, it should be taken note of! ... (*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: I am quoting Stalin only to enlighten the House that this Government should not follow the path of Xi Jinping because Xi Jinping is a descendant of Mr. Stalin. That is why I referred to him, and I thought it prudent to, at least, adumbrate our erudite External Affairs Minister.

I feel that the External Affairs Minister will certainly take my views into cognisance without any provocation by those Members of this House.

Sir, I am certainly supporting this Bill. But the fact is that there are two-three caveats in it. It is because ‘the rarest of the rare cases’ has not been properly mentioned. Whether it has been wiped out, whether it has been abolished or not, is not clear from this Bill.

Here, in the Bill, ‘life imprisonment’ and ‘death’ both have been mentioned. So, some sort of ambiguity is still there.

Lastly, so far as the PMLA, that is, presumptive clauses are concerned, I know that it is a very difficult task, to clarify the issue. According to Chief Justice Ramana: "When the burden of proof was among one of the two *prima facie* issues that require consideration."

When governments across the world are acquiring more extraordinary powers to govern people, it is essential to review the burden of proof, not just in the light of PMLA but also in other laws that reverse the presumption of innocence. We are observing the onslaught of ED and CBI. So, this also should be reconsidered.

Thank you.

प्रो. सौगत राय: सर, माननीय मंत्री जी के बोलने से पहले,...(व्यवधान)

माननीय सभापति: मंत्री जी बोलेंगे, लेकिन आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: सर, मंत्री जी ने जो मीटिंग की थी, उस पर एक बयान दें।...(व्यवधान)

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (DR. SUBRAHMANYAM JAISHANKAR): Sir, I rise to respond to the views, queries and concerns of the hon. Members before I move the official amendments to the Anti-Maritime Piracy Bill, 2019. First of all, I would like to thank all the hon. Members across the House because, I think, everybody has looked at this initiative very positively. There is a broad recognition that our country requires anti-piracy legislation. It is a part of our international responsibilities and, I think, by and large, I can see, there is unanimity about the Bill. I also, Sir, want to, particularly, thank the Standing Committee, the Chairman of the Standing Committee, Shri P.P. Chaudhary ji, who had to leave

just now because he had a Standing Committee meeting. But, I want to put on record that he and his colleagues, the Members of the Standing Committee, from whichever party they are, have made many invaluable suggestions. Out of 18 recommendations, we have taken almost everyone of them on board and their recommendations, I want to say, have greatly helped in getting the right balance in this Bill. Before, I come to the points which were raised by individual Members, I want to clarify one issue which came up and which was the question of Government amendments. I think, some hon. Members had either not seen the amendments or they were not aware of the amendments. Shri Manish Tewari ji, actually, in his remarks said that it was presented at very short notice. I want to put on record that, actually, the Government amendments were moved in the last Session, in the Monsoon Session. They were moved in the business which was there for 3rd, 4th and 5th of August and the amendments were, actually, uploaded on July 22nd, that was in the last Session. In this Session, before we had the debate on the Bill, there was again an uploading of the official amendments on December 6th. So, I want to be very, very clear and on the record that all that has been moved by the Government side is very much available to Members and it was our expectation they would look at it. Now, the interesting thing is that even though some hon. Members, perhaps, could not, for whatever reasons, see the amendments, almost everything that they said – what the hon. Member said, what the Standing Committee felt, and what is the Government amendment – actually, converge. So, it is not that we are at cross purposes with each other. Actually,

most of the House is converging on pretty much the same issues and I will address some of them.

15.14 hrs.

(Hon. Speaker *in the Chair*)

Before coming to individual Members, I would like to focus on three or four common or important issues, some of which shri Adhir Ranjan Chowdhury raised, some raised by some of the other Members and, I think, the most important of this relates to the death penalty issue. Now, what we have done, Sir, is in the Bill under clauses 3, 4 and 5, there is a range of punishments which have been provided depending on the gravity of the offence and the extent of culpability. So, for the sake of clarity, let me state that under clause 3.1, whoever commits any act of piracy, shall be punished with imprisonment which may extend to imprisonment for life or fine or both.

The official amendment has provided for:

“with imprisonment which may extend to imprisonment for life or with fine or with both.”

As regards the provision for death, there is a provision under Section 3 (ii). Now, as per the Government amendment, that has been amended. Now, it says:

“(ii) with death or with imprisonment for life, if such person in committing the act of piracy causes death or an attempt thereof.”

Hon. Speaker Sir, through you, I want to assure the House that the concern that there will be a mandatory death sentence is no longer relevant in view of the Government amendment which actually provides for death penalty or life imprisonment, depending upon the nature of the circumstances. This is in keeping

with the Supreme Court pronouncement, which many hon. Members also raised in their remarks, which is that the death penalty should be the rarest of the rare. So, that flexibility is there in the amendment to the Bill. We have also kept in mind regarding extradition. Many countries will not extradite if there is a death penalty. So, that flexibility is also there. Some of the other hon. Members mentioned that in their remarks.

The second issue is the issue of graded punishment. There are different Clauses and different levels of punishment. Under Clause 3.1, for committing an act of piracy, one could have up to life imprisonment. But if someone attempts to commit the offence of piracy or aids or abets or conspires or procures, then that person shall be punished with imprisonment for a term which may go up to ten years. So, as it is a lesser offence, the punishment envisaged is lesser. If someone has participated or organised or directed another person in an act of piracy, the punishment for that is fourteen years. So, we leave it to the court to make the judgment, depending on what the culpability of the person is. Accordingly, that option for the punishment is there.

Then, Sir, many hon. Members raised the concern about presumption. I would like to clarify this. This was the point which Shri P.P. Chaudhary made when he was speaking in terms of the Standing Committee recommendations. It is not an open-ended presumption. I think, Supriya Suleji had expressed that concern that it should not be by presuming that the Government has the right to take action. There are very specific conditions relating to presumption. Condition No. 1 is that the arms, ammunition, explosives, and equipment must be recovered; condition

No. 2 is that there is evidence of the use of force; and condition No. 3 is that there is evidence of an intended threat. So, unless these conditions which *prima facie* show that some act of piracy has happened and even there, the presumption is 'unless the contrary is proved'. So, I want to say very clearly that this is not a case where you are presumed to be guilty unless you are proven innocent. There has to be evidence on two cases or there has to be a recovery in order for the presumption to take place. So, I hope, the hon. Members are re-assured in this matter.

Then, Sir, some hon. Members raised the question of international cooperation. The whole purpose of the Bill is also to promote international cooperation. I think, many hon. Members and the Standing Committee pointed out that India has been a party to the UNCLOS since it was ratified in 1995. We have not pursued the subsequent legislation to deal with piracy offences. It is important that we are seen as a responsible international player. ... (*Interruptions*) Today, we are a member of the ReCAAP, an arrangement of 20 countries in South East Asia which incidentally happens to be headed by the former Chief of the Indian Coast Guard, Mr. Natarajan.

They deal with armed robbery and piracy in South East Asia. We are part of the Contact Group on Piracy off the coast of Somalia because there is a lot of piracy out there. We have been in the Gulf of Aden. We have deployed it since 2008. We have also now joined the Combined Maritime Force based in Bahrain. Shri Manish Tewari Ji had raised that issue. The matter had been under consideration but we came to the conclusion that the benefits of joining were more

than that of not joining. In fact, for the first time, one of our ships has taken part in an exercise called, 'Operation Southern Readiness' as part of the CMF.

We have also engaged with regional navies. We have engaged with foreign friendly countries. We have done EEZ surveillance. We have done co-ordinated patrols. We have created a maritime domain awareness system, and we have a Fusion Centre in Gurugram, which actually gets data from the entire Indian Ocean area so that there is better maritime security.

Then, the issue of our fishermen was also raised. I think Sumathy Ji raised it. Sir, I was in a dilemma when she brought up the issue. She has said that the Government of India is giving step-motherly treatment because the Tamil fishermen and fishermen off the Gujarat coast are treated differently. Now I am a Tamil elected from Gujarat, and I was really not sure which side of the picture I give because the other side would react. So, I want to give a win-win answer.

माननीय अध्यक्ष: आप तमिल के हैं, लेकिन गुजरात से चुनकर आए हैं।

... (व्यवधान)

डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर: सर, मैं संसद को यह बताना चाहता हूँ। ... (व्यवधान) मैं केवल आंकड़े दूँगा। So, it is for the House to judge. I am taking it from 2014 because that is when the Gujarat argument started. So, from 2014, the number of Indian fishermen released from Sri Lanka are 2,835. The number of Indian fishermen, apprehended off the Gujarat coast, released from Pakistan, is 2,165. So, 670 more Tamil fishermen have been released after 2014. So, I want the hon. Member to be very re-assured that there is no step-motherly treatment. In fact, there is very good fatherly treatment. Sir, I want to make a very serious point here. If there is any

Government, any leader, any Prime Minister who has given attention to the problems of the Tamil fishermen, it is Narendra Modi because we have, during his Government, set up a mechanism with the Sri Lankans to take up fishing issues.

He has himself spoken to the President and Prime Minister of Sri Lanka on repeated occasions. He has asked me to deal with the Minister of Fisheries, and other Ministers on this matter. ... (*Interruptions*) The fact is, if today the fishermen apprehended in Sri Lanka are being released – let us be clear – they are not released because somebody in Chennai is writing letters. They are released because somebody in Delhi is taking up the matter. So, I would not like this to become an issue. For us, fishermen are fishermen -- whether they are in our southern coast, whether they are in our western coast, whether they are in our eastern coast -- we will treat them all, equally as our citizens. I would like all Members to be re-assured on this matter. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : अभी तमिल और गुजरात का संगम चल रहा है। आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

DR. SUBRAHMANYAM JAISHANKAR: Sir, I would then move to the next issue, which many Members raised about, whether there should be the consent of or consultation with Chief Justices when specifying designated courts. In this matter, we were guided by the Ministry of Law and Justice citing precedents. The precedents are the Prevention of Money Laundering Act, 2002 and the National Investigation Act, 2008. In both the cases, special courts were set up. In both the cases, these were done in consultation with the Chief Justice of the High Court concerned.

So, I want to say that we followed that particular precedent.

Then, we came to the issues of various Ministries. I think the hon. Members wanted to know the roles of different Ministries being defined. I want to assure them that there are already standard operating procedures (SOPs) and contingency plans. Depending on the situation, the Ministry of Ports, Shipping and Waterways has its own plans and SOPs. The Ministry of Defence, the Navy has its own plans. Our effort in the Ministry of External Affairs is to coordinate it. So, again, I would like the hon. Members to be assured that this is being taken care of.

Then, with those broad remarks, I would like to address some specific concerns which individual Members had made. I will start with Shri Manish Tewari ji. He had sought an amendment to the title of the Bill, saying 'Maritime Anti-Piracy Bill' and not 'Anti-Maritime Piracy Bill'.

I want to assure him that that is part of the Government amendments. It has been taken care of. Regarding the combined maritime task force, I have already spoken about it. We have weighed the pros and cons and decided to become a member.

Then, he spoke about what we are doing to ensure greater security in the Western Indian Ocean and the Arabian Sea. I want to assure him that we are working with our various partners in the region, and our maritime cooperation there has become very much stronger. The death sentence issue, I have already dealt with. He had referred to the word 'counsels' which was there in clause 4, and he felt that the word 'counsels' was not the right word. We agree with him. The Government amendment has replaced the word 'counsels' with 'conspire'.

Then, there was a concern he expressed that under clause 9, Indian nationals on the board of foreign ship may be heard due to piracy, and we do not have the jurisdiction to try that. So, we have removed that provision so that that problem is not there. I have already answered with regard to the presumption issue. So, in regard to the issues pertaining the Bill, I have responded to the concerns that he has raised.(*Interruptions*)

Now, if I could move to the issues raised by Shri P.P. Chaudhary ji, he had raised an issue that there should a replication of words 'aids or abets or procures'. But what I have clarified to him is that Sections 3, 4, and 5 envisage different levels of culpability, and the punishment envisaged depends on the seriousness of the offence, and we trust and leave it to the judgement of the courts to actually exercise the latitude which the law gives them in this regard.

Then, Shri Bhartruhari Mahtab had raised an issue that the presumption should be confirmed by the High Court within 30 days.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: This is my amendment to the Bill. ...(*Interruptions*)

DR. SUBRAHMANYAM JAISHANKAR: Yes.

So, I would like to clarify to him that the presumption is not an unconditional presumption. The presumption has *prima facie* evidence. Twice the word 'evidence' is mentioned. Once the word 'recovery' is mentioned. Our view is that the designated court will not presume about the commission of the crime without those conditions being met. So, I would urge the hon. Member not to press his amendment in this regard.

The second issue was also regarding confirmation by the High Court. Confirmation of the High Court is only after the passage of a death sentence. In any case, the judicial review option is open to anybody, who is found guilty under any of these processes. So, we do not believe that that is necessary.

Then, he also raised the issue of legal immunity for acts that are done in good faith. This is a very relevant point. I would like to underline to him that this is covered by two provisions. Section 11(A) says very clearly that not all arms and ammunitions are by necessary regarded as *mala fide*, if the legitimate authority carries it. Secondly, 15 (1) refers to authorized personnel who are in pursuance of their duties. So, I hope that between those two, it will not be necessary for the hon. Member to offer his amendment.

He also made a point about international cooperation. I have dealt with that in my remarks.

Then, Dr. Sumathy brought up the issue of setting up a Sessions Court in Tamil Nadu. The designated court, I would like to assure her, will be set up in consultation with the Chief Justice of the High Court. Logically, it would be there in all the coastal States.

Regarding the effective coordination mechanism which she referred to, I have pointed out that the SOPs and coordination is being done.

I have already covered the issue of death penalty. Again, I think, I have already addressed the issue of international cooperation.

Then, she had asked for a clear definition of the role of the State Governments. I would like to inform her that Article 6 and Article 10(3), both of

them, clearly assign a responsibility to the State Government which is that the Central Government for purposes of this Act, by notification, confer power of arrest, investigation, prosecution exercisable by a police officer, under this Code, on any of its officers, or any officer of a State Government. So, the State Government has a very clear role in the enforcement of this legislation.

I had referred to the Sri Lankan fishing issue. She had also brought up Katchatheevu and expressed concerns regarding Katchatheevu. This is a long pending matter, but I would urge the hon. Member, when she raises the Katchatheevu issue, not to look on this side, but to look on that side because I do not think that the issue started from this side of the House.

This is a long-standing issue. It is an issue which the hon. Member knows because her party has also been in the Government along with the party which actually moved the Katchatheevu Agreement. So, I think, it is best we leave them to sort it out.

If I could move to the issue raised by Shri Vinayak Rautji, it was the creation of courts on eastern and western seas. My answer has already covered that.

Shri Kalyan Banerjee raised two issues. One was about abolishing mandatory death penalty. I have answered that. The next was the issue of creating manpower and capacity for building Marine Police. I think, this is a very important point. It is something which the Government will certainly take note of and give attention to.

Shri Alok Kumar Suman had said that we should have consulted more countries before we drafted the amendment. I would like to share with the House

that the Standing Committee actually looked at a number of other international legislation and they looked particularly at the legislation in Australia, New Zealand, Sri Lanka and the UK because the legal systems were very similar, and many of these countries already had legislation on this subject. Therefore, there was a best practices effort made before we drafted this Bill.

He has spoken about internal coordination and international cooperation. Both are matters which I have already addressed. He has also spoken about creating a capacity building in this country to respond to piracy situation. As I mentioned, some of this is already in the making. Certainly, with our SOPs and coordination, this will improve.

One legal point he raised was whether we should focus on extraditing people of Indian origin who are involved in piracy. The Bill, which we have moved along with the Government amendments, does not provide for differential treatment of citizens of various nationalities. For us, an act of piracy is an act of piracy. We cannot make a separate reference to PIOs in this regard. I have already addressed the issue of death penalty that he had raised.

Kunwar Danish Aliji had raised two issues. One was, of course, death penalty. I have replied to that. The second one was whether life imprisonment should be for entire life.

This is a legitimate issue but it is not an issue for this House and for the Government to decide. It is a matter for the courts to take a call on.

Then, Surpriya Sule ji had referred to the fact that there was no mention of cyber attack in the Bill. Cyber attack is a very serious matter. It is a very legitimate

concern. But it is outside the purview of this Bill because this Bill is focussed on piracy. There are separate legislations and separate efforts underway to deal with cyber attacks, which is a growing concern. I have taken note of the concern but I do believe that this is not a matter to be included here. Her concern about presumption of guilt, I have already answered.

Then, E.T. Mohammed Basheer ji mentioned about the fact that the definition of the word 'vessel' should be expanded. I believe we have met his requirements through the Government amendment. He had also referred to prosecuting pirates irrespective of their nationality. That concern has also been met under section 9. He had spoken about the cost of piracy and how we will counter it. The cost cannot be quantified but obviously it is a very serious matter, which is why we are moving the legislation. He had spoken about Government's responsibility for countering piracy. We take our responsibility very seriously. Defence and Navy have their SOPs. Shipping has its SOP, and we are moving this legislation.

Shri N. K. Premachandran, I believe, is moving some amendments. His first concern was with regard to police officer and that he should not be below the rank of a DSP. In the CrPC, a police officer even of the rank of SHO can make arrest. So, we have gone with the standard CrPC definition. Similarly, there was the issue of gazetted officer. I think he has sought to insert the word 'not below the rank of Under Secretary'. We have actually deleted the word 'gazetted'. We have just kept the word 'officer' because different States have different practices and we want to respect all of them. Regarding the High Court issue about consulting and consent,

I have already dealt with it. He has spoken about the need to insert the word 'in writing for a request' in section 9. That entire section has been deleted in the Government amendment because we feel that in a piracy situation it is difficult to communicate with the ship, so we should actually avoid that and leave it for the authorised ship to take necessary action.

His point about substituting the word 'reasonable opportunity' for 'opportunity', the Government amendment has taken care of it. About presumption of guilt, I have already replied. About mandatory death penalty, I have already replied.

There was an issue regarding a ship situation in Nigeria. It is a ship called 'MV Heroic Idun'. As a number of Members raised this issue, I want to inform them that the crew members have been charged on three counts. Their case hearing is coming up on 10th-11th January. We are providing them legal support. We are giving them consular support. We will do whatever we can to help them in these circumstances.

Then, Sir, I come to Shri K. Suresh's concern. One was regarding the area of jurisdiction. I think the amended definition of jurisdiction which includes EEZ and all waters beyond the jurisdiction of other States deals with the matter. The issue regarding imprisonment, I have dealt with it as well. As regards the rarest of the rare and death matters, this too is something which I have already addressed. He had some concerns about Indian courts not having jurisdiction in some cases. That has been deleted as part of the Government amendments. He was concerned that how does the law treat a foreign Government's naval force. What I want to clarify is

that nothing in the proposed Bill will apply to a warship or a Government's own ship employed for non-commercial service.

So, these were the issues discussed earlier. Today, Shri Adhir Ranjan Chowdhury also spoke on the Bill. He was kind enough to note what he calls my activities around the world. I appreciate that very much. I want to inform the House, through you, that I was in New York to chair the UN Security Council which is a matter of great pride for all of India.

The two issues which came up were the reform multilateralism and counter terrorism, that is, the UNSC reform and counter terrorism both of which are very, very important, and are subjects of national consensus in this House. He referred to the G-20 issue. It is outside the purview of the Bill. But I want to tell him that this is a moment when the world is looking for Indian leadership. So, if the world values India's leadership, I would urge all sections of India ... (*Interruptions*).. because something rotational does not mean you are not valued. ... (*Interruptions*)..

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): क्या आप खुश नहीं हो कि इंडिया को प्रेसीडेंसी मिली है? आपको खुश होना चाहिए।...

(व्यवधान) क्या आप खुश नहीं हो? आप बताओ?... (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): अगर बेटा राजा बनता है तो आप क्या कहेंगे कि कैसा राजा बन गया? ... (व्यवधान)

DR. SUBRAHMANYAM JAISHANKAR: Sir, in passing, the hon. Member used the word, 'Government is indifferent to China.' So, I want to say something. If we were indifferent to China, who sent the Indian Army to the borders? ... (*Interruptions*) If we were indifferent to China, why are we today pressing China on disengagement

and de-escalation? Why are we saying publicly that our ties are not normal? Sir, we have no problem if there are political differences, if there is even political criticism. I have heard sometimes that my own understanding needs to be deepened. When I see who is giving the advice, I can only bow in respect. But I think we should not directly or indirectly criticize our jawans. ... (*Interruptions*).. When our jawans are standing ... (*Interruptions*) our jawans are standing in Yangtse at 13,000 feet ... (*Interruptions*).. At 13,000 feet, they are standing there defending our borders ... (*Interruptions*).. They do not deserve to have the word 'pitaai' ... (*Interruptions*).. The word 'pitaai' should not be used for our jawans ... (*Interruptions*).. Sir, our jawans are standing their ground ... (*Interruptions*).. So, they should be respected. ... (*Interruptions*) They should be honoured ... (*Interruptions*) They should be appreciated ... (*Interruptions*). This is not something which is appropriate. ... (*Interruptions*)..

Sir, let me come to the Bill... (*Interruptions*).. One is the graded penalties which apply... (*Interruptions*). The graded penalties apply. There is no confusion out here. For certain offences, death penalty can apply; for certain offences, life imprisonment can apply; for certain offences, 10 years will apply; for certain offences, 14 years will apply. The court will decide which of these offences come under which category.

Finally, on the extradition and bilateral arrangements, I think Shri Adhir Ranjan Chaowdhury has a very valid point. It is something we have covered under Article 14. I certainly appreciate what he said on this issue. On the issue of

countering piracy, there is a sense of unanimity in the House. So, I hope that the entire House will support the Bill.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, एक बात बताइये। माननीय मंत्री जी ने बहुत डिटेल् में एक-एक व्यक्ति का जवाब दिया है। आपने जो-जो इश्यू उठाए हैं, एक मिनट रुकिये।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका नाम लिया, आपका भी नाम लिया और आपका भी नाम लिया।

श्री टी.आर. बालू जी, आप क्या बोलना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, he had given wrong information. He has misinformed the House. Actually, the Katchatheevu has been ceded by a bilateral agreement between the two Executives. It has not been sanctioned by the Parliament of India. So, in no way, it is legal. The Minister has passed the bucket to the Congress. Whether it is Congress, BJP or any Government for that matter, this matter is not a settled one. Katchatheevu geography belongs to Raja of Ramnad who was a king of Tamil Nadu at that time. Actually, this has been conceded by an agreement. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : श्री भर्तृहरि महताब जी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री भर्तृहरि महताब जी, एक मिनट रुकिये। बालू जी, प्लीज एक मिनट रुकिये।

... (व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU: He referred to 'somebody' while speaking about Tamil Nadu. ... (*Interruptions*) Who is that 'somebody'? He is an elected Chief

Minister. ... (*Interruptions*) He should mind his words. ... (*Interruptions*) He should withdraw it immediately. ... (*Interruptions*) This is not fair on the part of the External Affairs Minister to just refer to him as 'somebody'. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Bhartruhari Mahtab.

... (*Interruptions*)

SHRI T. R. BAALU: It is very bad. ... (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Hon. Speaker, Sir, I fully appreciate the point that has been brought up by the External Affairs Minister. ... (*Interruptions*)

After a very long time, actually we are discussing about Anti-Piracy. 2,000 years ago in the eastern coast the Kalingan mariners had a flourishing maritime activity and they were fighting against piracy. During the 7th, 8th and 9th Centuries, it was the Cholas who ruled the Indian Ocean and also conquered a large part of South East Asia and they were also fighting against piracy. I remember that in the 16th Century it was Chatrapati Shivaji who fought against piracy in the Arabian Sea. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: नहीं तो क्या एक पूरी चर्चा दोबारा से करा लें?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी ने डिटेल्ड में आप सबको जवाब दे दिया, तो क्या दोबारा से चर्चा करना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Sir, I am speaking my last line. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No last line.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि खुले समुद्र में जलदस्युता के दमन के लिए विशेष उपबंध करने के लिए और जलदस्युता के अपराध के लिए दंड तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं सबको मौका दे रहा था। सब एक साथ क्यों उठे? मैं एक-एक को मौका दे रहा था। मैंने बालू जी को मौका दिया, महताब जी को भी मौका दिया। मैं सबको मौका दे रहा था, लेकिन आप सब सदन में एक साथ उठ गए। यह गलत तरीका है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

Clause 2

Definitions

Amendments made:

Page 2, after line 5,-

insert ‘(a) “authorised personnel” means the officers and sailors assigned to warships or military aircraft of the Indian Navy or officers and enrolled persons of the Coast Guard assigned to ships or aircraft of the Indian Coast Guard or officers of the Central Government or the State Government authorised for any ship or aircraft clearly marked and identifiable as being on Government service;’. (6)

Page 2, *omit* lines 9 and 10. (7)

Page 2, *after* line 12,-

insert '(e) "high seas" includes the Exclusive Economic Zone and all waters beyond the jurisdiction of any other State.

Explanation.- For the purposes of this clause, "Exclusive Economic Zone" means the Exclusive Economic Zone of any other State including the Exclusive Economic Zone of India;'. (8)

Page 2, *after* line 13,-

insert '(g) "other State" means any country other than India;'. (9)

Page 2, *for* lines 16 to 23,-

substitute "committed for private ends by any person or by the crew or any passenger of a private ship and directed on the high seas against another ship or any person or property on board such ship;

(ii) any act of voluntary participation in the operation of a ship with knowledge of facts, making it a pirate ship;". (10)

Page 2, *for* line 28,-

substitute '(i) "pirate ship" means a ship which—'. (11)

Page 2, line 30,-

for "clause (f)"

substitute "clause (h)". (12)

Page 2, *after* line 33,-

insert '(j) "ship" means-

(i) vessel or water craft of every description,
including non-displacement craft;

(ii) sea planes and other aircraft, used or
capable of being used as means of transportation on
water or engaged in any operations at sea.

Explanation.- For the purposes of this clause, "aircraft"
shall have the same meaning as assigned to it under
clause (1) of section 2 of the Aircraft Act, 1934;'. (13)

Page 2, line 36 -

after "but defined in"

insert "the Convention,". (14)

Page 2, line 39,-

for "such Code"

substitute "such Convention, the Codes". (15)

Page 2, *omit* lines 40 to 42. (16)

(Dr. Subrahmanyam Jaishankar)

HON. SPEAKER: Please sit down.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि खंड 2, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 3

Punishment for piracy

Amendments made:

Page 3, for line 2,-

Substitute “(i)with imprisonment which may extend to imprisonment for life or with fine or with both; or”. (17)

Page 3, line 3,-

for “with death”

substitute “with death or with imprisonment for life”. (18)

(Dr. Subrahmanyam Jaishankar)

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 43 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I am very much moving my Amendment. ... (*Interruptions*)

Page 3, for lines 3 and 4,-

substitute “(ii) with imprisonment for life and attachment of all the movable or immovable properties of the culprit, if such person in committing the act of piracy causes death or an attempt thereof”. (43)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 43 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि खंड 3, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

माननीय अध्यक्ष: आपने कह दिया था कि मूविंग तो मैंने आगे चला दिया।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपने कहा कि मूव तो मैंने चला दिया। आप पहले बोल लेते, उसके बाद मूव बोलते तो ठीक रहता। प्रोफेसर साहब, आप सीनियर होंगे, लेकिन व्यवस्था का प्रश्न है।

... (व्यवधान)

Clause 4

Punishment for attempt to commit piracy, etc.

Amendments made:

Page 3, line 7,-

for “counsels”

substitute “conspires”. (19)

Page 3, line 9,-

for “fourteen years and shall also be liable to fine”

substitute “ten years or with fine or with both”. (20)

(Dr. Subrahmanyam Jaishankar)

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 44 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I beg to move that:

Page 3, line 9,-

for “fourteen years”

substitute “twenty years”. (44)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 44 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि खंड 4, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 21।

Clause 5

Punishment for organising, directing others to participate in an act of piracy.

Amendment made:

Page 3, for line 12-

substitute “or with fine or with both.”. (21)

(Dr. Subrahmanyam Jaishankar)

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 45 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I am moving the amendment No.45 to Clause 5.

I beg to move -

Page 3, lines 11 and 12,-

for “fourteen years and shall also be liable to fine”

substitute “twenty years and shall also be liable to fine which may extend to rupees ten lakh”. (45)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 45 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है :

“कि खंड 5, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 6

Conferment of power to arrest, investigation, etc.

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी – संशोधन संख्या 22.

Amendment made –

Page 3, line 16,-

Omit “Gazetted”. (22)

(Dr. Subrahmanyam Jaishankar)

माननीय अध्यक्ष: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 36 और 37 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I have six amendments. I want to place it on record. This is the first time in my 25-year parliamentary career that a Minister has appeared on the floor of the House and responded to all of the

amendments that we have proposed. We express our sincere gratitude and congratulations for having addressed and responded to the amendments. Further, about the notices of six amendments which I have not moved, he has fully accepted one amendment. That is, "a reasonable opportunity should be given" instead of "an opportunity should be given." Another amendment is partly accepted. That is, 'gazetted officer'. The word 'gazetted' is avoided, and the word 'officer' is accepted. Since he is having such a magnanimous response to the amendments moved by the Members, I am not moving the amendments. I am withdrawing all the amendments. I express my thanks to the Minister for accepting the amendments.

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 46 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I am sorry that I cannot be as charitable to the Minister as Mr. Premachandran has suddenly become. All I want to say is that he has not mentioned any discussion on China, and has not mentioned what happened at the United Nations Security Council.... (*Interruptions*)

Sir, I am moving the amendment No.46 to Clause 6. I beg to move

Page 3, line 15,-

for "police officer under the Code on any of its Gazetted Officer or such officer of a State Government"

substitute "police officer not below the rank of Superintendent of Police or any officer not below the rank of District Magistrate".

(46)

Sir, without being charitable, I am moving the amendment.

माननीय अध्यक्ष: अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 46 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, हर सदस्य को अपनी बात कहने की अभिव्यक्ति है। उन्होंने अपनी बात कही। आप कैसे कह सकते हैं कि आज आप इतने उदार क्यों हो गए? वे उदार नहीं हुए, उन्होंने अपनी बात कही।

... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : सर, इसमें खराबी क्या है?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है :

“कि खंड 6, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 7

Arrest of persons and seizure of ship and property

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी – संशोधन संख्या 23.

Amendment made –

Page 3, for lines 17 to 24,-

substitute

Arrest of “7. (1) The authorised persons and personnel may, either seizure of generally or on suspicion

shop and that a ship is engaged in property. piracy on the high seas, board such ship and arrest the persons or seize the pirate ship and property on board.

(2) The ship or property seized under sub-section (1) shall be disposed of only by the order of the court.” (23)

(Dr. Subrahmanyam Jaishankar)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है :

“कि खंड 7, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 8

Designated Court

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी – संशोधन संख्या 24.

Amendment made –

Page 3, after line 30,-

insert “Provided that such territorial jurisdiction shall be determined on the basis of the port or place of

disembarkation within India of the person suspected or
accused of an offence under this Act.”. (24)

(Dr. Subrahmanyam Jaishankar)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है :

“कि खंड 8, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 9

Jurisdiction of Designated Court

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 25 से 28.

Amendments made –

Page 3, lines 33 and 34,-

for "Indian Navy or the Indian Coast Guard"

substitute "authorised personnel or the police". (25)

Page 3, *omit* lines 37 to 41. (26)

Page 3, line 42,-

for "Provided further that nothing in this sub-section"

substitute "Provided that nothing in this section". (27)

Page 4, *omit* lines 3 and 4. (28)

(Dr. Subrahmanyam Jaishankar)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

‘कि खंड 9, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।’

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 9, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 10

Trial of offences by Designated Court

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 47 और 48 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I am moving the amendment nos. 47 and 48 to clause 10. I beg to move:-

Page 4, line 9,-

for "a Magistrate"

substitute "a District Magistrate or a District and Sessions Judge". (47)

Page 4, lines 11 to 13,-

for "for a period not exceeding fifteen days in the whole,
where such Magistrate is a Judicial Magistrate, and
seven days in the whole where such Magistrate is an

Executive Magistrate"

substitute "for a period not exceeding fourteen days at a time
and if the Judicial Authority deems appropriate the
custody may be extended to a maximum of one
month as a whole". (48)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं प्रो. सौगत राय जी द्वारा खंड 10 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 47 और 48 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुये।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

‘कि खंड 10 विधेयक का अंग बने।’

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 11

Presumption

माननीय अध्यक्ष: श्री भर्तृहरि महताब जी, क्या आप संशोधन संख्या 41 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, in this Parliament, we have seen a fresh jurisprudence being implemented when this House adopted a Bill relating to terrorism which means a person who is apprehended has to prove that he is not guilty. Similar provision is now being adopted here on the presumption which the hon. Minister just now mentioned that he has to prove that he is not guilty. But this Parliament has also made a law that, on allegation, people can be apprehended and prosecuted. 498 A is purely on allegation that this House also approved and it is a prevalent law today. Therefore, after hearing the hon. Minister, I am not moving my amendments.

माननीय अध्यक्ष: श्री टी.एन. प्रथापन – उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है:

‘कि खंड 11 विधेयक का अंग बने।’

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 12

Provisions as to bail

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 29.

Amendment made –

Page 5, line 6,-

for "an opportunity"

substitute "a reasonable opportunity". (29)

(Dr. Subrahmanyam Jaishankar)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

‘कि खंड 12, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।’

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 12, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 14

Provision as to extradition

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 30 से 33

Amendments made –

Page 5, line 18,-

for "Convention State"

substitute "any other State". (30)

Page 5, line 21,-

omit "Convention". (31)

Page 5, line 23,-

for "a Convention State"
substitute "other State". (32)

Page 5, *for* line 24,-

substitute "that ship is operating, be deemed to be within the
jurisdiction of that other State whether". (33)

(Dr. Subrahmanyam Jaishankar)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

‘कि खंड 14, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।’

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 14, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

16.00 hrs.**Clause 15****Protection of action taken in
good faith***Amendments made:*

Page 5, line 26,-

<i>for</i>	“any person”	
<i>substitute</i>	“an authorised personnel”.	(34)

Page 5, line 29,-

<i>after</i>	“Central Government”	
<i>insert</i>	“or any State Government”.	(35)

(Dr. Subrahmanyam Jaishankar)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि खंड 15, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।खंड 15, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।**Clause 1****Short title, commencement and
application***Amendments made:*

Page 1, line 3,-	<i>for</i>	“Anti-Maritime Piracy Act, 2019”
<i>substitute</i>		“Maritime Anti-Piracy Act, 2022”. (4)

Page 2, lines 3 and 4,-

<i>for</i>	“all parts of the sea adjacent to and beyond the limits of Exclusive Economic Zone of India”
------------	---

substitute "the high seas". (5)

(Dr. Subrahmanyam Jaishankar)

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 42 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

प्रो. सौगत राय (दमदम): सर, मैं संशोधन मूव करने के पहले बताना चाहता हूँ कि मैंने पहले थर्ड रीडिंग में बोलने की इच्छा प्रकट की थी। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि हम अहिंसा के पक्ष में हैं। इस बिल से डेथ पेनाल्टी हटा दीजिए। आप पाइरेट को पकड़िए, उसको जेल में डालिए। लोगों को हेंग मत करिए। यही मुझे कहना है।... (व्यवधान)

अगर आपकी हिम्मत है, ताकत है, तो उसको पकड़िए और सारी जिंदगी के लिए जेल में भेज दीजिए।... (व्यवधान) उसे मारिए मत। ... (व्यवधान)

I beg to move:

Page 2, for lines 3 and 4,-

substitute "The provisions of this Act shall apply to the high seas, which for the purposes of this Act, includes Exclusive Economic Zones (EEZ) of India". (42)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 1 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 42 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Enacting Formula

Amendment made:

Page 1, line 1,-

for "Seventieth"
substitute "Seventy-third". (3)

(Dr. Subrahmanyam Jaishankar)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि अधिनियम सूत्र, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियम सूत्र, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

... (व्यवधान)

Preamble

Amendment made:

Page 1, in the preamble,-

1. In paragraph 2, *omit* “or any other place outside the jurisdiction of any State”.
2. *for* paragraph 3, *substitute*-

“AND WHEREAS India, having ratified the said Convention, considers it necessary to give effect to the aforesaid Convention relating to piracy.”.

(2)

(Dr. Subrahmanyam Jaishankar)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि उद्देशिका, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उद्देशिका, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दी गई।

Title

Amendment made:

Page 1, for long title,-

substitute “to give effect to the United Nations Convention on the Law of the Sea relating to repression of piracy on high seas and for matters connected therewith or incidental thereto.”. (1)

(Dr. Subrahmanyam Jaishankar)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि नाम, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि यथा संशोधित विधेयक को पारित किया जाए।

DR. SUBRAHMANYAM JAISHANKAR: Sir, I beg to move:

“That the Bill, as amended, be passed.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

16.05 hrs.

**CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) ORDER (FOURTH AMENDMENT)
BILL, 2022***

माननीय अध्यक्ष: आइटम नम्बर 26, माननीय मंत्री जी ।

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“कि कर्नाटक राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में आशोधन करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।”

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

“कि कर्नाटक राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में आशोधन करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।”

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Thank you, hon. Speaker, for giving an opportunity to participate in the discussion on the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Fourth Amendment) Bill, 2022.

16.06 hrs.

(Shri N. K. Premachandran *in the Chair*)

The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Fourth Amendment) Bill, 2022 was introduced in the Lok Sabha on 9th December, 2022. It seeks to amend the list of Scheduled Tribes in the State of Karnataka. The Constitution empowers the President to specify the list of Scheduled Tribes, and the Parliament is vested with the power to modify the list of Scheduled Tribes so notified under Article 342. The

* The motion for consideration of the Bill was moved by Shri Arjun Munda on 9.12.2022.

present Bill, therefore, amends the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950. It seeks to modify the list of Scheduled Tribes in relation to Karnataka, based on the request of the State Government of Karnataka, to include the “Betta-Kuruba” community in the list of Scheduled Tribes. There are currently 50 communities listed as Scheduled Tribes in Karnataka. The Bill seeks to include “Betta-Kuruba” community as synonym of “Kadu Kuruba” in entry 16 in the list of Scheduled Tribes of Karnataka. The Government has not estimated the additional cost which will be incurred due to the amendment.

All the expenditure on the benefits accrued to the people who live in the communities outlined in the Bill, as part of the ongoing programme for the welfare of the Scheduled Tribes, shall be included within the Government’s allocated budgetary outlay.

In the past also, in this House, I had suggested that the State Governments have recommended so many communities for inclusion in the list of Scheduled Tribes. I have no objection to it. If any community is eligible for inclusion in the list of Scheduled Tribes, the Government of India can bring a legislation in this regard. We welcome it. At the same time, reservation quota of the community is not enhanced. In this House, during this Session, we are including so many communities in various States like Karnataka, Tamil Nadu, Himachal Pradesh, and tomorrow, Chhattisgarh. Those communities are absolutely eligible for that. There is no doubt about that. But, at the same time, in the present situation regarding reservation, these communities are getting a meagre quota. The reservation quota for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes is very meagre. The

population of both Scheduled Castes and Scheduled Tribes has increased. There is no caste census; there is nothing. But quota has also not increased. But, at the same time, due to compulsion of the State Governments, due to political pressure, and due to vote bank, the Government is bringing this legislation.

The existing tribal communities are not getting sufficient reservations. Similarly, allocation under either the Union Budget, TSP, or Department has not been increased. A number of communities have been inserted in the List of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The Government has to act responsibly and increase the reservation quota for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, as also increase allocation for their ongoing welfare schemes. The Government has not been increasing allocation on this count, and hence I would request the hon. Minister to address this issue.

The Government has not estimated the additional cost which will be incurred due to this amendment. I have already mentioned about the expenditure on the benefits accrued to the people who live in the communities outlined in the Bill.

Sir, what is the situation with regard to the crimes committed against the Scheduled Tribes? According to the National Crime Records Bureau, the crime against the Scheduled Tribe communities has increased by 6.4 per cent. There were 8,802 cases registered in 2021. At the end of 2021, 12,159 cases of atrocities against Scheduled Tribes, including those from the earlier year, were still under investigation. The conviction rate for Scheduled Tribes under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, along with the Indian Penal Code, was 28.1 per cent. At the end of 2021, 95.4 per cent cases of

atrocities against Scheduled Tribes were pending trial. Further, violence against Adivasi women had also risen. Women from the Scheduled Tribe communities account for 15 per cent out of the total cases of violence against women. The NCRB Report, 2021 also provided details on specific rape crimes, such as minor rape cases, attempted rape cases, assaults on women to outrage their modesty, and kidnapping of women and minors, which collectively accounted for 26.8 per cent of Scheduled Tribe women. According to the guidelines of the NITI Aayog on the allocation for the welfare of the Scheduled Tribes, it is mandatory to allocate an amount that is proportionate to tribal population. However, the allocation in FY 2022-23 was not proportionate, and the SC/ST Budgets have a shortfall of Rs.40,634 crore and Rs.9,399 crore respectively. The Budget for schemes aimed at creating jobs for the Scheduled Tribes in the Union Budget 2022-23 has been substantially decreased from Rs.89.5 crore last year to Rs.11.3 crore this year. The current year's labour welfare scheme for Scheduled Tribes saw a decrease from the previous year's Rs.12.9 crore to Rs.10.66 crore. The budget for Scheduled Tribes also lacked significant funding in areas like education and safety of women. I am not going into further details. Sir, the BJP-led Karnataka Government has time and again prioritised dominant caste issues, leaving many tribal communities to fight for their rights. In response to a query raised in the Lok Sabha, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has stated that around 2,60,779 land titles are yet to be distributed. Out of 2,75,446 applications received until 2020, only 14,667 land titles have been distributed.

Among its southern counterparts, Karnataka is the worst in distributing land deeds. The long delay was also owing to the chaos of setting up the Cabinet under the present Government. Reports show that Karnataka is the third highest State with forest under encroachment in India. More than 83,000 hectares of land, in Karnataka, is under encroachment. The Government's disregard for tribal concerns threatens the process of resettlement of many tribal families in Karnataka.

About four hundred tribal families have been settled in Nagarahole Tiger Reserve for years. Due to reducing forest cover, Betta-Kuruba, Jenu Kuruba, Yeravas and Soligas have been encountering nuisance by animals, and are experiencing denial of basic facilities like healthcare, transport and connectivity, and education. ... (*Interruptions*) The process of resettlement faced multiple setbacks especially due to mismanagement of funds.

The Karnataka Government has increased the reservation for Scheduled Tribes from three to seven per cent in 2022. However, the forest dwellers in some of the areas of Mysuru region, particularly in the districts of Mysuru and Kodagu, have been demanding internal reservation. Tribes that live in forests, including Jenu Kuruba, Kadu Kuruba, Betta-Kuruba, Soliga, and others, do not have access to education or employment opportunities. Therefore, these forest-dwelling tribes are demanding an internal reservation among Scheduled Tribes to ensure representation. This is the overall situation in the State of Karnataka. The tribal community is facing several issues. These are some of the important issues.

Hon. Chairperson, Sir, I am not going into the details. This Bill is related to the State of Karnataka. The tribal community, throughout the country, is facing a

severe crisis. There are a number of issues concerning the tribal community. But the Government of India is not addressing all the issues, which include, unemployment, education, health, budget allocation, etc. The tribal community is facing a number of issues. But the Government is not addressing such issues, particularly in Karnataka.

With these words, I conclude. Thank you.

HON. CHAIRPERSON: Thank you very much, hon. Member.

I request all the hon. Members that when an hon. Member is on his legs, please do not cross between him and the Chair. That is the convention of the House. That is the rule of the House. But unfortunately, even most of the senior Members are coming in between the hon. Member – who is speaking – and the Chair. Please keep this in mind.

The next speaker is Dr. Umesh G. Jadav *Ji*.

DR. UMESH G. JADAV (GULBARGA): Hon. Chairperson, Sir, thank you.

I rise here in support of the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Fourth Amendment) Bill, 2022 pertaining to Karnataka for the inclusion of 'Kadu Kuruba and Betta-Kuruba'.

Hon. Chairperson, Sir, today, I am very happy because, कहा जाता है कि 'जहां न पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि' और जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा है, वहां आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार और बोम्बई जी की सरकार पहुंच रही है। ये छोटे-छोटे समाज जो आज तक दुःख और तकलीफ झेलते आए हैं, उनको आइडेंटिफाई करके हमारी कर्नाटक सरकार, बोम्बई जी की सरकार ने कडु कुरुबा और जेनु कुरुबा को एसटी सूची में अमेंडमेंट करके लाने के लिए रेक्मेंड किया है। आज मैं पूरे कर्नाटक की तरफ से माननीय मुंडा जी और माननीय नरेन्द्र मोदी जी को शुक्रिया अदा करता हूं और धन्यवाद करता हूं। आज यह एक ऐतिहासिक काम हुआ है।

Hon. Chairperson, Sir, I would like to talk about 'Kadu Kuruba'. The Kadu Kuruba are a tribal people who live in South India. Their name means 'tribal people of the forest' in the language of Kannada. Since medieval times they served as soldiers in the armies of South India. Up until recent times, they collected and sold honey as their main source of income. They weaved baskets and items from bamboo as another way to get income.

In 1970s, the Kadu Kuruba were removed from their forest homes by the Indian Government. The trees were cut down for lumber and the land was cleared for cultivation. The Kadu Kuruba must now work as agricultural labourers. As low as their previous standard of living was, it has become lower. These days, they suffer from malnutrition, poverty, unemployment, and repression. Their forest homeland was distributed to the businesses and individuals favoured by the

Government. The Kadu Kuruba speak Kannada as their primary language. They also speak other regional languages.

Sir, the Betta Kuruba community whose number is less than one lakh are spread across the most backward and remote areas of Mysore, Chamarajanagar and Kodagu districts.

16.20 hrs.

(Shri Bhartruhari Mahtab *in the Chair*)

This is the much-awaited Amendment Bill brought by the Union Government. Today, our Government of Karnataka Bommai Ji has raised the ceiling limit of reservation for ST from three per cent to seven per cent. Many welfare schemes are being undertaken. Sir, there are other issues in Karnataka. Scheduled Tribe people are facing many problems. There is one community called Koli Community. They are called by different names in that region such as Koli, Kabbaliga, Bestha and Ambiga. All are different names of the same community. However, some are in Scheduled Tribes category. I should thank the Central Government. This Tadoba community is included in Scheduled Tribe and certificates are being issued. The Bommai Government has also given the notification to give ST certificate to the Tadoba Samaj. However, there are many other issues. This unanimous terminology of Koli samaj should be considered and further in future, such amendments should be brought and they should be given ST tag, at the earliest. Sir, at the same time, there are Kuruba and Gonda communities. Most Gonda community people are in my Constituency. Their fathers, their grandfathers, forefathers are from Gonda community. They were STs. Their grandfathers were given ST certificates. Now, their children are not being given ST certificates.

Though it was recommended to give ST certificate, they are facing a lot of difficulties. Through you, I would request our hon. Minister Shri Arjun Munda Ji to send the recommendation. The people should not suffer. In spite of the Government's order, a lot of people are suffering from such injustice.

Sir, I sincerely request our Government of India and the Government of Karnataka to include all these Gonda community as Scheduled Tribe and Kuruba-Bestha community also in the Scheduled Tribe. In all of India, Banjara-Lambadi community is there. They are also Scheduled Tribes in Telangana and in Andhra Pradesh. In Karnataka, Banjara community is in Scheduled Caste. These Banjara-Lambadi community are spread in 22 States of India. Many States have already recommended that Banjara-Lambadi community has to be included in ST. I request the Government of India to consider their request and consider them as ST and also one special purpose vehicle must be set up for the Banjara-Lambadi community to have this special status. If they are not included in Scheduled Tribe, at least they should get some benefits. Their economic condition, social condition, and education condition is very pathetic. At the all-India level, one special purpose vehicle should be set up. This is my sincere request.

I, once again, thank you hon. Chairman, Sir, for allowing me to speak on this issue.

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Thank you, hon. Chairperson, Sir, for allowing me to speak on the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Fourth Amendment) Bill, 2022.

Sir, the Bill seeks to include Kadu Kuruba and Betta Kuruba Tribes of Karnataka into the list of Scheduled Tribes. They have been demanding to be included in this Scheduled Tribes category for the last 30 years. So, it is a welcome step and I support the decision of the Government.

The Government has come with four separate Bills with the same objective for inclusion of tribal communities in the ST category. Today is the fourth day of discussion that we have been taking part in the discussion and one or two more days may be required to complete the discussion. Instead of four Bills, the Government could have brought a comprehensive Bill, as rightly pointed by a couple of Members. But I do not want to go further into this point.

In the post-Independence era, tribal land has gradually been taken away by industries, dams, mines, weaponry testing, reserved forests, railways, transport, and for such other purposes. This shows the magnitude of development-induced displacement. Once proud communities living self-sufficiently have now been reduced to landless refugees, struggling to survive. To come under the purview of rehabilitation and getting compensation, land deed is one of the most important documents. But majority of the tribal communities do not have land records to establish their claim.

I would like to know from the hon. Minister when the Government intends to resolve these burning issues by giving importance to the implementation of the

Fifth Schedule of the Constitution. It is not just this point but an expert, Shri R.V. Chandrasekhar Ramanahalli of Centre for Studies of Social Exclusion and Inclusive Policy, National Law School of India University, Bengaluru has conducted an extensive study on the rehabilitation and resettlement of tribal communities in Karnataka. He informs that Village Forest Committees or Gram Sabhas are constituted in such a manner that no one speaks about the right of the tribals in the forest. This is the scenario in our country. I request the hon. Minister to take note of this aspect.

According to the 1991 census, nearly 70 per cent of the tribals are illiterate. Though the Government had sanctioned record number of Eklavya Model Residential Schools, these institutions have been suffering from severe lack of teaching staff and poor infrastructure. Has the Ministry taken up the matter with the Ministry of Human Resource Development to fill up the vacant posts as early as possible?

Inclusion of more tribals in the list of Scheduled Tribes category is not enough but allocation of more fund is the need of the hour for overall development in order to prevent them from becoming Maoists. This is possible only through developmental programmes. I would like to bring to the attention of the House that the Government of West Bengal, under the leadership of our hon. Chief Minister, Kumari Mamata Banerjee, has proved it in Jangal Mahal through implementation of developmental schemes. These schemes relate to providing education, skill development, free ration, road connectivity, supply of drinking water, and electricity. The hon. Prime Minister called for TB Mukta Bharat by 2025. In order to

achieve this target, malnutrition has to be eradicated because malnutrition leads to secondary immuno-deficiency that increases the risk of infection. In patients with tuberculosis, it leads to reduction in appetite and alters metabolism leading to wasting. All these components, namely, malnutrition, stunting, and wasting are measures of calculating Global Hunger Index. Sir, how much ever the Government says that the calculation method of Global Hunger Index is wrong, it is an indication of the serious situation in India.

The majority share of the people suffering from it are from SCs, STs and other under-privileged people. How will the Government ensure that they have access to proper nutrition in order to achieve the target of TB Mukht Bharat?

Finally, on 28th February, 2022, the Government of West Bengal had sent a proposal to the Central Government for inclusion of 11 tribal communities, namely, Khas, Rai, Bhujel, Jogi, Newar, Mangar, Thami, Sunuwar, Mukhia, Gurung, Dewan, Dimang which have already been acknowledged by the Minister of States for Tribal Affairs in his reply on 14.12.2022 in Rajya Sabha to an Unstarred Question. Till date, no action has been taken. So, I would like to request the hon. Minister to kindly look into the matter and take necessary steps at the earliest. Thank you.

SHRIMATI CHINTA ANURADHA (AMALAPURAM): Thank you, Sir. The Bill seeks to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 to modify the list of Scheduled Tribes in relation to the State of Karnataka to include Betta-Kuruba community as a synonym of 'Kadu Kuruba' in entry 16 in the list of Scheduled Tribes of Karnataka as requested by the State. I would like to thank the hon. Chairperson for allowing me to speak on this Bill and I support this Bill on behalf of my party. Betta-Kuruba community is spread across the most backward and remote areas of Mysuru, Chamarajanagar and Kodagu districts and has been struggling to be accorded with the ST status for the past 35 years. Thus, I thank the Union Government to bring forward this Bill which provides this community with much-awaited ST status. Betta-Kuruba community will now be able to avail of the benefits entitled under the existing Government schemes for Scheduled Tribes. It is largely a forest-dwelling tribe engaged in hunting and collecting forest produce. However, the collection of forest produce is seasonal and thus, they have no work in other parts of the year, leading to low economic stability and poverty. Therefore, the Government must formulate schemes to provide more economic opportunities to the tribal communities as well as skill development schemes to overcome poverty and unemployment. When it comes to education, tribals struggle with lack of transportation in their inhabited areas, making it difficult to access the basic facilities such as education. Hence, it is very difficult for tribal children to go to school. This has also contributed to the high illiteracy rates within tribal communities. There is a further problem with the functioning of the Tribal Ashram Schools in the State. There is a high dropout rate at these schools and even those

who reach SSLC are unable to read or write properly. One of the factors responsible for the high dropout rate is the medium of instruction. For the tribals, English or even the State language, Kannada is alien and hence, it is important to develop modules and lessons to impart lessons in their respective mother tongues. The Government must also conduct programmes to eradicate illiteracy and provide proper guidance to these children to broaden their opportunities. When it comes to health, the National Family Health Survey and the reports of the expert committees on tribal health indicate that the tribal women and children suffer from a high rate of undernutrition.

Even the kitchens of the Ashram Schools which provide food to the tribal children are reported not to be cleaned properly. These findings are symbolic of a larger problem with long-lasting effects as malnutrition among those under-five years of age affects their cognition, learning ability and even life-long learning. Given that the tribal children are more susceptible to multiple forms of undernutrition than the other groups, the Government should address their nutritional challenges to remove any barrier to their development. Betta Kuruba community or other tribal communities live in temporary huts or dwellings. The majority of the community does not have permanent houses. Therefore, it is necessary to provide a permanent settlement to Betta Kurbas. The Government should work on providing permanent housing facilities to the tribal communities. Sir, I would like to take this opportunity to highlight some of the successful endeavours undertaken by our State Government towards the social, political and economic upliftment of our tribal communities. The State Government has worked

for the empowerment of tribal women and pattas were given for the land under the cultivation of tribal farmers. The pattas were issued to tribal people who were cultivating *banjar* lands. The State also has a dedicated ST Sub-plan for funding schemes for tribal people.

To reduce the gaps in the development of STs, the Government should facilitate access to better livelihood and employment opportunities for STs, and ensure students reach the higher echelons of the administration. Andhra Pradesh also runs the YSR Vidyonnathi Scheme under which the State Government provides free coaching for Civil Services Examination for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes students. The State's Corporate College Admission Scheme provides admission for meritorious poor students belonging to STs into reputed private junior colleges. Under the 'Mana Badi, Nadu Nedu' programme, the Tribal Ashram Schools were also renovated and provided basic amenities. Under the Jagjeevan Jyothi, the State Government has extended the benefits of free power of up to 100 units to ST consumers and ST households consuming 125 units per month would also be supplied free power. The scheme has benefited thousands of ST consumers. Therefore, Andhra Pradesh is undertaking a lot of welfare measures to uplift its tribal community. I would request the Government to allot more funds to the State to help us in scaling up our efforts towards ensuring a better status for our tribal people. Sir, generations of tribal people run the risk of staying deprived of equal opportunities if the Government does not act with urgency. With these suggestions, I support this Bill. Thank you.

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं भाषण से पहले एक चीज की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि यहां जो वॉच है, इसमें 12.30 बजे हैं, लेकिन अभी 4.30 बजे हुए हैं। आप इस वॉच को चेंज करवाने या समय करेक्ट करने के लिए इंस्ट्रक्शन दीजिए।

HON. CHAIRPERSON: It has been taken note of. Please come to the Bill.

श्री राहुल रमेश शेवाले: सभापति महोदय, धन्यवाद। आपने मुझे संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, (चौथा संशोधन) विधेयक, 2022 पर बोलने का और मेरी पार्टी बालासाहेब की शिवसेना की तरफ से पक्ष रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।

सभापति जी, माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में माननीय जनजातीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी द्वारा लाये गये इस विधेयक का मैं स्वागत करता हूँ। इस विधेयक के माध्यम से कर्नाटक की जनता को न्याय दिलाने का काम आदरणीय मंत्री जी कर रहे हैं, जो स्वागत योग्य है। मैं आशा करता हूँ कि वे महाराष्ट्र राज्य की जनता को भी न्याय देंगे। मैं सदन को बताना चाहूँगा कि इस देश में जनजातीय और आदिवासी क्षेत्र के बारे में सबसे पहले इंडिया एक्ट, 1935 में यह कहा गया कि आदिवासी क्षेत्र कौन-कौन से हैं। हमारा देश जब आजाद हुआ और उस समय ठक्कर बापा की अध्यक्षता में कमेटी बनी तथा उस कमेटी के माध्यम से सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा ने संविधान में ऐसे कई प्रावधानों को जोड़ते हुए संविधान में ऐसी जातियों के बारे में चर्चा की। लेकिन, इसके बावजूद ऐसी कई समस्याएं हमारे सामने उभरती रही हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्बंधित मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि ऐसे कई समुदाय हैं, जो आज भी सुविधाओं से वंचित हैं और वे सूचीबद्ध भी नहीं हो पाए हैं। मैं महाराष्ट्र के धनगड़ समाज के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। धनगड़ समाज की स्थिति काफी खराब है। धनगड़ समाज का मूल व्यवसाय पशुपालन जैसे, भेड़-बकरी चराना है। साल के आठ महीने ये लोग पशुपालन करने के लिए जंगलो तथा गांव-गांव भटकते रहते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने से वे अपने बच्चों को न अच्छी शिक्षा दे पाते हैं और न ही उनका अच्छे से पालन-पोषण कर पाते हैं।

महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि धनगड़ समाज के लोग सरकार द्वारा चल रही योजनाओं से भी वंचित रह रहे हैं, जिससे उनकी स्थिति काफी दयनीय हो गयी है। मैं सम्बन्धित मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि 70 वर्षों से धनगर समाज के आरक्षण का प्रश्न महाराष्ट्र में प्रलंबित है और भारतीय संविधान के अनुसार अनुसूचित जनजाति की सूची में 36 नम्बर पर धनगड़ का उल्लेख है। हिंदी भाषा के उच्चारण शास्त्र के अनुसार धनगर और धनगड़ एक ही शब्द है। महाराष्ट्र में धनगड़ नाम की कोई जनजाति नहीं है। महाराष्ट्र शासन के राजपत्रों और भारत सरकार के कई पत्रों में धनगर शब्द का स्पष्ट उल्लेख है, फिर भी धनगर समाज को आरक्षण से वंचित किया जा रहा है। महाराष्ट्र में धनगर समाज की संख्या लगभग 11 प्रतिशत से ज्यादा है।

1967 में महाराष्ट्र राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार धनगर जाति को महाराष्ट्र के अन्य पिछड़े वर्ग में सम्मिलित किया गया था। वर्तमान में धनगर महाराष्ट्र राज्य की एक प्रमुख जाति है। महाराष्ट्र की धनगर और इसी तरह की जनजातियों के लिए 3.5 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। महाराष्ट्र में 1 करोड़ 5 लाख जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजातियों की सूची में 45 जनजातियाँ शामिल हैं और इन जनजातियों के लिए कुल 7 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।

धनगर, ओरों, धांगड़ जनजातियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 के तहत अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 342(1) के तहत किसी जाति को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने या बाहर करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को दिया गया है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह धनगर समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करे और उन्हें सामाजिक-आर्थिक आरक्षण दे। यह करते वक्त महाराष्ट्र में अन्य अनुसूचित जनजातियों का जो कोटा है, उस कोटे पर कुछ असर नहीं पड़ना चाहिए। उनके अधिकारों पर कुछ असर नहीं पड़ना चाहिए। इसके बावजूद धनगर समाज को यह आरक्षण देना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र राज्य में मराठा समाज के आरक्षण के सम्बन्ध में सम्बन्धित मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा महाराष्ट्र राज्य में मराठा समाज के आरक्षण कि माँग काफी सालों से हो रही है ।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: This issue does not fall under the Bill.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: This issue does not come under this Bill. That can be taken up later on.

... (*Interruptions*)

श्री राहुल रमेश शेवाले: सभापति महोदय, जनजाति का है लेकिन मराठा समाज...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: We are not discussing about reservation as such.

... (*Interruptions*)

माननीय सभापति : आप संक्षेप में इसके बारे में बता दीजिए । But it does not concern this Bill.

... (*Interruptions*)

श्री राहुल रमेश शेवाले: इसको लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है । माननीय सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि मराठा समुदाय को कोटा के लिए सामाजिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा घोषित नहीं किया जा सकता है । यह 2018 महाराष्ट्र राज्य कानून समानता का उल्लंघन करता है ।

कोर्ट ने कहा कि हम 1992 के फैसले की फिर से समीक्षा नहीं करेंगे, जिसमें आरक्षण का कोटा 50 फीसदी पर रोक दिया गया था । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ ।... (व्यवधान)

माननीय सभापति: ठीक है, आपका इश्यू आ गया ।

श्री राहुल रमेश शेवाले: कृपया, मुझे दो मिनट बोलने का समय दें ।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कानून की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के अनुसार कोटा घटाकर 13 प्रतिशत से 12 प्रतिशत करने का निर्देश दिया था। न्यायालय ने यह भी कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुल आरक्षण पर लगाई गई 50 प्रतिशत की कैप असाधारण परिस्थितियों में पार की जा सकती है। 9 सितम्बर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग अधिनियम 2018 के तहत मराठा समुदाय को प्रदान किए गए शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण पर रोक लगा दी थी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्बंधित मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मराठा समुदाय राज्य की आबादी का लगभग एक-तिहाई हिस्सा है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि चिकित्सा पाठ्यक्रमों में मराठा कोटा के तहत पहले से किए गए प्रवेश प्रभावित नहीं होंगे। इसमें कहा गया है कि जिन लोगों ने इसका लाभ उठाया है, उनकी स्थिति भी खराब नहीं होगी।... (व्यवधान)

सभापति महोदय, इसके पहले भी ऐसे बिल पर विभिन्न राज्यों के प्रॉब्लम यहां पर रोज किए गए हैं। आज आप क्यों प्रतिबंध लगा रहे हैं।

HON. CHAIRPERSON: Please confine your discussion relating to the Bill and also relating to reservation for tribals.

... (Interruptions)

श्री राहुल रमेश शेवाले: सभापति महोदय, इसके पहले भी जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, उस पर धनगर और मराठा समाज के लिए सेम दूसरे माननीय सदस्य ने कहा था, तो कभी विरोध नहीं हुआ।... (व्यवधान)

माननीय सभापति: यह नहीं करना चाहिए।

श्री राहुल रमेश शेवाले: अगर यह नहीं करना चाहिए तो इसके बारे में तभी बताना चाहिए था। महाराष्ट्र के राज्य के नागरिकों की जो भावना है, उसे हम यहां पर प्रकट करेंगे। जो हमारा अधिकार है।... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आपका इश्यू रिकॉर्ड में आ गया ।

...(व्यवधान)

श्री राहुल रमेश शेवाले: सभापति महोदय, मैं संक्षिप्त में कंक्लूड करना चाहता हूँ।...(व्यवधान)

माननीय सभापति: आप अपनी बात को कंक्लूड करिए ।

श्री राहुल रमेश शेवाले: सभापति महोदय, उनकी स्थिति खराब नहीं होगी । महाराष्ट्र राज्य सरकार की यह माँग है कि उच्चतम न्यायालय को आरक्षण पर मौजूदा 50 प्रतिशत के कैप पर पुनर्विचार करना चाहिए । कई राज्यों में आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से भी अधिक हो गयी है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए घोषित कोटा भी सीमा पार कर गया है । मराठा आरक्षण को छोड़कर इसमें किसी को भी नहीं रखा गया है । माननीय उच्चतम न्यायालय को आरक्षण पर मौजूदा 50 प्रतिशत कैप पर पुनर्विचार करना चाहिए । इसलिए 1993 के इंदिरा साहनी मामले में 50 प्रतिशत की दर से कोटा देने के ऐतिहासिक फैसले को फिर से देखने की जरूरत है ।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: This needs a separate discussion.

श्री राहुल रमेश शेवाले: अगर केन्द्र सरकार इस मुद्दे पर सकारात्मक रुख अपनाता है तो महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण मंजूर करने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है और मराठा समाज के बच्चों को न्याय मिलेगा ।

PROF. ACHYUTANANDA SAMANTA (KANDHAMAL): Hon. Chairperson Sir, the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Fourth Amendment) Bill, 2022 seeks to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, with respect to its application to Karnataka. The Order lists the tribal communities deemed to be the Scheduled Tribes in States and Union Territories. On behalf of my Party, Biju Janata Dal, I stand here to support any Bill that is progressive and works towards establishing a voice for the tribal population. I would also like to compliment wholeheartedly the phenomenal steps taken in this regard by the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi-*ji*-led Government for the development and respect of the tribal society. I have been working with millions of people of the tribal community for the last 30 years.

I would like to highlight two main landmarks that have caused a wave of happiness among the tribals in India – a tribal woman, pride of India rising to the highest Constitutional post of India, Smt. Droupadi Murmu-*ji*; and the celebration of birth anniversary of Bhagwan Birsa Munda on 15th November as Tribal Pride Day/Janjatiya Gaurav Divas. Coming to my state of Odisha, that has around 24 percent tribal population, the last two decades have been a watershed in tribal empowerment in Odisha because of the inclusive pro-tribals policy. Under the leadership of our hon. Chief Minister, Shri Naveen Patnaik, Odisha has championed several inclusive, holistic, participatory, community-driven, and gender and culture-sensitive empowerment and development initiatives for tribals. Odisha has done a lot for tribals. It has launched innovative schemes like 5T on education front and has also been a pioneer in land rights and cultural conservation.

I also rise to apprise the House that Odisha is the only State to have first of its kind encyclopaedia on tribes of Odisha. I would request the hon. Minister to consider the request of our hon. Chief Minister, Shri Naveen Patnaik and consider over 160 proposals recommended by the State Government for inclusion in the Scheduled Tribe (ST) list of Odisha.

Since 1978, the State Government has recommended more than 160 communities of the State to the Central Government for inclusion in the ST list of the State, with the approval of the Tribes Advisory Council.

Among these, some are new entries and the others are subsets, synonyms, and phonetic variations of the existing ST communities, residing in different parts of the State who are being deprived of the benefits availed by STs, though they have the same tribal characteristics as their respective notified STs. One of them happens to be the Kudumi community in the State, whose population is 30 lakhs.

They live in districts like Mayurbhanj, Keonjhar, Sundargarh, Balasore and other nearby places. They are one of the larger groups demanding ST status for a long time. This shall go a long way in helping these deprived communities by giving them their much-needed recognition as 'Scheduled Tribe' and ensure social justice. So, we appeal to the Ministry to consider these requests. With these words, I support this Bill. Thank you very much.

श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय ।

संविधान की अनुसूचित जनजातियों की सूची में कर्नाटक के कतिपय समुदायों को सम्मिलित किये जाने के लिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ । वास्तव में, यह प्रशंसनीय विधेयक है तथा जनहित में है । इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

मौजूदा समुदाय के कल्याण के लिए जब तक आवंटन नहीं बढ़ाया जाएगा, तब तक इन समुदायों का कल्याण नहीं हो सकता है । इसलिए इसके साथ-साथ इन समुदायों के लिए आवंटन बढ़ाना भी आवश्यक है ।

महोदय, बिहार राज्य में अभी भी कतिपय अनुसूचित जनजातियाँ जैसे अमात, बीन्द, बेलदार, धानुक, कहार, गंगौत, गोरही, केवट क्योट, कैवर्त, मल्लाह, नूनिया तथा तुरहा हैं, जिन्हें राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में अभी तक शामिल नहीं किया गया है । इन जनजातियों के लोग अभी भी सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं तथा दशकों के नियोजित विकास के पश्चात् भी दयनीय स्थिति में जीवनयापन कर रहे हैं । ये समुदाय संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950 में जनजाति के रूप में शामिल किए जाने के सभी मापदण्डों को पूरा करते हैं । इसके अलावा, वे काफी समय से ऐसे दर्जे की मांग कर रहे हैं । इन जातियों से संबंधित इथेनोग्राफिक अध्ययन रिपोर्ट सहित बिहार सरकार भी केन्द्र सरकार को अनुशंसा प्रेषित कर चुकी है ।

उसी क्रम में, मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार राज्य के अंतर्गत राजवंशी, नागर और चसोर को भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा देना चाहिए ।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि संविधान में संशोधन करके बिहार की इन जातियों को भी अनुसूचित जनजाति समुदाय में सम्मिलित किया जाए ताकि उनका भी विकास हो और वे आगे बढ़ सकें ।

धन्यवाद ।

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): धन्यवाद, सभापति महोदय । ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप काफी लेफ्ट को आ गए हैं ।

... (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे: सर, इन्होंने ड्रेस चेंज कर ली है। ... (व्यवधान)

कुंवर दानिश अली: चेयरमैन सर, ड्रेस इसलिए चेंज किया क्योंकि सेफरन कलर पहनना निशिकांत जी का या बीजेपी, भाजपा वालों का पेटेंट नहीं है। ... (व्यवधान) इसलिए मैं यह पहनकर आया हूँ, जानबूझकर पहन कर आया हूँ। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप लेफ्ट में थे, राइट में आ गए हैं। आप राइटिस्ट हो रहे हैं।

... (व्यवधान)

KUNWAR DANISH ALI: Thank you, Sir. ... (*Interruptions*)

डॉ. निशिकांत दुबे: यह रंग हिन्दुत्व का प्रतीक है। ... (व्यवधान)

कुंवर दानिश अली: यह हमारे झंडे में भी है। यह हरा, सफेद, केसरिया राष्ट्रीय ध्वज में भी है, जिस राष्ट्रीय ध्वज का ये लोग आजादी के 50 सालों से ज्यादा बाद तक भी विरोध करते रहे हैं। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप विधेयक के ऊपर बोलिए।

... (व्यवधान)

कुंवर दानिश अली: संघ के हेडक्वार्टर पर इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया। ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: You speak on the Bill, please. It is a Constitution (Amendment) Bill.

....(*Interruptions*)

कुंवर दानिश अली: धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे इतने इम्पोर्टेंट बिल पर बोलने का मौका दिया। यह बिल कर्नाटक के अंदर जो बेटक कुरबा कम्युनिटी है, उसको शेड्यूलड ट्राइब की लिस्ट में शामिल करने के लिए यह बिल लाया गया है।

मैं देख रहा हूँ कि पिछले चार दिनों से ये अलग-अलग स्टेट स्पेसिफिक बिल्स लाए गए हैं। जबकि शेड्यूल्ड ट्राइब्स का ट्राइबल मिनिस्ट्री एक कॉम्प्रेहेंसिव बिल भी ला सकती थी, लेकिन उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: ट्राइबल नहीं, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है।

... (व्यवधान)

कुंवर दानिश अली: सर, मैं उसके प्रोरोगेटिव में नहीं जाना चाहता हूँ। ... (व्यवधान)

मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस देश के जल, जंगल और जमीन के असली अधिकारी इस देश की आदिवासी कम्युनिटी होती है। ... (व्यवधान) लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यह देखने में आया है कि जो सरकार के क्रोनी कैपिटलिस्ट दोस्त होते हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए ट्राइबल कम्युनिटी को डिसप्लेस करके इंडस्ट्री के नाम पर, माइनिंग के नाम पर उनको डिसप्लेस किया जाता है। ... (व्यवधान) मैं, जो बिल लाया गया है, उस बिल के समर्थन में खड़ा हूँ। ... (व्यवधान)

DR. NISHIKANT DUBEY: Sir, I have a point of order.

कुंवर दानिश अली: सर, यह पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है, निशिकांत दुबे जी की पार्टी को जब मैं एक्सपोज करने खड़ा होता हूँ, हमेशा इनको ये बीमारी है। ... (व्यवधान) हमेशा खड़े हो जाते हैं। ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: That will be decided by the Chair.

....(Interruptions)

कुंवर दानिश अली: सर, ये बिना बात के डिस्टर्ब करते हैं।

सभापति महोदय, इनको सच्चाई चुभती है। मैं सच्ची बात कह रहा हूँ कि यह जो मौजूदा सरकार है, यह आदिवासी विरोधी है। ... (व्यवधान) ये, जो ट्राइबल्स हैं, ये उनके खिलाफ काम करती है। ... (व्यवधान) उनको उजाड़ने का काम करती है, उनको लगातार डिसप्लेस कर रही है। ... (व्यवधान) उनको कहीं भी स्टैंड नहीं किया जा रहा है। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: निशिकांत जी, आप बताइए।

... (व्यवधान)

DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA): Sir, Rule 94 says: -

“The discussion on a motion that the Bill or the Bill as amended, as the case may be, be passed shall be confined to the submission of arguments, either in support of the Bill or for the rejection of the Bill. In making his speech a member shall not refer to the details of the Bill further than is necessary for the purpose of his arguments which shall be of a general character.”

सर, इसका इस बिल से क्या लेना-देना है कि किसको माइन्स दिया, किसको नियमगिरी दिया गया? ... (व्यवधान) मैं बता दूँ कि ...* को कैसे माइन्स दे दिया? ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: No, that will not go on record.

....(Interruptions)

डॉ. निशिकांत दुबे: कैसे किरीबुरु में दे दिया? ... (व्यवधान) ये उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: I will go through the details of this particular Point of Order.

....(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please continue.

....(Interruptions)

कुंवर दानिश अली: सभापति जी, बहुत अच्छा है कि आज निशिकांत जी ने यह बात कही कि बिल पर ही बात होनी चाहिए। मैं चेयर से अपील करूंगा कि निशिकांत जी के आज तक बिल पर जितने भाषण हुए हैं, उनकी भी स्कूटिनी होनी चाहिए कि वे बिल पर बोलते हैं या पालिटिकल भाषण देते हैं। There

* Expunged as ordered by the Chair.

cannot be two yardsticks. अभी तीन दिन पहले बिल से बिलकुल अलग बोल रहे थे। इनका काम डिस्टर्ब करने का था और वह उन्होंने कर दिया, लेकिन मैं डिस्टर्ब होने वाला नहीं हूँ।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आदिवासी कम्युनिटी के लिए यह बिल लाए हैं, यह अच्छा बिल है। मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसके साथ-साथ मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बेस्टा, कुरुबा जाति के साथ-साथ जो बीदर, कुलबर्गा के इलाके में गोंड कुरुबा कम्युनिटी है, उसकी भी मांग है कि उन्हें भी अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में शामिल किया जाए। राज्य सरकार से भी प्रपोजल आया हुआ है। मुझे याद है कि वर्ष 1990-91 में जब चन्द्रशेखर जी देश के प्रधान मंत्री बने थे, तो उन्होंने देवेगौड़ा जी को कैबिनेट ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे कैबिनेट नहीं चाहिए, बल्कि मेरी स्टेट के वाल्मिकी नायक कम्युनिटी के लोग हैं, उन्हें आप एसटी का दर्जा दे दीजिए। चन्द्रशेखर जी की सरकार ने उस जाति को एसटी का दर्जा उनके कहने पर दिया। आज कर्नाटक में 15 एसटी की सीट रिजर्व हैं, सिर्फ उस प्रपोजल की वजह से।

माननीय सभापति: ठीक है, आप अपने अनुभव से बता रहे हैं, लेकिन आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

कुंवर दानिश अली: सभापति जी, वर्ष 1950 का जो आर्डर है, उसमें बार-बार अमेंडमेंट हो रहा है। मैं सरकार से अपील करूंगा कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए और जाति जनगणना के रिजल्ट संसद में आने चाहिए। जिसकी जितनी आबादी, उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यह सरकार जाति जनगणना से क्यों भाग रही है, जाति जनगणना होनी चाहिए। धन्यवाद।

[کنور دانش علی (امروہ): بہت شکریہ چیرمین صاحب، سر، ڈریس چینج اس لئے کیا کیونکہ سیفرن کلر پہننا نشی کانت جی کا یا بی-جے-پی،، بھاجپا والوں کا پیٹینٹ نہیں ہے۔ (مداخلت)۔ اس لئے میں یہ پہن کر آیا ہوں، جان بوجھ کر پہن کر آیا ہوں۔

(مداخلت)۔ یہ ہمارے جھنڈے میں بھی ہے۔ یہ سفید، ہرا، کیسریا قومی جھنڈے میں بھی ہے، جس قومی جھنڈے کی یہ لوگ آزادی کے 50 سالوں سے زیادہ بعد تک خلافت کرتے رہے (مداخلت)۔ سنگھ کے ہیڈ کوارٹر پر انہوں نے قومی جھنڈا نہیں پھیرایا۔ (مداخلت)۔۔۔

محترم چیرمین صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اتنے اہم پل پر بولنے کا موقع دیا۔ یہ پل کرناٹک کے اندر جو بیٹا کُرمبا کمیونیٹی ہے، اس کو شیڈیولڈ ٹرائبس کی لسٹ میں شامل کرنے کے لئے یہ پل لایا گیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے چار دنوں سے یہ الگ الگ اسٹیٹ اسپیسفیک پلس لائے گئے ہیں۔ جبکہ شیڈیولڈ ٹرائبس کا ٹرائبل منسٹری ایک کومپری ہینسو پل بھی لا سکتی تھی، لیکن اس میں، میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ (مداخلت)۔۔

جناب، میں اس کے پرور و گیٹو میں نہیں جانا چاہتا ہوں (مداخلت) میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے جل، جنگل اور زمین کے اصلی حقدار اس ملک کی آدیواسی کمیونیٹی ہوتی ہے (مداخلت) لیکن پچھلے کچھ سالوں میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو سرکار کے کرونی کیپیٹلسٹ دوست ہوتے ہیں، ان کو فائدہ پہنچانے کے لئے ٹرائبل کمیونیٹی کو ڈسپلیس کر کے انڈسٹری کے نام پر، مائننگ کے نام پر ان کو ڈسپلیس کیا جاتا ہے (مداخلت)، میں، جو پل لایا گیا ہے، اس پل کی تائید میں کھڑا ہوا ہوں (مداخلت)۔۔

سر، یہ پوائنٹ آف آرڈر جو ہے نشی کانت دوبے جی کی پارٹی کو جب میں ایکسپوز کرنے کھڑا ہوتا ہوں، ہمیشہ ان کو یہ بیماری ہے (مداخلت) ہمیشہ کھڑے ہو جاتے ہیں، (مداخلت)۔ سر یہ بنا بات کے ڈسٹرب کرتے ہیں۔

چیرمین صاحب، ان کو سچائی چُبھتی ہے۔ میں سچی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو موجودہ سرکار ہے، یہ آدیواسی ورودی ہے، (مداخلت) یہ جو ٹرائبلس ہیں، یہ ان کے خلاف کام کرتی ہے (مداخلت) ان کو اُجاڑنے کا کام کرتی ہے، ان کو لگاتار ڈسپلیس کر رہی ہے۔ (مداخلت) ان کو کبھی بھی اسٹینڈ نہیں کیا جا رہا ہے (مداخلت)۔

چیرمین صاحب، بہت اچھا ہے کہ آج نشی کانت جی نے یہ بات کہی کہ بل پر ہی بات ہونی چاہئیے۔ میں چیر سے اپیل کروں گا کہ نشی کانت جی کے آج تک کے بل پر جتنے بھاشن ہوئے ہیں، ان کی بھی اسکروٹنی ہونی چاہئیے کہ وہ بل پر بولتے ہیں یا پولیٹیکل بھاشن دیتے ہیں۔ There cannot be two yardsticks. ابھی تین دن پہلے بل سے بالکل الگ بول رہے تھے۔ ان کا کام ڈسٹرب کرنے کا تھا اور وہ انہوں نے کر دیا، لیکن میں ڈسٹرب ہونے والا نہیں ہوں۔

چیرمین صاحب، میں آپ کے ذریعہ سے صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آدیواسی کمیونیٹی کے لئے یہ بل لائے ہیں، یہ اچھا بل ہے۔ میں اس کی تائید کرنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں۔ لیکن پھر بھی مجھے ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ذریعہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بیٹا کُرمبا جاتی کے ساتھ ساتھ جو بیدر، گُلبرگہ کے علاقے میں گونڈ کُرمبا کمیونیٹی ہے، اس کی بھی مانگ ہے کہ انہیں بھی انوسوچت جن جاتی کی لسٹ میں شامل کیا جائے۔ ریاستی سرکار سے بھی پُرپوزل آیا ہوا ہے۔ مجھے یاد ہے سال 1990-91 میں جب چندر شیکھر جی ملک کے وزیر اعظم بنے تھے، تو انہوں نے دیوے گوڑا جی کو کیبنیٹ جوائن کرنے کے لئے انوائٹ کیا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے کیبنیٹ نہیں چاہئیے، بلکہ میری ریاست کے والمیکی نائک کمیونیٹی کے لوگ ہیں، انہیں آپ ایس۔ٹی۔ کا

درجہ دے یجیئے۔ چندر شیکھر جی کی سرکار نے اس جاتی کو ایس۔ٹی۔ کا درجہ ان کے کہنے پر دیا۔ آج کرناٹک میں 15 ایس۔ٹی۔ کی سیٹ ریزرو ہیں، صرف اس پریپوزل کی وجہ سے۔

چیرمین صاحب، سال 1950 کا جو آرڈر ہے، اس میں بار بار امینڈمینٹ ہو رہا ہے۔ میں سرکار سے اپیل کروں گا کہ ملک میں جاتی مردم شماری ہونی چاہئیے اور اس کے ریزلٹ پارلیمنٹ میں آنے چاہئیے۔ جس کی جتنی آبادی، اس کی اتنی بھاگیداری ہونی چاہئیے۔ اس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ جاتی جن گنا سے کیوں بھاگ رہے ہیں، جاتی جن گنا ہونی ہی چاہئیے۔ بہت بہت شکریہ]

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, thank you very much.

I stand here on behalf of the NCP to speak on the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Fourth Amendment) Bill, 2022 to modify the list of Scheduled Tribes in relationship with the State of Karnataka. मैं जिस राज्य से आती हूँ, उस राज्य में बहुत सारी जातियाँ ऐसी हैं, जो आरक्षण मांग रही हैं। मैं इस बारे में संक्षिप्त में बोलूंगी। चाहे धनगर समाज हो, मराठा समाज हो, लिंगायत समाज हो या मुस्लिम समाज हो।

आज ये सारे समाज आरक्षण मांग रहे हैं लेकिन धनगर समाज ऐसा समाज है जो इस बिल में आरक्षण चाहता है इसलिए मैं मराठा, मुस्लिम और लिंगायत समाज के बारे में नहीं बोलूंगी और इस विषय तक ही सीमित रहूंगी। धनगर समाज के आरक्षण पर मैं पहले भी दो बार बोल चुकी हूँ लेकिन आज मेरे लिए बोलना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कर्नाटक के लिए है। कर्नाटक के माननीय मुख्य मंत्री हमारे खिलाफ कुछ भी बोलें, लेकिन हम उनके साथ खड़े रहेंगे क्योंकि मुझे पता है कि यह बिल उस जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

आज भी सुबह कर्नाटक में हमारे कुछ मराठी लोग गए थे, जो भारतीय हैं, वे चाहे कर्नाटक में रहें या महाराष्ट्र में रहें, लेकिन फिर भी आज जब कर्नाटक में असेम्बली शुरू हो रही थी, तब उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया गया और उनके पंडाल को भी हटा दिया। मैं इस विषय में राजनीति नहीं लाना चाहती हूँ लेकिन कर्नाटक के लिए भी चाहे यह बिल है, हम महाराष्ट्र की तरफ से पूरी सपोर्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि यह बिल पास हो। महाराष्ट्र में 'ईडी सरकार', देवेन्द्र फड़नवीज जी की ही स्टेटमेंट है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। वे एकनाथ जी और अपनी सरकार को 'एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट' नहीं स्वयं को 'ईडी' कहते हैं। देवेन्द्र जी जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, तब उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कि जब हमारी सरकार आएगी, तब धनगर समाज, जिसका उल्लेख श्री एस.पी. बघेल जी और निशिकांत जी ने भी किया था और कहा था कि सिर्फ स्पेलिंग की मिस्टेक है और एक न्यूज भी आई थी कि वर्ष 2014 में जब श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आई थी, तब उन्होंने नया ग्रुप बनवाया था और उसके अधिकारी श्री पांडा जी थे। उन्होंने एक रिपोर्ट बनवाई थी और उसमें लिखा है।

17.00 hrs.

‘If there is a spelling change, whether there is any phonetic variation, which of the tribes could be considered because of a slight similarity of sound,...’ It should be considered.

जब इनकी सरकार आयी थी, तब उन्होंने यह सुझाव दिया था। धनगर जाति का उल्लेख पहले भी निशिकांत जी ने किया था और उन्होंने कहा था कि हर राज्य में अलग-अलग आरक्षण दिया जाता है, तो यह एक स्टैंडर्डिज वे में क्यों न हो? मंत्री महोदय हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि राज्यों से लाए थे, तो वैसे ही इस देश के लिए एक कॉम्प्रीहेंसिव बिल क्यों न लाया जाए और उसके साथ ही महाराष्ट्र के बारे में क्यों न सोचा जाए?

उस दिन माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा था कि महाराष्ट्र से कोई प्रपोजल नहीं आया था। मैं रिकॉर्ड के लिए कहना चाहती हूँ कि वर्ष 1978 में वहां के मुख्य मंत्री जी ने एक प्रस्ताव भेजा था, जो वर्ष 1981 में वापस गया। उसके बाद कोई प्रपोजल नहीं आया और देवेन्द्र जी जब मुख्य मंत्री थे, तब उन्होंने एक स्टडी ग्रुप बनाया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं है। जो प्रॉसेस रखा है, उसके लिए महाराष्ट्र सरकार को वह प्रपोजल दिल्ली भेजना है। अतः दो माध्यम हो सकते हैं।

There are two ways to solve this problem. The Modi Government goes by this new Panda Committee Report and can do it directly. The Government of India with its 303-majority can go ahead and give Dhangar community the reservation and meet their demand. The other way is that the present Government of Maharashtra re-looks at the study, makes sure that they have another survey freshly done for the Dhangar *samaj* which is asking for this reservation, and sends it to the Government of India and gets it done. So, these are the two options which the Government has.

So, I request the hon. Minister to kindly consider it. बहुत सालों से मांग हो रही है।
यह सरकार धनगर समाज को न्याय देगी, यह मैं अपेक्षा करती हूँ।

धन्यवाद।

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व): थैंक्यू चेयरमैन सर, आज मैं संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, (चौथा संशोधन) विधेयक, 2022 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। काँस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट, 1950 क्लॉज-26 तथा आर्टिकल-366 व 342 में बदलाव लाकर कर्नाटक सरकार ने रिकमेंड किया तथा बेट्टा, कुरुबा ट्राइब्स के इनक्लूजन के लिए जो बिल माननीय मंत्री, श्री अर्जुन मुंडा जी इस सदन में लाए हैं, इसके लिए मैं उनकी तारीफ करता हूं। दानिश भाई ने अभी एक बात कही थी कि यह बिल एंटी ट्राइबल है।

चेयरमैन सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय राष्ट्रपति ट्राइबल हो सकती हैं और 'जनजातीय गौरव दिवस' देश भर में मोदी साहब और अर्जुन मुंडा साहब करवा सकते हैं, तो फिर यह बिल एंटी ट्राइबल कभी नहीं हो सकता। हमारी आजादी के 75 साल हो गए हैं। अतः आज इस बिल के माध्यम से मैं बेट्टा, कुरुबा ट्राइब्स को बधाई देना चाहूंगा कि 75 सालों बाद उन्हें एसटी स्टेट्स मिलेगा। इससे पता चल सकता है कि इनकी कहानी कितनी दुख भरी थी। आज देश भर में, हर प्रदेश में ऐसी-ऐसी ट्राइब्स हैं, जिनको संवैधानिक रूप से रिकग्नाइज नहीं किया गया था।

मोदी जी के नेतृत्व में, अर्जुन मुंडा साहब के नेतृत्व में आज देश भर में अरुणाचल प्रदेश से लेकर, उत्तर प्रदेश होते हुए, कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि सारे प्रदेशों में उन ट्राइबल लोगों को राइट मिलेगा, जिनको संवैधानिक रूप से मिलना चाहिए था, लेकिन it is not too late for a good beginning. मोदी सरकार और हमारे अर्जुन मुंडा साहब के द्वारा जिन जनजातियों को स्टेट्स दिया जा रहा है, इसके लिए मैं मंत्री जी को मुबारकबाद देना चाहूंगा। महोदय, केवल स्टेट्स देने से कुछ नहीं होता है। उनकी पहचान भी करनी पड़ेगी, उनकी देख-रेख भी करनी पड़ेगी, उनको सुविधाएं भी देनी पड़ेंगी। संविधान में हमें इसके लिए पूरा अधिकार दिया गया है। मैं मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूंगा। महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि वाजपेयी साहब की सरकार में मैं अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति कमीशन का मेंबर था और I am the first Vice-Chairman in the Tribal Commission in Government of India. मैंने पूरे देश में टूर

किया है। कहाँ-कहाँ कमी है, कहाँ-कहाँ हम सुधार कर सकते हैं, इसमें मैंने यह बिन्दु पकड़ा है कि हर राज्य में एससी और एसटी का एक ऑफिसर होता है। उसको ड्यूटी बाउन्ड करना पड़ेगा, हर जिला स्तर तक उसकी ड्यूटी यह हो कि उसकी एट्रोसिटी, बेनिफिशरी, उसकी सारी सुविधा देखने के लिए स्टेट लेवल से लेकर जिला स्तर तक हमें ट्राइबल ऑफिसर्स बनाने पड़ेंगे, *dedicated to the tribal communities*. ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री से बहुत सारी स्कीम्स हैं, ट्राइबल लोग यह नहीं जान पा रहे हैं कि कौन सी स्कीम ले लूँ। प्रधानमंत्री जी की पीएमएवाई योजना के माध्यम से हर ट्राइबल का घर बनाया जा रहा है, लेकिन समर्पित अधिकारी न होने के कारण बहुत सारी स्कीम्स के बारे में ट्राइबल लोगों को पता ही नहीं है। जो जंगल में रहता है, उसे गवर्नमेंट की सुविधा के बारे में पता नहीं है कि हमें सरकार की तरफ से क्या लाभ मिल रहा है।

आज मोदी जी के नेतृत्व में एजुकेशन, हेल्थ और ड्रिंकिंग वाटर सभी तक पहुँचाया जा रहा है। एजुकेशन के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल हर ट्राइबल बेल्ट, हर ट्राइबल जिले में खोला जा रहा है। इतनी सुविधा, इतनी बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ट्राइबल्स को एजुकेशन मिल रही है। 'आयुष्मान भारत योजना' के तहत मोदी जी का हेल्थ कार्ड हर ट्राइबल घर में पहुँच रहा है। हर घर में नल और हर नल में जल की सुविधा सभी को मिल रही है।... (व्यवधान)

महोदय, मैं यह कहना चाहूँगा कि इस चीज की मानीटरिंग करने के लिए, देख-रेख करने के लिए स्टेट लेवल में जो ट्राइबल ऑफिसर है, *it should be decentralised up to the district level and the block level dedicated to Scheduled Castes and Scheduled Tribes so that the implementation of Government's policies and programmes can be done accordingly*. महोदय, इसी सदन में आपके सामने ट्राइबल फॉरेस्ट राइट बिल वर्ष 2006-07 में पास हुआ था। बहुत से ऐसे प्रदेश हैं, जहाँ इस ट्राइबल फॉरेस्ट राइट बिल का पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। इस चीज को भी हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर और हमारी सरकार देखे कि इसमें ट्राइबल्स को कोई असुविधा न हो। इसे भी हम लोगों को देखना चाहिए। इसके साथ ही साथ मैं न्यूट्रिशंस से लेकर फेक एससी, एसटी सर्टिफिकेट के बारे में भी बोलना चाहूँगा। माल न्यूट्रिशन, जो

बच्चे जंगल में रहते हैं, उन्हें कहीं-कहीं न्यूट्रिशंस नहीं दे पा रहे हैं। फेक सर्टिफिकेट के बारे में कहना चाहूँगा कि मैं अभी पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमेटी ऑन एससी, एसटी और कंसल्टेटिव कमेटी में मेंबर हूँ। शेड्यूल ट्राइब का फेक सर्टिफिकेट, शेड्यूल कॉस्ट का फेक सर्टिफिकेट, लीगल इम्प्लीकेशंस, लीगल काम्प्लिकेशंस बहुत हैं। इस पर हम लोगों को ध्यान देना जरूरी है कि ब्लॉक लेवल, पंचायत लीडर को यह जानकारी देनी पड़ेगी कि किन-किन लोगों को एसटी, एससी सर्टिफिकेट देना चाहिए। यह तब होगा जब उस ब्लॉक लेवल तक वे एससी, एसटी के ऑफिसर बैठेंगे। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। महोदय, अभी असम और पूर्वोत्तर राज्यों में, आपको पूरी जानकारी है कि वह ट्राइबल बेल्ट है, असम में हमारे 6 ट्राइब्स हैं, जिन्हें शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा देना चाहिए। इसमें ताई अहोम, मोरन, मटोक, टी कम्युनिटी, कोच राजबोंशी और चुटिया हैं।

असम के बारे में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑनरेबल ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर की नॉलेज में है। मेरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टीट्यूएन्सी में योबिन कास्ट है। विजयनगर से म्यांमार तक 75 ईयर्स के बाद इस साल ही गाड़ी पहुंची है। विजयनगर एक ऐसी जगह है, जहां इस साल ही सड़क बनी है और वहां के निवासी योबिन अरुणाचल प्रदेश की ट्राइबल लिस्ट में हैं। लेकिन जब तक कॉन्स्टीट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं लायेंगे, तब तक वह सेंटर की ट्राइबल लिस्ट में नहीं आयेंगे। नागालैंड, मणिपुर में भी ऐसी बहुत सी ट्राइब्स हैं। मैं ऑनरेबल ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर से, इस बिल का समर्थन करते हुए, रिमाइंड कराना चाहूँगा कि अगर मोदी जी के नेतृत्व में और आपके नेतृत्व में ट्राइबल को जस्टिस देना है तो सारे देश भर में एक सेंसस हो। जहां ट्राइबल्स जंगलों में रह रहे हैं, उनको ट्राइबल स्टेटस दिए जाने की परमिशन दें। थैंक यू।

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Before entering into the discussion on the Bill, I wish to draw your attention that the wall clock is misleading all the Members and the august House. Please give directions to correct it. Sir, I support the proposed amendments to the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 to include more communities from the States of Karnataka. On behalf of CPI (M), I wish to raise some serious concerns about the plight of our sisters and brothers from Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities. What is the status of Schedules Castes and Scheduled Tribes in our country even after 75 years of our Independence? The Government would boast of our country having two Presidents from Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities consecutively. Does it reflect on the life and livelihood of people belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities? I am going to elaborate upon each and every issue. Firstly, I will talk about discrimination. Every day, we happen to read from the newspapers that in one part or the other part of the country, people from Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities are facing discrimination in sharing community resources or excluded only because of their Scheduled Caste and Scheduled Tribe status. I got two replies from this Government in this Session revealing their true status. The atrocities against Scheduled Castes and Scheduled Tribes are increasing across the country and the most number of cases were registered last year in the BJP ruled States of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. Secondly, even in public institutions where reservation for Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities is mandated by the Constitution, they are not getting their due shares. Sir, I got the reply from the hon. Education Minister that in 45 Central

universities of the country, only 21 per cent posts reserved for general category remain vacant. But in the case of posts reserved for Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities, it is 42 per cent. If the status of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in public institutions is this, can we imagine about their representation in private sector? Day-by-day, this Government is writing off every institution in the public sector to the private corporates and curtailing employment opportunities for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Hence, I request that this House should seriously think of extending reservation to the private sector, especially those PSUs which were earlier in the public sector to safeguard their interests. ... (*Interruptions*). One minute please.

HON. CHAIRPERSON: We have large number of speakers.

ADV. A.M. ARIFF: Sir, this Government has assured on various occasions that it would seriously look into the allegations of under-representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Central universities and other higher educational institutions. Sir, not only has this Government not taken any concrete steps for this, but on the other hand, it has hidden the data on representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in IITs even in the replies given in Parliament to me. So, I request the Government to take urgent steps to appoint a Commission to look into allegations and ensure justice in a time-bound manner.

Sir, this is my last point. A lot of State Governments and various NGOs are doing very comprehensive projects for the upliftment of SCs and STs. I can proudly mention the project of the National Service Scheme of SD College, Allapuzha in my Constituency, which is going to implement a comprehensive project including

education, career guidance courses, placement, and all the infrastructure support for the students belonging to SC and ST. This can be appreciated.

But the Government can do anything. Hence, I again want to urge upon the Government to appoint a Commission to look into these allegations and ensure justice. Thank you.

SHRI HASNAIN MASOODI (ANANTNAG): Hon. Chairman, thank you for giving me an opportunity to participate in the debate on the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Fourth Amendment) Bill, 2022.

There can be no disagreement with the proposition that wherever Government finds a community to be in similar circumstances as the Scheduled Tribes community to enlist that community in the category of Scheduled Tribes, but that would remain an ideal formality unless there is an attitudinal shift in the approach and that shift in the approach is not visible. All these exercises are reduced to a cosmetic exercise as these additions are made for political reasons without intending any benefit for the communities that are proposed to be added to the list of Scheduled Tribes.

The shift in the approach is not visible. What has been done recently is that the allocations for Pre-Matric Scholarship – the scholarships that were meant for the weaker sections and unaided sections – have been slashed. What about the Maulana Azad National Scholarship, which enabled a large number of students to have access to higher education? Had the Government been honest about the approach to come to the rescue of these unaided segments of society, then it would not have embarked on such an exercise where we reduced the number of scholarships and slashed the amount for it.

The fact remains that the Scheduled Tribes continue to have no access to healthcare, education, and means of employment. In the case of Jammu and Kashmir, we have a good population of ST community and what we see is that only an addition has been made for namesake. This population continues to have

no access to education. Most of the school dropouts are from that community, and surprisingly in most of these shadow areas where we do not even have telephone connectivity or net connectivity are the areas which are inhabited by the Scheduled Tribes. Resultantly, the ST community children do not have access to digital education or online education, and a large number of students are deprived of the concession that is availed in urban areas and by other segments of the population. As a result of this, most of the school dropouts are from this community.

As regards healthcare, we have the least healthcare facilities available for this community. There is no access to healthcare. What is the point in making additions when you do not intend to make any significant changes in their life style. ... (*Interruptions*) These communities continue to be at the bottom of the barrel, and the experience tells us that these remain only cosmetic.

I would request the hon. Minister to do something in real terms for this community, and make the additions. We do not oppose it. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now. We have a large number of Members to speak.

... (*Interruptions*)

SHRI HASNAIN MASOODI: Sir, kindly give me half-a-minute.

We do not oppose the additions. Let the communities be enlisted if you have an objective ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You have raised a very valid point.

SHRI HASNAIN MASOODI: But make the exercise meaningful.

HON. CHAIRPERSON: You have raised a very valid point.

... (*Interruptions*)

SHRI HASNAIN MASOODI: When you undertake an exercise, you do it with good intent. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: My only request to all the Hon. Members who are going to speak is, confine your speech to three to four minutes because we have to ultimately take the decision of the House relating to the future of this Bill.

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Sir, this is in accordance with Article 342 of the Constitution. In Karnataka, hardly 50 sets of Tribes are there. In addition to that, this is being added. It is okay. It is inevitable. For exclusion and inclusion from the List, it is a cumbersome process. Most of the hon. Members are talking about the necessity of bringing a comprehensive legislation. This process is also delay-bound. So, what I am suggesting is a comprehensive legislation will have to be enacted. Secondly, as we all know, the Scheduled Tribes account for 8.2 percent of our total population. We were debating what exactly was the source of their problem. Would simply adding an entry to the List solve their problems? Their problems are backwardness, geographical isolation, literacy, and health-related activities. If you take all these yardsticks together, they are in very poor condition. The Government has come forward with some welfare measures for them. To an extent, it is very good. They have formulated various welfare schemes for the upliftment of the STs. Post-matric scholarships, scholarships at the national level, fellowships, and concessions for students to avail themselves of loans are available to them. But we have to see whether all these schemes are effective or not. For the record, it may be okay. Are they enjoying them? Are there any middlemen between them? All these have to be discussed in detail. So, we have to ensure that all these welfare schemes are properly implemented. With regard to the pre-metric scholarship, which is given by the Ministry of Social Justice and Empowerment and the Ministry of Tribal Affairs. Why have you stopped it? What benefit would you get by doing that? I would request the Government to have a rethink on this. I would like to request that the government not to disturb the

underprivileged members of society. That is my humble submission. The other thing is that they are exploited in many ways because they have no education. The important thing is to preserve their culture and identity, which is not their own; that is the asset of the nation. What I am strongly appealing for is to preserve their culture and identity. Some adulteration is going on. The Government should be very clear. The Government must have a vision for that. That is my humble submission. In conclusion, I would like to humbly state that they are poor people; they are backward like anything; their voices have to be guarded.

SHRI S.C. UDASI (HAVERI): Sir, the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Fourth Amendment) Bill, 2022, to further amend the Constitution (Scheduled Tribe) Order, 1950, in relation to the State of Karnataka to include Betta-Kuruba as a synonym for the Kadu Kuruba at serial No.16 in the list of Scheduled Tribes of Karnataka was introduced in Lok Sabha on December 9, 2022.

Today, it has come up for consideration in Lok Sabha. On behalf of the people of Karnataka, I thank the hon. Prime Minister, Narendra Modi *ji*, Munda *ji*, and also the Chief Minister, Basavaraj Bommai *ji* for having brought this Bill for passage in Parliament today.

Sir, I will be brief because of time constraint. The first list of STs in respect of Karnataka was notified on 06.09.1950 and was further notified with amendments on 19.03.2020. The list of ST communities in the State of Karnataka is in Annexure P-10 of the Cabinet Note. A brief history is as follows. A proposal was sent by the Government of Karnataka on 30th January, 2019, which was supported by ORGI on 23.07.2019. An advance copy was sent to PMO and Cabinet Secretary on 09.09.2022. The final copies were sent to the Cabinet Secretary on 12.09.2022. The Cabinet approved this on 14.09.2022 and then it was introduced on 9th December, 2022.

Sir, Betta-Kuruba in the State of Karnataka is a small community. They are about 5000 people found in the districts of Mysuru, Chamarajanagar, and Kodagu districts. They are economically backward. They suffer from lack of education. Their occupation involves collection of forest produce and bamboo. They have their own dialect with no script. They use primitive hunting tools. They have a

distinct culture. They follow animism. They go to forests to collect bamboo, forest produce, firewood etc. and before going to forests, they seek permission from Betta Devuru to protect them from the attack of wild animals. They are all non-vegetarians and eat all that is available. They catch small animals like monitor lizard, mongoose, and ant-eaters from their holes and burrows by wrapping a cloth around their hands.

As I said earlier, they follow animism and are the worshippers of the sun, moon, air, water, plant, trees, animals, and earth. They also celebrate festivals like Suggi Habba and Ugadi. They have their own ethnomedical practices.

Their census in India states that the Kadu Kuruba community of Mysore is divided into Betta, Hilla Kuruba or Jenu Kuruba. In this regard, the hon. Prime Minister and the Chief Minister of Karnataka have given this opportunity for them to be included in the list. As Mr. Basheer was speaking about the inclusion of this tribe, this is the Bill for the inclusion of the Kadu Kuruba community. Through this Bill, their living standard will improve, they will get education and their social structure in the hierarchy will improve. A last mile justice will be done. Their inclusion is paramount to this country and the hon. Prime Minister is also doing the same for the country.

I use this opportunity to appreciate the support given by the hon. Chief Minister of Karnataka, Shri Basavaraj Bommai, to increase reservation for Scheduled Tribes from 3 per cent to 7 per cent and for Scheduled Castes from 15 per cent to 17 per cent. This move was welcomed by the entire State of Karnataka. Regarding reservation which is having a lot of discussion nowadays in the entire

country, a holistic approach should be taken so that the communities which are asking for reservation should be considered.

One issue was raised by the hon. Member as to what happened to Gonda Kuruba. The Government of Karnataka has also sent a proposal for that to the Government of India which is under consideration.

I thank once again the hon. Prime Minister for having this amendment Bill amended today.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I fully support this Bill. But I would like to mention certain very important aspects regarding the legislative practice. Regarding this Constitution (Scheduled Tribes) Order (Fourth Amendment) Bill, 2022, yesterday, two Bills of the same character were passed. We are coming for another Bill now. This Government is always a government of contradictions. This Government is giving least priority to the seriousness of the legislative practice.

The callous way in which the Bills are being pushed in this House is quite unfortunate. It is never heard in the legislative history of Indian Parliament. Why am I saying this? Today morning, the hon. Law Minister has introduced a Bill – the Repealing and Amending Bill, 2022 – in which more than 100 Acts including Appropriation Acts are sought to be abolished. They want to minimise the number of Acts in the Register of Legislations. However, on the same day, the Government is pushing in the House four Bills of the same character, more or less with the same nomenclature and content, and each Bill is being allotted separate time slots and the time of the legislature is being spent discussing all of them individually. This is a very bad and unhealthy legislative practice. That is why I say that the Government has no business, the Government has nothing to do. Several Bills are pending. However, we are discussing four separate Bills of the same character one after the other every day. That means the Government is not giving any serious attention to the legislative practice. That is my first objection.

HON. CHAIRPERSON: But you have to give credit to the Tribal Affairs Minister.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Definitely, Sir. The Tribal Affairs Minister is sitting here and he is patiently hearing all of us and responding to all the Members. We are thankful to the Minister.

I have a request to the hon. Minister. In every State – in Karnataka, Himachal Pradesh, Chhattisgarh, Rajasthan, and even in my State – such issues are there. I, therefore, request the Minister to bring a comprehensive legislation in this regard. Let the hon. Minister take the initiative. There is the National Commission for Scheduled Tribes.

Entrust the Commission with the responsibility to find out all these issues in consultation with the States and bring a comprehensive legislation so as to avoid all these difficulties. That is the first suggestion which I would like to make.

Sir, if we come to the contents of the Bill, what is the impact of inclusion of certain communities in the list of Scheduled Tribes by virtue of Articles 342 and 346 of the Constitution? Articles 342 and 346 deal with the Scheduled Tribes. What is the impact of a particular community being included in the list of Scheduled Tribes? It means that their culture, traditions, employment, education have to be protected for the welfare of these deprived sections of the society.

Mr. Chairman, I would like to say that the Scheduled Tribes and the Scheduled Castes are the most deprived sections of the society compared to Other Backward Communities or other communities. But it is quite unfortunate to say that even after 75 years of Independence, this discrimination is still there. If you examine, after 1991, the facility of reservation which is available to Scheduled Castes and Scheduled Tribes has indirectly been taken away because of the neo-

liberal economic policies. What is the policy? The globalisation has its direct impact on the poor Scheduled Caste and Scheduled Tribe people because of rampant and indiscriminate privatisation of public sector undertakings. Unaided educational institutions are blooming like anything. Education and employment are the two aspects through which social and financial empowerment of a particular community can be ensured. But you are having rampant privatisation, you are downsizing the government. BSNL has been downsized. About 75,000 people have been removed. Who is affected? It is the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe people who are affected badly.

There is no positive impact now of including a particular community in the list of Scheduled Tribes or Scheduled Castes because there are no jobs, there are no education facilities. Everything is being rampantly privatised. In such a situation, mere inclusion of a community in this list will not serve the purpose of social justice. You have to change the policies accordingly. My last point relates to what E.T. Mohammad Basheer sahab has said. Maulana Abul Kalam Fellowship for research students is being scrapped. Pre-matric scholarship for the Scheduled Tribes is taken away.

I urge upon the Government to kindly reintroduce it. It is the necessity and need of the students who are marginalised because of social and historical reasons. If social justice has to be achieved, definitely, these things should be continued. With these words, I support the Bill. Thank you very much, Sir.

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Thank you, Chairman, Sir. I rise to speak on the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Fourth Amendment) Bill, 2022. This Bill seeks to include “Betta-Kuruba” community in the list of Scheduled Tribes. We welcome the Bill. हम इस बिल का स्वागत करते हैं। हम लोग बहुत दिनों से इसके लिए ट्राई कर रहे थे। सिद्धारमैया जी जब मुख्यमंत्री थे, हम लोगों ने बार-बार लिखा था। हम लोग इसका सपोर्ट करते हैं। At the outset, I had raised many concerns in my last speech. पिछली बिल पर चर्चा हो रही थी, तब मैंने कई सारी बातें उठाई थीं। मैं इस पर्टिकुलर चीज को I want to read a few lines from the speeches of one of my heroes who, I think, represented the tribals in the Constituent Assembly. जयपाल सिंह मुंडा जी, जो झारखंड से आते थे, हम सबके प्यारे थे। I read his speeches in the Constituent Assembly. I was always inspired by him. He said, “As an *Adivasi*, I am not expected to understand the legal intricacies of the Resolution. जो कन्सटीट्यूट रिजर्वेशन असेम्बली में लेकर आए थे, But my common sense tells me that every one of us should march on that road of freedom and fight together. Sir, if there is any group of Indian people that has been shabbily treated, it is my people, the tribals. They have been disgracefully treated, neglected for the last 6,000 years. The history of the Indus Valley civilization, a child of which I am, shows quite clearly that it is the new comers – most of you here are intruders as far as I am concerned –who have driven away my people from the Indus Valley to the jungle fastnesses. The whole history of my people is one of continuous exploitation and dispossession by the non-aboriginals of India punctuated by rebellions and disorder, and yet I take Pandit Jawaharlal Nehru at his word. I take you all at your word that now we are going to start a new chapter, a new chapter of Independent India where there is equality of opportunity,

where no one would be neglected.” यह जयपाल मुंडा जी ने कन्सटीट्यूट असेम्बली के डिक्लेरेशन में बोला था । मैं बार-बार उठाने की कोशिश कर रहा हूं । हम लोग आजादी के अमृत महोत्सव का 75 साल मना रहे हैं । केवल रिजर्वेशन देकर, केवल इस सरकार ने नहीं, कई सरकारों ने किया है, यह काफी नहीं है । जल, जंगल, जमीन, पानी और पर्वत सब हमारा है । धीरे-धीरे करके ये सब हमारे हाथ से जा रहा है, एक आदिवासी को जब तक उसकी जमीन नहीं है, तब तक उसका कोई वजूद नहीं है, कोई औकात नहीं है । Different Governments tried multiple things. I seek your protection in giving me some time. Different Governments did multiple things. Pandit Nehru *ji* brought reservation under Constitution. अम्बेडकर जी लेकर आये थे । Indira Gandhi *ji* was considered as the biggest tribal leader in India. पता है, क्यों?

She gave land to the tribals; she gave houses to the tribals; she gave loans to the tribals. मैं कार्तिक उरावं जी की भी बात कर रहा हूं । कार्तिक उरावं जी वर्ष 1966 में लोका कमेटी के बारे में जो बोले थे, अभी दो दिन पहले एक बिल लेकर आये, उसमें आप बोले कि एससी/एसटी एक है । नहीं, एससी/एसटी अलग है, एससी प्रिमिटिव ट्राइब है, आदिवासी है, कल्चर है? नहीं है । आप हिमाचल प्रदेश के लिए क्या बिल लेकर आए हैं? जो एसटी है, नहीं है तो एससी को दे दो । उरावं जी का यही लोग खंडन कर रहे हैं ।

दूसरी बात, आदिवासियों को जमीन देने के लिए राजीव गांधी जी इंदिरा आवास योजना लेकर आए, आपने इसे प्रधान मंत्री आवास योजना में चेंज कर दिया, ठीक है । कांग्रेस पार्टी हमेशा यही चाहती है कि कैसे आदिवासियों को अधिकार दिए जाएं, पैसा, जंगल, कानून के अधिकार आदि । ... (व्यवधान) मुझे आरक्षण चाहिए ।

अभी प्रेमचन्द्रन जी बोले कि क्यों दो-दो घंटे डिसकशन कर रहे हैं? मैं उनसे सहमत नहीं हूं, यह इतना बड़ा मुद्दा है । आप खुद जातियों को आदिवासी बनाकर ला रहे हैं, लेकिन बजट में इम्प्रूवमेंट नहीं है । छत्तीसगढ़ की सरकार ने 32 परसेंट आरक्षण दिया । आपके गवर्नर साइन करने के लिए तैयार नहीं

हैं। ... (व्यवधान) नौवीं सूची में लेकर आओ। ... (व्यवधान) Sir, please give me two minutes more to wrap up.

माननीय सभापति: हमने तीन से चार मिनट बोलने के लिए कहा था। आप ऑलरेडी पांच मिनट बोल चुके हैं।

... (व्यवधान)

श्री सप्तगिरी शंकर उलाका: महोदय, जब भी मैं बोलता हूँ, मंत्री जी मुझे दिखते नहीं हैं। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है।

कांग्रेस पार्टी हमेशा यह विश्वास करती है कि आदिवासियों को अधिकार दे, लेकिन जो इंटरवेंशन हो रहा है, एक-एक करके सारे अधिकार जा रहे हैं। आप बिल लेकर आए हैं, मुझे पांच साल हो रहे हैं, आप एक बिल लेकर आएँ जिसमें आदिवासियों की तरफ से हम बात कर सकें, चर्चा कर सकें। 47 एम्पीज़ हैं, आदिवासी हैं, हम चर्चा कर सकें कि कैसे आगे बढ़ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने अधिकार देने स्टार्ट किए, पैसा, फोरेस्ट राइट, उसे खत्म मत करो, आगे लेकर आओ। मैं आदिवासी हूँ, मैं बैंक में मॉर्टगेज के लिए अपनी जगह और जमीन के लिए तैयार नहीं हूँ, इसके लिए आप कुछ लेकर आओ।

मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। हम पूर्व मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया जी का बहुत समर्थन करते हैं। हम राहुल जी, सोनिया गांधी जी को इस ट्राइब को आदिवासी की मान्यता देने के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON: You have raised a point that you wish to discuss issues related to tribal affairs. I think, your Leader is very much present here. During the Budget Session, when discussion on the Demands for Grants will be taken up, it will be a good subject that can be deliberated upon.

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): माननीय सभापति जी, आपने आज संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (चौथा संशोधन) विधेयक, 2022 पर चर्चा हो रही है, इसमें मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

कर्नाटक में बेड़ा कुर्बा अनुसूचित जनजाति की सूची में जोड़ने का बिल है। यह खुशी की बात है कि लगातार तीसरा ट्राइबल बिल है, जिसमें अलग-अलग राज्य के बिल आए हैं। मुझ से पूर्व कई विद्वानों ने अपनी बात रखी है, निश्चित रूप से आज देश में ट्राइबल्स, एससी, एसटी, ओबीसी को अधिकार दिए गए हैं। जिन परिस्थितियों में ट्राइबल्स, आदिवासियों की बात दोनों तरफ से उठी है और अधिकारों की बात भी उठी, आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आज भी केंद्र सेवाओं में ट्राइबल्स की नौकरियां खाली हैं।

मैं राजस्थान से आता हूं, यहां आदिवासियों की बड़ी संख्या है, बड़े इलाके हैं लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है उनको हक और अधिकार नहीं मिले हैं। देश में कई जगह ऐसी स्थिति है कि कोई एक जाति तो ट्राइबल में आ गई, लेकिन दूसरी जातियों का आरक्षण खा गई, उनको आगे ही नहीं आने दिया। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देश में कई जगह ऐसा देखने को मिला है।

मेरा कहना है कि जो अत्यंत पिछड़ी आदिवासी जातियां हैं, जैसे पोर्टब्लेयर में झाड़वा, बिहार और झारखंड में पाड़िया, विलुप्त हो रही हैं। इनको कैसे मुख्यधारा में लाया जाए? इन जातियों के लोगों को 100 परसेंट आरक्षण मिलना चाहिए। इनको वर्ल्ड भर से लोग देखने आते हैं। इनका प्रकृति के प्रति प्रेम है। लोग एक तरह से उनका रहन-सहन और संस्कृति देखने जाते हैं। जहां तक झाड़वा की बात है, हर व्यक्ति चाहता है कि पोर्टब्लेयर जाए और इन जातियों को देखे। दुर्भाग्य की बात है कि ये जातियां धीरे-धीरे विलुप्त हो रही हैं, इनको कैसे बचाया जाए? एजुकेशन के लिए सभी सरकारें प्रयोग कर रही हैं, लेकिन इनकी ओर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि 100 परसेंट इन जातियों को आरक्षण मिले। डिलिमिटेशन झारखंड में नहीं हुआ, इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि आदिवासियों की संख्या कम होती जा रही थी।

सभापति महोदय, वर्ष 2013 में राजस्थान में मानगढ़, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया है कि मानगढ़ में 1700 से ज्यादा आदिवासी भाइयों को, वहां कई क्रांतिकारी हुए, वे अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के लिए एक सभा कर रहे थे, वह जलियांवाला बाग से भी बड़ी घटना थी, अंग्रेजों ने उन्हें घेरकर उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं और मानगढ़ के अंदर 1700 से ज्यादा आदिवासी भाई वर्ष 1913 में शहीद हो गए। प्रधान मंत्री जी वहां गए थे। वह गुजरात का बॉर्डर है और मध्य प्रदेश का भी बॉर्डर है। मैं मांग करूंगा कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। यह पूरे देश के आदिवासियों और तमाम लोगों की आस्था का मामला है। यह मेरी मांग रहेगी।

सभापति महोदय, एसटी को साढ़े सात परसेंट का आरक्षण दिया गया है। मैं मांग करूंगा कि एसटी के आरक्षण को बढ़ाकर दस परसेंट किया जाना चाहिए।

कुछ और भी इश्यूज हैं। समाज के प्रत्येक नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों के साथ-साथ मूल कर्तव्यों का भी बोध होना आवश्यक है। एक जनजागरण अभियान चलाकर लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाए। महोदय, हमारे राजस्थान के अंदर शेड्यूल्ड कास्ट है। जिस इलाके से हम लोग आते हैं वहां मेघवाल समाज की बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन, वहां पढ़ाई का माहौल नहीं था और शिक्षा भी नहीं थी, इसलिए वे लोग आरक्षण में नहीं आ सके। पूर्वी राजस्थान का एक हिस्सा था। एक जनजागरण अभियान चलाकर एससी/एसटी को अपने मौलिक अधिकारों की जानकारी के लिए कैसे उनको लाभान्वित करें, इसके लिए सरकार को समय-समय पर योजना चलानी चाहिए। जब तक दलित समुदाय और ट्राइबल में शिक्षा की लौ नहीं जलेगी, तब तक उनका सामाजिक, आर्थिक और मानसिक रूप से विकास असंभव है। समुदाय की काया पलट करने के लिए उसमें व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वास, पिछड़ेपन और गरीबी को दूर करने की जरूरत है। इसके लिए समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ-साथ स्थानीय बुद्धिजीवियों, शिक्षकों और समाज कर्मियों के अलावा जनप्रतिनिधियों एवं प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों को भी मजबूत पहल करने की जरूरत है। तब जाकर एक स्वस्थ समाज और देश की कल्पना की जा सकती है। सभापति महोदय, मैं आपको राजस्थान का किस्सा बताता हूं।

माननीय सभापति: बेनीवाल जी धन्यवाद। आपका पांच मिनट हो गया।

श्री हनुमान बेनीवाल: सभापति महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूँ। आप मुझे एक मिनट का समय दे दी दीजिए।

माननीय सभापति: आपका टाइम हो गया।

श्री हनुमान बेनीवाल: सभापति महोदय, मैं आधा मिनट लूंगा। आपने सभी को टाइम दिया है। आपको राजस्थान का एक किस्सा सुनाता हूँ। कार्तिक भील जो ट्राइबल से आता है, उसकी हत्या की गई।... (व्यवधान) एक मिनट आप मेरी बात सुन लीजिए। वहां अधीर रंजन जी के नेता की पूरे राजस्थान में 'भारत जोड़ो यात्रा' चल रही थी। कार्तिक भील का परिवार डेड बॉडी लेकर 15 दिन तक बैठा रहा। उसने कहा कि मुझे सिर्फ राहुल गांधी जी से या मुख्य मंत्री जी से मिलवा दो। लेकिन, उसको नहीं मिलने दिया। कांग्रेस के नेताओं के इशारे पर सारे मुल्जिमों को निकाल दिया गया। आजादी के 75 साल बाद आदिवासियों की यह स्थिति है। आप आदिवासियों के हितों की बात कर रहे हैं।

माननीय सभापति: अब हो गया आपका।

श्री हनुमान बेनीवाल: सभापति महोदय, कार्तिक भील के परिवार को न्याय मिले, यह मैं मांग करता हूँ। मैं बिल का समर्थन करता हूँ। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आपने समर्थन दे दिया। आपका हो गया।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, that should be deleted please. ... (*Interruptions*)

माननीय सभापति: स्टेट सब्जेक्ट रिकॉर्ड में नहीं रहेगा।

श्री जुएल ओराम (सुंदरगढ़): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं भारत सरकार का पहला जनजातीय मंत्री रहा हूँ और मैंने दो बार इस मिनिस्ट्री को हँडल किया है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। उस समय कुछ सजेशन को करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह मूव नहीं हो पाया। इसलिए, मैं कुछ सजेशन देना चाहता हूँ। एक तो अभी की व्यवस्था के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट के रेकमेंड करने बाद हम लोग रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का ओपिनियम और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब का ओपिनियम लेते हैं। लेकिन, कभी-कभी स्टेट गवर्नमेंट बीच-बीच में एक और रेकमेंडेशन कर देता है, ऐसा देखने में आया है। महाराष्ट्र में तो एक स्टेट गवर्नमेंट ने एक कम्युनिटी को रेकमेंड कर दिया था, लेकिन बीच में उसको विड्रा भी कर दिया। इसलिए, वह आगे नहीं बढ़ पाया।

मेरा माननीय मंत्री जी को यह सजेशन रहेगा कि यदि एक बार स्टेट गवर्नमेंट ने रेकमेंड कर दिया है तो स्टेट गवर्नमेंट के रेकमेंडेशन को फाइनल माना जाए। केवल दो ऑर्गेनाइजेशन, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम सेंसस कमीशन भी कहते हैं और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, इन दोनों का ओपिनियम लेने के बाद स्टेट गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ओपिनियम दे या फाइनल डिसेशन ले, वह पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव हो सकता है। अगर पॉजिटिव होता है तो वह कैबिनेट में जाता है। कैबिनेट से पास होने के बाद बिल ड्राफ्ट होकर आपके यहां आता है। बिल पास होने के बाद उस पर राष्ट्रपति जी का दस्तखत होता है।

जो-जो राज्य सरकारें रेकमेंड कर चुकी हैं, मैं पर्टिकुलरी ओडिशा के बारे में बोलना चाहता हूँ। ये जो रेकमेंडेशन आया है, इसके बारे में ओडिशा से एक बार फिर कोई ओपेनियन मांगा जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे कोई भी राज्य हो, मैं आपके सामने ओडिशा का उदाहरण देता हूँ। मैं महाराष्ट्र के लिए भी कहता हूँ, बाकी राज्यों के बारे में भी है। जैसा कि मैंने बताया है, जब मैं मंत्री था, उस समय सन् 1950 का शेड्यूल बना था। उसके बाद बीच-बीच में थोड़ा-सा छोटा-छोटा अमेंडमेंट इन्क्लूजन और एक्सक्लूजन हुआ था। जो रिविजन हुआ, जब मैं मंत्री थी, मैंने उस समय 270 कम्युनिटीज़ का

एक्सक्लूजन और इन्क्लूजन किया था। एक्सक्लूजन तो 10 कम्युनिटीज़ का था, बाकी में कुछ माइनर मॉडिफिकेशन और न्यू इन्क्लूजन भी था।

अभी मंत्री जी जो बिल लेकर आए हैं, मैं इसका स्वागत करता हूँ। इसमें तो इन्क्लूजन का नहीं है। ये केवल एक माइनर करेक्शन है। मैं इसमें माननीय मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूँ। जब मैं मंत्री था, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में कंवर लिखते हैं, तो Kwnwar भी लिखा गया और Kwar भी लिखा गया। वहां के जो अधिकारीगण थे, उन्होंने कहा कि ये तो कंवर नहीं है। इसलिए इसको ट्रॉइलिंग्वल किया जाए। हम लोग मूलतः अंग्रेजी में इस लिस्ट को इन्क्लूड कर रहे हैं। इसको अंग्रेजी में न किया जाए, बल्कि इसको हिन्दी में इन्क्लूड किया जाए। आप ब्रैकेट में इंग्लिश को रख सकते हैं। फाइनली ब्रैकेट में वहां की रीजनल भाषा में लिखा जाए।

जैसे मैं अपनी कम्युनिटी के बारे में बताना चाहता हूँ। शेड्यूल में Oraon है। हम लोग Oraon कम्युनिटी ओड़िया भाषा में नहीं लिख सकते हैं। हम लोग ओराम लिखते हैं, तो वह Oram होता है। शास्त्रों में लिखा है कि - चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः। हम जिस तरह का काम करते थे, उस तरह से होता था। आप जानते हैं कि ओराम लोग कभी-कभी लोहरा का काम भी करते थे। दूसरे के घरों में जो काम करता है, उसको धनगर बोलते हैं। महाराष्ट्र में धनगढ़ और धनगर के बीच में लड़ाई चल रही है। इसी तरह का है।

अभी उलाका जी ने उसके बारे में बताया है। सावर, लांजिया साओरा भी है, सौरा भी है। मैंने उस समय बहुत से करेक्शन्स किए थे। ये जो फोनेटिक वैरिएशन है या उस समय वे लोग समझ नहीं पाए। पटवारी नोट करता गया कि आपकी जाति क्या है, तब किसी ने ओराम बताया, किसी ने धनगर बता दिया, किसी ने अपने प्रोफेशन के हिसाब कुछ और बता दिया। जैसे किसान और कोड़ा किसान है। मैंने कोड़ा में करेक्शन किया था। जो किसान हैं, वहां जो मिट्टी खोदने के लिए जाते हैं, तो उनको कोड़ा बोलते हैं। वह कोड़ा किसान है, सिर्फ कोड़ा लिखा है। इस तरह के जो फोनेटिक वैरिएशन्स हैं, उससे निजात पाने के लिए ट्रॉइलिंग्वल होना चाहिए। ऐसा मेरा सुझाव है।

जब मैं मंत्री थी, तब मैंने शायद एक बार इसका ऑर्डर भी किया था। मंत्री जी उसको देख सकते हैं। ये फोनेटिक वैरिएशन या स्पेलिंग का वैरिएशन है। आप हिन्दी में जो लिखेंगे और जो अंग्रेजी में लिखेंगे, तो उसमें वैरिएशन होगा ही होगा। उसको सही करने के लिए एक बार सोचा जाए। अगर जरूरत पड़े, तो एक एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई जाए और इसको ट्रॉइलिंग्वल किया जाए, तो ठीक होगा। ये मेरे तीन सुझाव हैं।

अगर राज्य सरकार एक बार रेकमेंड कर दे, तो दोबारा राज्य सरकार को नहीं कहना चाहिए। आरजेई और कमीशन के रेकमेंड के आधार पर ही मंत्रालय का ओपेनियन देकर इसको करना चाहिए। अगर एक बार स्टेट गवर्नमेंट रेकमेंड कर दे, तो उसको विद्‌ड्रॉ करने या रिकॉल या रिपील करने का अधिकार नहीं देना चाहिए। जब कोई सरकार आती है, तो वह एक कम्युनिटी को रेकमेंड कर देती है। जब वही सरकार दोबारा नहीं आ पाती है, चुनाव में कुछ और रिजल्ट आता है, तो दूसरी सरकार उसको विद्‌ड्रॉ भी कर देती है। Government is a continuous process. अगर एक बार सरकार कोई रेकमेंडेशन दे देती है, तो उसके बाद उसको रिपील या विद्‌ड्रॉ करने का अधिकार नहीं देना चाहिए। ये मेरे सुझाव हैं। मान्यवर मंत्री जी इसको देखेंगे।

सर, अभी हमारे सांसद साथी उलाका जी बोल रहे थे। मैं एक मिनट में कुछ बताना चाहता हूँ। एक समय था, जब कांग्रेस पार्टी में सबसे टॉलेस्ट लीडर्स थे। मैं जानकारी के लिए कुछेक लीडर्स का नाम बता देता हूँ। उनमें पी.ए.संगमा थे, अरविंद नेताम, कार्तिक उरांव तथा दिलीप सिंह भुरिया जैसे बहुत सारे लीडर्स थे। लेकिन वे हम गरीब लोगों को खाने के लिए बकरा, मुर्गा देते थे और फिर लोग समझ गए कि कांग्रेस पार्टी हमारे लिए क्या चाहती है। इसलिए हमने उस पार्टी को छोड़ दिया। आज सबसे ज्यादा एमपी हमारे हैं। आज भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मू हैं।

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): माननीय चेयरमैन सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Fourth Amendment) Bill, 2022 का स्वागत करता हूँ। मैं बस एक ही बात कहूंगा कि सरकार जो नीति अपना रही है, वह स्वागत योग्य है, लेकिन इस आरक्षण को देने के बाद उसका जो इम्पैक्ट होगा, वह हमें महसूस होना चाहिए तो क्या वह होगा? सर, आप जानते हैं कि आरक्षण में 50 प्रतिशत की मर्यादा रखी गई है। महाराष्ट्र ने उस 50 प्रतिशत का उल्लंघन कर दिया है। तमिलनाडु ने 60 परसेंट तक मर्यादा रखी है। यह जो कंफ्रंटेशन है, इसे भी खत्म करने की आवश्यकता है। आज आप देखिए कि कर्नाटक के लिए जिस ढंग से देश के संविधान में हम इसे अंतर्भूत कर रहे हैं तो हम अपेक्षा करते हैं कि संविधान की रक्षा हो। आज कर्नाटक में क्या हो रहा है? वहां माइनोरिटी कमीशन है तथा वहां के जो मराठी लोग मरे हैं, उनके संबंध में उसकी रिपोर्ट आती रहती है कि वहां पर कैसे अन्याय हो रहा है? इस बारे में कल बात हुई थी। माननीय गृह मंत्री जी दोनों को साथ में लाए, उनसे चर्चा की तथा उनको शांति बरतने के लिए कहा। उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट में जो यह मसला चल रहा है, वह चलने दो। उन्होंने ऐसा बोला है। जैसे यहां जंतर-मंतर पर लोग बैठते हैं, वैसे ही लोग वहां भी बैठे थे। उनका पंडाल भी तोड़ दिया तथा उनको अरेस्ट भी कर लिया।... (व्यवधान) यहां हम संविधान का सम्मान रख रहे हैं, लोगों को इनक्लूड कर रहे हैं, लेकिन वे उधर मार रहे हैं।... (व्यवधान) यह तरीका जो अपनाया जा रहा है, वह बहुत गलत है।... (व्यवधान)

सर, मेरी अपेक्षा यही है कि अन्न, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों की ये पांच मूलभूत जरूरतें होती हैं। क्या इनको अनाज मिलता है, इन्हें वस्त्र मिलता है, इनको आवास मिलता है? प्रधान मंत्री आवास योजना में इनके लिए क्या है? हम उनको शिक्षा में क्या देने वाले हैं? अगर उनको शिक्षा नहीं मिली तो क्या होगा? वे लोग बहुत रिमोट प्लेस पर रहते हैं। जैसा कि डिजिटलाइजेशन की बात की गई है तो उनके पास नेट ही नहीं पहुंचता है। हमारे आदिवासी लोग कैसे पढ़ेंगे? उनको पढ़ने की आवश्यकता है। उसके लिए कॉर्पोरेट कल्चर को निकालना होगा। इस आरक्षण से क्या होगा? आपको चुनाव में फायदा मिलेगा। इससे नौकरी में फायदा कहां है? आप तो सारी कंपनियां बेच रहे हैं तो नौकरी कहां मिलने वाली है? आज पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन आ रहा है। इसलिए यह मेरा दर्द है। यह मेरी

व्यथा है। मैं इस बिल का स्वागत तो करता हूँ, क्योंकि वे हमारे ही भाई हैं, लेकिन आप उन भाइयों को आगे चलकर क्या देने वाले हैं? क्या आपको कर्नाटक विधान सभा का चुनाव ध्यान में आ रहा है? आप यह देखिए कि वहां आगे क्या हालत होने वाली है।... (व्यवधान) मैं इसके लिए यह कहना चाहता हूँ कि जो मर्यादा की बात है, जो 50 प्रतिशत की बात है, उसका उल्लंघन होगा। उसके बारे में भी माननीय मंत्री महोदय खासकर हमारे आदिवासियों को आरक्षण देते समय इसकी मर्यादा भी और बढ़ाएंगे तो उसका उन लोगों को लाभ होगा।... (व्यवधान)

17.59 hrs.*(Shrimati Rama Devi in the Chair)*

श्री नव कुमार सरनीया (कोकराझार): मैडम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।... (व्यवधान) सर, मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूँ। इसके साथ ही मेरा भारत सरकार से असम के बारे में थोड़ा आग्रह है। असम के जो Kewat लोग हैं जैसे Jaloi Kewat, Maloi Kewat तो एससी में आते हैं। लेकिन उसका एक ग्रुप Haloi kewat हैं, वे लोग अभी भी एससी में नहीं है और उनकी मांग है कि उनको भी एससी में किया जाए। दूसरा, वहां पर जो Garia, Maria, desi, Janagosti कास्ट्स हैं, वे भी ओबीसी में आनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी को आदिवासी के कुछ इश्यूज के बारे में बताना चाहता हूँ। स्पेशली वे अपने लिए अलग से धर्मगत की मांग कर रहे हैं। वे चाहे Gond समाज हो, Sharna समाज हो, Bathou समाज हो, उनकी मांग है कि उनको अलग से धर्मगत दिया जाए। मैं इन मुद्दों पर माननीय मंत्री जी का और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

18.00 hrs.

मैडम, मैंने यूपी के बारे में बोला था। यूपी के गोंड समाज को एससी से एसटी में लाया गया, उसके बाद वहां डिलिमिटेशन होना चाहिए। उससे कम से कम असेंबली में और संसद में उनको प्रतिनिधि मिलना चाहिए। इसके साथ ही, बिहार का एक मुद्दा आया है।

माननीय सभापति: सभा की सहमति हो तो बिल पारित होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाए? अभी दो अन्य माननीय सदस्यों को बोलना है।

अनेक माननीय सदस्य: जी, हां।

श्री नव कुमार सरनीया: मैडम, बिहार का एक मुद्दा आया है। झारखण्ड अलग होने के बाद जो बिहार के आदिवासी लोग हैं, उनकी हालत अभी तक अच्छी नहीं है। उसमें फैमिलीज की जो जनसंख्या दिखाई गई, वह 4 लाख 23 हजार 560 है, लेकिन असली में वह संख्या 2 लाख 51 हजार 149 दिखाई गई। इसकी वजह से उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिला। यह विषय होम मिनिस्टर और ट्राइबल मिनिस्टर के भी संज्ञान में आया है। मेरी मांग है कि बिहार में भी डिलिमिटेशन होनी चाहिए और असली

संख्या के आधार पर आदिवासियों को उनके हक मिलने चाहिए। मैडम, मैं सैटरडे को जो राजस्थान में कार्तिक भील को मारा गया, उसके घर जाकर आया हूं। वह फैमिली अभी भी मांग कर रही है। उनकी जो मांग है, उसे पूरा किया जाए। यह दुख की बात है कि वहां की सरकार को जिस तरह से इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए था, उन्होंने नहीं लिया। यह पूरा सेंसिटिव इश्यू है। वे लोग कल-परसों दिल्ली में आएंगे और हम लोग जंतर-मंतर पर उसके लिए 21 तारीख को धरना भी आयोजित करेंगे। मेरी राजस्थान सरकार से यही उम्मीद है कि उसको पूरा हक मिले।

मैडम, हमारे कांग्रेस के एक बन्धु ने छत्तीसगढ़ सरकार के बारे में बोला है। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का 32 प्रतिशत समर्थन लिया गया। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: यह बिल कर्नाटक से संबंधित है।

श्री नव कुमार सरनीया: मैडम, छत्तीसगढ़ की बात आई थी, इसलिए मैंने यह मुद्दा उठाया है। वहां 'पेसा' कानून के बारे में इलेक्शन से पहले बोला गया था कि 'पेसा' कानून लागू होगा। अब छत्तीसगढ़ सरकार की बारी लगभग खत्म होने वाली है, अभी तक वह रूल नहीं बना है। जो कम से कम 5 हजार से ज्यादा लोग अभी नक्सलियों के रूप में जेल में बन्द हैं, इलेक्शन से पहले उनको छोड़ने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक उनको छोड़ा नहीं गया है। धन्यवाद।

श्री सौमित्र खान (बिष्णुपुर): मैडम, मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूँ। जब से आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार केन्द्र में अर्जुन मुंडा जी को लेकर आई है, ये सबका साथ, सबका विकास के मूल मंत्र पर कार्य कर रही है। नरेन्द्र मोदी जी की सरकार अपने देश की जनता हेतु बहुत से काम कर चुकी है। जितने काम अनुसूचित वर्ग के लिए पिछले आठ साल में किए गए हैं, उतने कार्य पिछले 60 सालों में सरकारों द्वारा नहीं किए गए थे। मैं आपके सामने कुछ डेटा रखना चाहता हूँ, जैसे मुद्रा योजना में लगभग 10 लाख लाभार्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग से हैं। स्टार्ट अप इंडिया में आप देखेंगे कि एक करोड़ से भी ज्यादा लोग एससी-एसटी समुदाय से बिलॉग करते हैं।

मैं अभी सुन रहा था कि किसी सांसद ने यह बात उठाई थी कि पहले से बजट कितना बढ़ा है, तो पहले 1100 करोड़ रुपये का बजट था और आज 6000 करोड़ रुपये का बजट हो चुका है। अनुसूचित जाति के लिए हमारे 32 हजार 428 गांवों से 7300 करोड़ रुपये की लागत से आइडियल विलेज बनाए गए हैं। माननीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी की सबसे बड़ी सफलता है – एकलव्य मॉडल स्कूल, पहले जिनकी संख्या 211 थी, वह संख्या आज बढ़कर 452 हो गई है।

प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि पूरा देश एक साथ आगे बढ़े। इसलिए वे आज जो डिजीजन लेते हैं, सबसे बड़ी बात है कि वह डिजीजन अनुसूचित जाति के लिए होता है।

आज देखिएगा कि सेना में प्रवेश के लिए भी एससी/एसटी को संरक्षित किया है। बिरसा मुण्डा जी का जो सपना था कि भारत में ऊंचे पद पर महिला रहेगी तो आज वह एससी और एसटी समाज से हैं। आज द्रोपदी मुर्मू जी भी एसटी समाज की हैं। हम इस बिल को सपोर्ट करते हैं। अर्जुन मुण्डा जी के नेतृत्व में देश आगे जाएगा और एसटी समाज आगे जाएगा।

SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU (NARSAPURAM): Madam Chairperson, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak on this Bill. After a long time, I got this opportunity.

I am supporting this Bill, and at the same, I congratulate the hon. Prime Minister for selecting a learned woman from the Scheduled Tribe community, Murmu-ji as the hon. President of India.

I have a very small request to make and within a minute I would conclude my speech. In this List, which has come for approval, in Karnataka a community by name 'Valmiki' has been added in the Scheduled Tribes List, and in Andhra Pradesh the same 'Valmiki (Boya)' community is there in the OBC List. Actually, when the State got separated as Karnataka and Andhra Pradesh in 1956, people who were on the Bellary side, the other part of Kurnool District, and had settled in Karnataka have been given the status of Scheduled Tribe whereas their brothers who have settled in Andhra Pradesh, come under the OBC category.

Our State Assembly has already recommended to consider them as a Scheduled Tribe community like in Karnataka. So, I would request the hon. Minister, Arjun Munda-ji to consider it at the earliest. I hope that we would also come soon to correct the anomaly.

With these words, I conclude. Thank you.

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा): सभापति महोदया, कर्नाटक से संबंधित जो विधेयक सदन में लाया गया है, उस पर काफी विस्तृत चर्चा हुई है। माननीय सदस्य श्री कोडिकुन्नील सुरेश जी से लेकर रघु राम कृष्ण राजू जी तक लगभग 20 से अधिक वक्ताओं ने सुझाव दिए हैं और इस संवाद में भाग लिया है एवं अपने-अपने विचार रखे हैं। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि कुल मिलाकर सभी ने इस बिल का समर्थन किया है। यह कर्नाटक राज्य से संबंधित बिल है, जिसके संदर्भ में बताया गया है कि कर्नाटक राज्य में काडु कुरुबा अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में सम्मिलित है, उसमें पर्यायवाची शब्द बेट्टा कुरुबा को जोड़ा जाए। अभी सदन में उसकी जनसंख्या बताई गई।

महोदया, जब कल इसी सदन में तमिलनाडु और हिमाचल के संबंध में चर्चा हो रही थी, उस समय हमने इस विषय को सदन के सामने रखते हुए कहा था कि हम समस्या का समाधान चाहते हैं। आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की जनता के लिए सरकार काम कर रही है। विभिन्न क्षेत्रों में ऐसी जो भी समस्याएं हैं, उनका समाधान हो और देशवासियों को नए अवसर मिलें। ये देशवासी, सुदूरवासी, जिनकी आबादी बहुत कम है और वे संवैधानिक प्रावधानों से उपेक्षित रहे हैं, आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के माध्यम से उनकी आवाज बहुत लंबे कालखण्ड के बाद इस सदन तक पहुंची है। वैसे तो कई सदस्यों ने अपने सुझाव दिए हैं, मैं सबकी चर्चा करूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले प्रेमचन्द्रन जी की चर्चा करूंगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि देश के सभी राज्यों को मिलाकर एक बिल लेकर आना चाहिए।

कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक बिल सदन में आए और उस पर चर्चा हो। देश के माननीय प्रधान मंत्री, मोदी जी संवेदनशील हैं। उनकी संवेदनशीलता इस बात पर दिखती है कि सदन इस बात पर चर्चा करे - जिनकी संख्या बहुत कम है। आप इस सदन में उन समुदायों, उन लोगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिनकी संख्या पांच हजार है, लेकिन वे संविधान से कोसों दूर हैं। हमें आजादी मिले 75 साल हो गए हैं, लेकिन उन पांच हजार लोगों को न्याय नहीं मिला। देश का संविधान कहता है, देश का लोकतंत्र कहता है - देश का हर नागरिक बराबरी का हिस्सेदार है। मौलिक सुविधाओं से हर किसी को सुसज्जित करते हुए, लोकतंत्र के आधार पर आगे बढ़ने का मौका सभी को मिले। इस प्रावधान के साथ देश की जनता ने

इस संविधान को आत्मसात किया, स्वीकार किया, अंगीकार किया। जो लोग इससे उपेक्षित रहे, उनका विश्वास और ज्यादा रहा। इसलिए वे 75 सालों तक इंतजार करते रहे कि कब नरेन्द्र भाई मोदी जी जैसे माननीय प्रधान मंत्री मिलेंगे, तब इस समस्या का समाधान होगा। कल जब तमिलनाडु से संबंधित विधेयक पर चर्चा हो रही थी, तो मैंने इस सदन में कहा कि उनकी आबादी सिर्फ 27 हजार है। सदन गरिमापूर्ण तरीके से, ऐसा एक भी व्यक्ति लोकतंत्र में वंचित न हो, इसका ध्यान रखते हुए सदन जिस दिन चर्चा करेगा, उस दिन भारत का लोकतंत्र दुनिया में अच्छे ढंग से प्रतिबिंबित होगा।

हम जी-20 का नेतृत्व कर रहे हैं, तो इस समय दुनिया को यह पता चलना चाहिए कि भारत हर व्यक्ति को बराबरी के दर्जे से देखता है। न्याय के तराजू में बराबरी के साथ, लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर आगे बढ़ने का अवसर सभी को मिले। यह भारत की लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी ताकत है। राष्ट्र का नेतृत्व नरेन्द्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि ऐसे दबे-कुचले सुदूरवर्ती क्षेत्र की आवाज यहां तक नहीं पहुंचती है, दिल्ली की अपनी आवाज है। नीलगिरी पहाड़ से कैसे आवाज यहां तक पहुंचेगी? उसको सुनने के लिए दिल की आवाज होनी चाहिए कि वह सुनाई दे। ऐसे स्पंदन को समझने वाले देश के पहले माननीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र भाई मोदी जी हैं। प्रेमचन्दरन जी सदन में कह रहे थे, यह बात सही है कि कई चीजें एक साथ लानी चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सब लोगों के बीच में उनकी आवाज दबनी नहीं चाहिए, जो शायद आवाज के इंतजार में हैं।

18.13 hrs.

(Hon. Speaker in the Chair)

इसलिए प्रत्येक राज्य की अपनी-अपनी सूची होती है। हम सेन्ट्रल लिस्ट सभी राज्यों को कम्पाइल करके बनाते हैं। सभी राज्यों की अपनी-अपनी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की सूची होती है। उसके आधार पर राज्य अपनी सूची प्रकाशित करते हुए, राज्य में कितना, किस तरीके से उन लोगों के लिए व्यवस्था की जा सकती है, उसके लिए राज्य अपनी नीति बनाता है।

आज हम कर्नाटक के संबंध में यह बिल लेकर आए हैं, वह इसलिए लेकर आए हैं कि यह सूची कर्नाटक राज्य की बनेगी और तब फिर केन्द्र की बनेगी। इसलिए हम प्रत्येक राज्य, हिमाचल प्रदेश,

तमिलनाडु, यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं इसके पहले कई राज्यों के बारे में बिल लेकर आए हैं। आज हम कर्नाटक के बारे में अलग-अलग तरीके से विस्तृत चर्चा कर रहे हैं, ताकि जो लोग वर्षों से उपेक्षित रहे हैं, हम गरिमापूर्ण तरीके से, उन्हें न्याय दिलाने के लिए इस मंदिर में अच्छी तरह से चर्चा कर सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ बहुत-से लोगों ने चर्चा की थी। शुक्रवार को भी हमने इस बात को कहा था। उसमें बार-बार इस बात को कहा जा रहा था, मैंने कहा कि हमारे जो बजट प्रॉविज़न्स हैं, उसके आधार पर जो प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप है, उसे हमने उतरोत्तर बढ़ाया है। उसको आगे बढ़ाया गया है और उसके आधार पर लगातार राज्यों को हम एलॉटमेंट दे रहे हैं, विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं।

यदि बजट एस्टिमेट को देखें, तो वर्ष 2014 में लगभग पौने चार हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था थी, आज साढ़े आठ हजार करोड़ रुपए से अधिक बजट की व्यवस्था उसमें की है। यदि आप स्कॉलरशिप को ही देखें, तो वर्ष 2021-22 में चार सौ करोड़ रुपए, जिसमें फाइनल एलोकेशन 394 करोड़ रुपए था। लाभार्थियों की संख्या, जो पहले 10 लाख थी, वह 15 लाख हो गई। यह डेटा सार्वजनिक तौर पर है क्योंकि हम इन सारी चीजों को स्कॉलरशिप पोर्टल में डाल देते हैं। हम उनको डीबीटी के माध्यम से राशि देते हैं।

इस तरह से, माननीय सुरेश जी ने जो कहा, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह वोट बैंक की पॉलिसी नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की मर्यादा और ताकत है, जो इस सदन में चर्चा के माध्यम से दिखती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यही मूल उद्देश्य है।

माननीय सुरेश जी ने एक और बात कही कि आप एक तरफ सूची बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ बजट एलोकेशन घटा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि आप वर्ष 2013-14 के बजट एलोकेशन को देखें और वर्ष 2021-22 और 2022-23 के बजट एलोकेशन को देखें, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्रभाई मोदी जी के नेतृत्व में, ट्राइबल डेवलपमेंट की क्या एप्रोच है।... (व्यवधान) आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। उस समय 19 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान था और आज 87 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान है।... (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे: माननीय अधीर जी, यह मंत्रालय ही पहली बार माननीय अटल जी के समय में बनाया गया था।... (व्यवधान) पहले ट्राइबल का मंत्रालय नहीं था। इसे अटल जी ने बनाया था। ... (व्यवधान)

श्री अर्जुन मुंडा: यह सरकार एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन में, स्वरोजगार के लिए, शिक्षा के लिए और खास करके वर्ष 2019 से 2024 के बीच ट्राइबल्स के लिए डेडिकेटेड है।

सबसे पुराने दल कांग्रेस के माननीय सदस्य बातें कर रहे थे। यदि आपको ट्राइबल के बारे में इतनी ही चिन्ता थी, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जब एक महिला जनजाति वर्ग से राष्ट्रपति के लिए प्रत्याशी के रूप में आ रही है, तो कम से कम अपने प्रत्याशी का नाम विदड़ा करवा लेते।... (व्यवधान) उस समय आपने उनको हराने के लिए जितनी कोशिश करनी चाहिए... (व्यवधान) लेकिन उस समय आपको इस बात का ध्यान नहीं आया।... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: चुनाव में हर पार्टी अपना उम्मीदवार देती है।... (व्यवधान)

श्री अर्जुन मुंडा: इसलिए इनकी कहानी और कथनी में कितना अंतर है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं।

माननीय सदस्य उलाका जी ने चर्चा की कि स्वर्गीय श्री जयपाल सिंह जी कॉन्सिड्युएंट असेंबली के मेंबर थे। कॉन्सिड्युएंट असेंबली में ट्राइबल इश्यूज पर कांस्टीट्यूशन प्रोविजन्स क्या होने चाहिए, इसके लिए ठक्कर बाबा के नेतृत्व में कमेटी गठित हुई। उस कमेटी ने रिक्मण्डेशन दी, बहुत सारे सुझाव दिए और उसके ऊपर डिबेट हुई, उस पर चर्चा हुई। यह बात सही है कि स्वर्गीय श्री जयपाल सिंह जी ने इस बात को उद्धृत करते हुए कहा कि इस देश में ट्राइबल को किस तरीके से देखा जाना चाहिए। लेकिन आपको इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि ट्राइबल को आपने किस ढंग से देखा। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर माननीय पंडित नेहरू जी को स्वर्गीय श्री जयपाल सिंह जी ने कहा - "Partially, I agree with Pandit Nehru but you learn from the Tribals who are the most democratic people in the country."

आप डेमोक्रेसी उनसे सीखिए। लोकतंत्र अगर सीखना है, तो उसे आप सीखिए, उनको सिखाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि उसकी सहचर लाइफ है, आदमी के साथ तो रिलेशन रखता है, पेड़-पौधों के साथ भी रिलेशन रखता है। ... (व्यवधान) जीव-जंतु के साथ भी रिलेशन रखता है। ... (व्यवधान) लेकिन आपने क्या किया? ... (व्यवधान) संविधान सभा में उन्होंने एक बात कही। वे संविधान सभा में कैसे आए थे? वर्ष 1950 में उन्होंने झारखंड राज्य के बारे में झारखंड महासभा का गठन किया था, झारखंड पार्टी का गठन किया था। झारखंड पार्टी का गठन करने के बाद उनके साथ कैसा व्यवहार किया? वर्ष 1952 में फर्स्ट इलेक्शन हुआ। फर्स्ट इलेक्शन में झारखंड पार्टी के बिहार में सबसे अधिक सदस्य चुनाव जीतकर आए।

वर्ष 1957 में पहली बार जब लीडर ऑफ अपोजीशन बना, तो वह झारखंड पार्टी का बना। लेकिन वर्ष 1962 में पंडित नेहरू कहते हैं कि आप झारखंड बनाना चाहते हैं, तो कांग्रेस में आ जाइए। आपको कांग्रेस में सम्मिलित कराते हैं और झारखंड का बंटोधार कर देते हैं। ... (व्यवधान) वह सपना यदि पूरा हुआ, तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हुआ। ... (व्यवधान) आपने स्वर्गीय श्री कार्तिक उरांव जी, जो कांग्रेस में रहे, जब वे प्राइवेट मेंबर बिल लेकर पार्लियामेंट में आए, तो आपने आपको भी बहकाया, बहलाया, फुसलाया और आपको दबाने की कोशिश की। ... (व्यवधान) यह भी इस सदन के इतिहास में है।

श्री समगिरी शंकर उलाका: सर, कोई आदिवासी कभी दबता नहीं है। ... (व्यवधान)

श्री अर्जुन मुंडा: अध्यक्ष महोदय, ये जो घड़ियाली आंसू बहाते हैं, ये घड़ियाली आंसू बहाकर क्या बताना चाहते हैं? ... (व्यवधान) इसलिए, आज जब सदन गरिमापूर्ण तरीके से चर्चा कर रहा है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सदन के माननीय सदस्यों ने इसे अपना समर्थन दिया। इस बात के लिए मैं आभारी हूँ, लेकिन सत्य से मुकरना नहीं चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो आदिवासी है, वह हमेशा याद रखता है।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं आग्रह करता हूँ कि सदन में इस विधेयक को पारित किया जाए।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Mr. Speaker Sir, I have a point of order.

माननीय अध्यक्ष: रूल नंबर क्या है?

... (व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: It is Rule 352 clause (vi) read with Rule 376.

माननीय अध्यक्ष: रूल नंबर 352 और 353 तो पढ़ रखा है।

... (व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, it is very clear in Rule 352.

“A member while speaking shall not – (vi) use the President's name for the purpose of influencing the debate.”

The hon. Minister, while responding to this debate, has used the name of the President of India saying that the Opposition Parties have opposed the candidature of Shrimati Droupadi Murmu, the hon. President. That cannot be used.

माननीय अध्यक्ष: आप विद्वान हैं। आप साथ में नियम 353 भी पढ़ लीजिए।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: I submit that Rule 352 may be read with Rule 376. It says that observation of the reference made by the hon. Minister may be expunged from the record. (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: आपने व्याख्या की है कि राष्ट्रपति जी का नाम नहीं ले सकते हैं। आप साथ में यह भी देख लीजिए कि यदि कोई संदर्भ हो, तो नाम लिया जा सकता है। माननीय मंत्री जी ने संदर्भ पर बात कही थी।

प्रश्न यह है:

“कि कर्नाटक राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में आशोधन करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

“कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

श्री अर्जुन मुंडा: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

“कि विधेयक को पारित किया जाए।”

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि विधेयक को पारित किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 को प्रातः ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

18.28 hrs.

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on
Tuesday, December 20, 2022/Agrahayana 29, 1944 (Saka)*

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

<http://www.parliamentofindia.nic.in>

<http://www.loksabha.nic.in>

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.